महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 9 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

370 रद्द करने के खिलाफ दायर अर्जियों पर जल्द सुनवाई नहीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली तथा राज्य में पाबंदियां लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष वकील मनोहर लाल शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिकाओं को सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। पीठ ने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया में सूचीबद्ध होंगी।

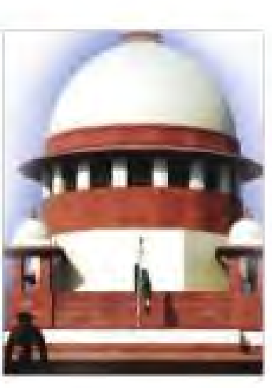

व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करने वाले वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपने मामले का उल्लेख करते हुए पीठ से इसे 12 या 13 अगस्त को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। दूसरी ओर, पूनावाला की ओर से वकील सुहेल मलिक ने कहा कि वे अनुच्छेद 370 पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि राज्य से 'कर्फ्यू और पाबंदियां' व इंटरनेट, समाचार चैनलों और फोन लाइनों को अवरुद्ध करने सहित उठाए गए सख्त कदम वापस लिए जाएं। पीठ ने शर्मा से सवाल किया कि क्या उन्होंने याचिका में बताई गई खामियों को दूर कर बाकी पेज 8 पर

राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री का पाकिस्तान पर हमला, कहा

370 का हथियार की तरह इस्तेमाल किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दो अनुच्छेदों का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अनुच्छेद 370 और 35ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके कारण तीन दशक में राज्य में 42 हजार निर्दोष लोग मारे गए।'

टेलीविजन पर प्रसारित राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किए जाने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि कुछ कालखंड के लिए जम्मू-कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला काफी सोच समझकर लिया गया है। उन्होंने कहा, 'हम सभी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बने। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शी वातावरण में अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा।'

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वह संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है। लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है।'

उन्होंने कहा कि कई केंद्रीय कानूनों के लाभ से जम्मू-कश्मीर वंचित रहा। शिक्षा अधिकार, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य सुरक्षा जैसे तमाम कानूनों के लाभ से जम्मू-कश्मीर वंचित रहा। देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम वेतन का प्रावधान लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह सिर्फ कागजों पर था। अब उन्हें लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमने जम्मू-कश्मीर के प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी का नतीजा है कि आइआइटी, आइआइएम, एम्स बाकी पेज 8 पर

1 *प्रधानमंत्री* ने कहा कि नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब आंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है।

2 *अनुच्छेद* 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था। उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी।

3 *अनुच्छेद* 370 और 35ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके कारण तीन दशक में राज्य में 42 हजार निर्दोष लोग मारे गए।'

कश्मीर की जेलों से वायुसेना के विशेष विमान से

आगरा जेल भेजे गए 70 आतंकी-अलगाववादी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

कश्मीर की विभिन्न जेलों में कैद 70 आतंकवादियों को आगरा केंद्रीय जेल भेज गया है। इन सभी को वायुसेना के एक विशेष विमान से आगरा ले जाया गया। इन कैदियों में आतंकवादी और पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी हैं। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के फैसले के बाद सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार दोपहर श्रीनगर से रवाना हुआ विशेष विमान कैदियों को लेकर आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचा। वहां से आगरा जेल तक आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया।

गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर हवाई अड्डे से लौटाया गया। *पेज 2 पर*

पूरे रास्ते सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जिन वाहनों में कैदी सवार थे, उनकी खिड़कियों को कपड़े से ढंक दिया गया था। आगरा केंद्रीय जेल की उच्च सुरक्षा वाली बैरकों में इन कैदियों को रखा जाएगा। जेल के बाहर पीएसी के साथ पुलिस तैनात की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि कश्मीर से कैदियों को उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य बड़े राज्यों की जेलों में भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति मांगी थी। यूपी में और अधिक बंदियों को भी भेजे जाने की तैयारी थी।

पाक ने वाघा पर छोड़ी समझौता एक्सप्रेस, कहा सेवा निलंबित

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 8 अगस्त।

लाहौर से आ रही समझौता एक्सप्रेस के पाकिस्तानी ड्राइवर और गार्ड ने ट्रेन को वाघा सीमा पर ही छोड़ दी। पाकिस्तान ने भारत की सीमा में अपने गार्ड और ड्राइवर को भेजने से मना कर दिया। इस कारण ट्रेन काफी देर तक वाघा में अटकी रही।

भारतीय टीम अटारी ले आई *पाकिस्तान* से आने वाली ट्रेन में 110 यात्री, जाने के इंतजार में थे 70

उधर पाकिस्तान ने कहा कि उसने यह ट्रेन निलंबित कर दी है। भारत से इंजन, चालक दल और गार्ड को वाघा भेजा गया, जो ट्रेन को अटारी लेकर आए। पाकिस्तान से आने वाली इस ट्रेन में लगभग 110 यात्री सवार थे।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक बाकी पेज 8 पर

भारतीय उड़ानों के लिए बंद नहीं पाकिस्तानी वायु क्षेत्र- *पेज 17*

जन्म स्थान को कैसे बनाया जा सकता है पक्षकार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में एक पक्षकार 'राम लला विराजमान' से जानना चाहा कि देवता के जन्मस्थान को इस मामले में दावेदार के रूप में कैसे कानूनी व्यक्ति माना जा सकता है। शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या प्रकरण में तीसरे दिन की सुनवाई में कहा कि जहां तक हिंदू देवताओं का संबंध है तो उन्हें कानून में कानूनी व्यक्ति माना गया है, जो संपत्ति का स्वामी हो सकता है और मुकदमा भी कर सकता है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने राम लला विराजमान की ओर से वरिष्ठ वकील के परासरन से जानना चाहा कि इस मामले में एक पक्षकार के रूप में क्या 'राम जन्मस्थान' कोई वाद दायर कर सकता है। पीठ ने जानना चाहा- क्या जन्म स्थान को कानूनी व्यक्ति माना जा सकता है। जहां तक देवताओं का संबंध है तो उन्हें कानूनी व्यक्ति माना गया था। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। पीठ के इस सवाल के जवाब में परासरन ने कहा- हिंदू धर्म में किसी स्थान को उपासना के लिए पवित्र स्थल मानने के लिए वहां मूर्तियों का होना जरूरी नहीं है। हिंदू धर्म में तो नदी और सूर्य की भी पूजा होती है और जन्म स्थान को भी कानूनी व्यक्ति माना जा सकता है। अयोध्या मामले में देवता की ओर से दायर वाद में भगवान राम के जन्म स्थान को भी एक पक्षकार बनाया गया है। इस पर पीठ ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया। जिसमें पवित्र गंगा नदी को एक कानूनी व्यक्ति माना गया है, जो मुकदमे को आगे बढ़ाने की हकदार है।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्षकार 'राम लला विराजमान' से जानना चाहा

इसके बाद पीठ ने परासरन से कहा कि दूसरे बिंदुओं पर अपनी बहस आगे बढ़ाएं। परासरन ने आरोप लगाया कि 'राम लला विराजमान' की मूर्ति को उस समय पक्षकार नहीं बनाया गया जब मजिस्ट्रेट ने विवादित स्थल को कुर्क किया और जब दीवानी बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान जाएगा भारतीय शिष्टमंडल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

करतारपुर साहिब गलियारे के कामकाज में हो रही प्रगति का आकलन करने के लिए एक भारतीय शिष्टमंडल पाकिस्तान जाएगा।

केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। पंजाब के मंत्रियों एवं विधायकों का शिष्टमंडल अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तथा पाक पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेगा। दूसरी तरफ, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि भारत के साथ मौजूदा तनाव का असर चल रही परियोजना पर नहीं पड़ेगा। पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, 'पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा था कि राज्य के मंत्रियों एवं विधायकों के एक समूह को पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाए। अनुमति मिल चुकी है। हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (इमरान खान) और पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलेंगे।' केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते पंजाब सरकार को इस महीने एक शिष्टमंडल पाकिस्तान भेजकर करतारपुर गलियारा परियोजना की प्रगति का पता लगाने की अनुमति दे दी है। इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भारत के साथ राजनयिक बाकी पेज 8 पर

करतारपुर गलियारा निर्माण

पाकिस्तान ने कहा, मौजूदा हालात का परियोजना पर असर नहीं

दिल्ली वालों को मुफ्त वाईफाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (आप) सरकार अपने सबसे बड़े चुनावी वादा को पूरा करने में लग गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली को मुफ्त वाईफाई उपलब्ध बाकी पेज 8 पर

सम्मान पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। *खबर पेज 8*

रोडरेज में सेल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, दो धरे गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

अगस्त क्रांति मार्ग पर बुधवार रात असंल प्लाजा के पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन पर तीन-चार युवकों ने जानलेवा हमला किया। इस वारदात में चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी के पैर और कंधे पर गंभीर चोटें पहुंची हैं।

घटना बुधवार देर रात करीब 10:50 बजे की है, जब अनिल कुमार चौधरी दफ्तर से घर लौट रहे थे। इसी दौरान हाइवे पर गश्त कर रही पुलिस की मोटरसाइकिल टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपियों में से दो को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान उत्तम नगर निवासी अमरदीप और द्वारका निवासी ललित के तौर पर हुई है। शुरुआती छानबीन में पुलिस रोडरेज का मामला मान कर चल रही है। पर पुलिस का कहना है कि फिलहाल हौज खास थाना पुलिस ने चेयरमैन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में लूटपाट समेत अन्य सभी बाकी पेज 8 पर

हौज खास थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच

दरअसल

घटनाक्रम की निंदा किए जाने से सहमत नहीं | **समर्थन** | जम्मू और लद्दाख सहित पूरे देश में भरपूर समर्थन मिला

नए कानून से स्त्री-पुरुष का भेदभाव खत्म होना स्वागतयोग्य : कर्ण सिंह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के सरकार के कदम का आंशिक रूप से समर्थन करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने गुरुवार को कहा कि इसकी पूर्ण रूप से निंदा करना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें कई सकारात्मक बातें हैं।

कांग्रेस के आधिकारिक रुख से अलग राय जाहिर करते हुए जम्मू-कश्मीर के पूर्व 'सद्र-ए-रियासत' सिंह ने एक बयान में कहा बाकी पेज 8 पर

और क्या कहा पूर्व सद्र-ए-रियासत ने

निजी तौर पर मैं इस घटनाक्रम की पूरी तरह निंदा किए जाने से सहमत नहीं हूं। इसमें कई सकारात्मक बिंदु हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का निर्णय स्वागत योग्य है।

सद्र-ए-रियासत रहते हुए मैंने 1965 में इसका सुझाव दिया था। सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 35 ए में स्त्री-पुरुष का भेदभाव था उसे दूर किए जाने की जरूरत थी और साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को मतदान का अधिकार मिलना और अनुसूचित जाति को आरक्षण की पुरानी मांग का पूरा होना स्वागत योग्य है।

मलाला बोलीं, निकाला जाए शांतिपूर्ण हल

लंदन, 8 अगस्त (भाषा)।

नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित और पाकिस्तानी शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकाले जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 'हम सभी शांति के साथ रह सकते हैं' और 'एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने' की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच कोई भी मतभेद क्यों न हो... हमें कश्मीर में सात दशक पुराने संघर्ष को शांतिपूर्वक सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।'

भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को निरस्त कर दिया है और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है। इसके जवाब में, पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया था और भारत के साथ राजनयिक संबंधों बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Suraj Prakash Sharma S/o Ami Lal Sharma R/o-C-287, Gali No.12/13, Bhajanpura Delhi-53, inform that name of my Grand father hasbeen wrongly written as Har Lal in my father Previous Documents Ex-Servicemen Identity Card.The actual name of my grand father is Govind Shay Sharma which may be amended accordingly.
0040506974-10

I,Dhiraj Kumar Sandwar S/o Uday Kishor Sandwar R/o Supertech-Jar Nicolas-2 Flat-no.-1047 Omicron-1ST Greater-Noida have Changed my son's Name From Kumar Abhijeet to Jaiditya Sandwar
0040506968-1

I, Zile Singh S/o Raghuwar Singh R/o C-3/174, Sector-36, Noida(U.P.) have changed my name from Zile Singh Bhati to Zile Singh for all future purposes.
0040506982-1

I, Vinod Kapoor S/o Late Sh. Ram Parkash Kapoor R/o 17/16, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060, have changed my name to Vinod Kumar Kapoor for all future purposes.
0040506957-1

I, Veena Kalra W/O Late Shri.Om Prakash Kalra, R/O R-250, Greater Kailash-I, New Delhi-110048, inform That Have Changed My Name To Usha Rani Kalra. For All Purposes.
0040507033-3

I, Urvashi Ahluwalia W/o Vikram Ahluwalia R/o-WZ-24A/1, Ground Floor S.P. Mukherjee Nagar Gate-1, Tilak Nagar Delhi-110018,have changed my minor Daughter's name Aanshika Ahluwalia to Aanshika Kaur Ahluwalia Permanently.
0040506891-1

I, Syed Numaan Ahmad S/o-Ekhlaque Ahmad Syer R/oH.No.212, 4th-Floor Gali No.6 Near-Firdos Masjid J-Extn. LAXMI-Nagar Delhi-110092. Changed my name to Syed Nomaan Ahmad.
0040507046-2

I, Swati D/O Awadhesh Prasad, R/O-Plot No-G-25, Bhagwati Garden Extension, Uttam Nagar, Delhi-110059, Have Changed My Name Swati Sinha.
0040506972-9

I, Suresh Kumar S/O Ram Jiwan H.No-1390, Sec-1, Rohtak, Haryana-124001. Changed My Name To Suresh Kumar Jakhar.
0040507033-8

I, Sunita W/o Vinod Kumar residing C-32, Puspanjali Enclave Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Sunita Gupta for all purposes.
0040506898-1

I, Sukirt Singh Makkar S/o Harbhajan Singh Makkar R/o-D-10/19, Sector-8 Rohini Delhi-110085, have changed my name to Sukirat Singh.
0040506988-6

I, Sruthi Geeta D/o Rani Shyam Sunder R/o 11B Delhi Administration Officers Flats New Delhi-110018, have changed my name to Shruti Geeta Rani for all purposes.
0040506945-1

I, Shehnaz Mallik W/o Jamil Ahmed R/o K-89, New Seelampur, Delhi-110053, have changed my name to Shehnaz Malik.
0040506988-2

I, Shahzadi Begum W/o Mohd Saiful Islam R/o S-16/13B, Jogabai Extn., Jamia Nagar, New Delhi-110025 have corrected my name from Shehzad Khatoon to Shahzadi Begum in my son's school certificate.
0040506946-2

I, Sarthak Mital S/o Vinay Kumar Mittal R/o 605, Satpura Apartment, Kaushambi, Distt. Ghaziabad, have changed my name to Sarthak Mittal.
0040506982-2

I, Sareeta James W/o Rajeev James R/o A-26 Vishwa-Karma Park, Laxmi-Nagar, DELHI-110092. Have Changed My Name To Monika James.
0040506974-3

I, Saque Giarul Haque/Sheikh Ziarul Haque S/O Saque Abdul Samad R/O-C-27, 3rd-Floor, Noor-Nagar-Extn, Johri-Farm, Jamia Nagar, N. Delhi-110025. Changed My Name To Sheikh Giarul Haque.
0040507033-10

I, Santosh W/o Harish Kothari R/o D-931, 5th Avenue, Gaur City -1 Sector-4 Greater Noida West -201009 Have Changed My Name to Santosh Kothari.
0070669045-1

I, Sanjeev Gupta S/o Satya Prakash R/o-41B, Tagore-Marg, Kewal-Park, Azadpur, Delhi-110033 have changed my name., from Sanjeev Kumar to Sanjeev Gupta, for all purposes.
0040506963-7

I, Khush Karan Singh Sidhu alias Gurinder Singh Sidhu S/o Harbans Singh Sidhu R/o House No-500, Talwandi, Sabo, Bathinda, Punjab-151302, have finally changed my name to Gurinder Singh Sidhu for all purpose.
0070669064-1

I Madhu Kumar,W/O Sh.Karan Singh R/O-803 Type-2 Sector-3 village Munirka R.K.Puram New Delhi. have changed my name to Maadhu Kuumar, for all purposes
0040506963-8

I, Sanjeev Gupta S/O Satya Prakash R/O-41B, Tagore-Marg, Kewal-Park, Azadpur, Delhi-110033 have changed my name., from Sanjeev Kumar to Sanjeev Gupta, for all purposes.
0040506963-7

I, Sanjaya Ram Kumar Rastogi S/o Sh. Ram Kumar Rastogi R/o F-6, Associated Apartments, 83 IP Extension, Patparganj, Delhi-110092 have changed my name to Sanjaya Rastogi for all future purposes.
0040506921-1

I, Roma Karki Spouse Of Army No-5852458p Rank Nk Bal Bahadur Karki Unit 2/9 GR R/O Vill: Sayakot, Post Patle Dist. Baglung Nepal. Have Changed My Wife Name In My Service Record From Roma Karki To Roma Khadka Karki Vide Affidavit Dated 02 Aug 2019 Before Court Compound, Dehradun.
0040507025-1

I, Rishika Chaudhary D/O Manipal Panwar R/O-5k/1, Shahpurjat, N. Delhi-110049, Changed My Name To Rishika Choudhary.
0040507033-9

I, Rigwandra Kumar S/o,Layak Ram Arya R/o-B-70, F-3, Ramprastha-Colony, Chandernagar, Thana-Link Road, Ghaziabad, U.P.-201011, have changed my name to Rigvendra Kumar.
0040506974-4

I, Rekha Saini D/o Bhagwan Dass W/o Sachin Shrivastava R/o A-4/86, Sultanpuri, Delhi-110086, after marriage have changed my name to Rekha Shrivastava for all purposes.
0040506911-1

I, Rehmat Wasi W/o Mohammad Wasi R/o 300/2B, Okhla Main Road, Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my name from Rehmat Be to Rehmat Wasi for all purposes.
0040506946-1

I, Reeya Singh D/o Brijendra Singh R/o 4/292 VivekKhand GomtiNagar Lucknow declare that in my Passport, my name is wrongly mentioned as Riya Singh, but my correct name is Reeya Singh, which may be amended accordingly. In future I will known by Reeya Singh.
0060068636-2

I, Ravinder Singh Swinder Chandok S/o Late Swinder Gopal Singh Chandok R/o H-80A, Second Floor, Shivaji Park, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 have changed my name to Ravinder Singh Chandok
0040506897-1

I, Rakesh Kumar alias Rakesh Saluja S/o Ram Parkash R/o-98, SF, Raja-Garden Delhi-15, have changed my name to Rakesh Kumar Saluja, both are same person.
0040506974-1

I, Rajesh D/O, Nathu Singh R/O 503/1 Devli Village, Near Durga Vihar, New Delhi-110080, have changed my name to Renu Singhal for all purposes.
0040506964-1

I, Rajeev Kumar S/O Sh.Nandu Paswan R/O-E-86, Laxmi-Park Nangloi, Delhi-110041.inform that Rajeev Kumar and Rajeev Kumar paswan both are same person.In future I will known by Rajeev Kumar Paswan
0040506891-2

I, Raj Surender Singh, S/o Sohan Lal Rao, R/o Flat No.1, Type V, Golf Link, New Delhi-110003, have changed my name to Surinder Singh Rao.
0040506972-5

I, Rahul Wadhwa, S/O Sh. Rajinder Kumar Wadhva, R/O-H.No.9, Road.No.15, Punjabi-Bagh Extn., Punjabi Bagh, New Delhi-110026, informs That I Have Changed My Name To Rahul Wadhva For All Purposes.
0040506988-10

I, Pooja Mittal Bafna D/O Brahm Tej Mittal R/O Hno-15 Road No-60, West Punjabi-Bagh, Delhi-110026. Have Changed My Name To Pooja Mittal.
0040506988-8

I, Pooja Mittal Bafna D/O Brahm Tej Mittal R/O Hno-15 Road No-60 West Punjabi Bagh Delhi 110026 Have Changed My Dauther's Name Tiara Bafna To Tiara Mittal.
0040506988-9

I, Pooja Chetan Bafna D/O Brahm Tej Mittal R/O Hno-15 Road No 60 West Punjabi Bagh Delhi-110026 Have Changed My Name To Pooja Mittal.
0040506988-7

I, Pavan Kumar S/O Ram Kishan R/O 14, Pocket A-1. Alok Kunj, Sector-15, Rohini, Delhi-110089 have changed my name as Pavan Kumar Gupta S/o Ram Kishan Gupta for all purposes.
0040506893-1

I, Neeraj Kumar S/o Sanjeev Sharma R/o 34A, Gali.No-11, New Lahore-Colony, Shastri-Nagar, Delhi-110031, have changed my name to Neeraj Kumar Sharma.
0040506974-7

I, Namchunglungbo S/o Khangsiambo R/o.Plot.No.24B Khasra No.11/4 Gali.No.3 Qutub-Vihar Phase-1, Nazafgarh West Delhi-110071 have changed my name to Namchunlung.
0040507033-2

I Balbir Singh Bhatti S/O S.Avtar Singh WZ- 335 Gali no. 19 Sant Garh Delhi-18 Have Changed My Name to Balbir Singh.
0040506972-8

I Neelam W/O Narender Kumar R/O-20/31 Azad Nagar Rohtak-Haryana 124001. Have Changed My Name To Neelam Rani., For All Purposes.
0040506963-1

I Ankit S/o Ashok Sharma R/o B-26/5, 30ft. Road, Mukund vihar, Karawal nagar, Delhi 110094, have changed my name to Ankit Sharma
0040506930-1

I, Mukesh Singh S/o Ram Shankar R/o i-10, Block-i , Hari Nagar Extn Delhi-110044 Have Changed My Name to Mukesh Kumar.
0070669047-1

I, Mukesh S/o Jai Chand R/o H.No.394, Jangra Bazar Dundahera Gurgaon, Haryana-122016, have changed my name to Mukesh Kumar for all purposes.
0040506972-2

I, Mukesh Kumar S/o Ramesh Chander Arora R/O CGK-064, Capital Green Shivaji Marg Delhi-110015 Have Changed My Name to Mukesh Kumar Arora.
0070669059-1

I, Mukesh Kumar Chooramani S/o Vinod Kumar Chooramani R/o-1664, Bharpura Colony, Sadar-Road, Mathura have changed my name to Mukesh Chooramani.
0040507033-1

I, Mohit S/o Arun Kumar R/o 10/1, P & T Qtrs Type-1 , Kali Bari Marg, New Delhi-110001 Have Changed My Name to Mohit Kumar.
0070669057-1

I, Mohd Faizan S/o Saleem Ahamad R/o 1/10101 A-6, Gali No-3L, Shahdara Delhi-110032. Have Changed My Name To Faizan Ahmad.
0040506972-1

I, Manju Bala W/o Naresh Kumar R/o C-1/200, Sector-16, Rohini, Delhi-110089, have changed my name to Manju Gupta for all purposes.
0040506962-1

I, Manish S/o Mohinder Kishore R/o:0-85, Extension Geeta Enclave, Gali No-3, Vani Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-59 Have Changed My Name to Manish Sareen.
0040506972-6

I, Manish Ranjan S/O Late Bakshi S.S Sinha, R/o-H.no.A-1/403 CPWD, Multy-Storey DevNagar Karol Bagh Delhi-110005, have changed the name of my minor daughter Adya Srivastava age 17years, and she shall hereafter be known as Aadyaa Srivastava.
0040506974-6

I, Manan Khanna S/o Rajneesh Khanna R/o-BP-71 Shalimar Bagh Delhi-110088 changed my name to Manan R Khanna.
0040506963-10

I, Makisuddin S/o Alimuddin R/o-44, Hauzkhas-Village, Delhi-110016.,changed the name of my minor son Choudhry Azim to Choudhary Azim Khan.
0040506988-4

I, MF Afzal s/o Md. Lateef R/o-2860, Gali Bhystian Kucha Chelan, DaryaGanj, Delhi-110002. have changed my name to Md.Afzal permanently
0040506963-5

I, M.M.Chouhan s/o Late Kishan Lal Chouhan R/o 458, Pkt-3, Paschim Puri, New Delhi-110063, also known as Madan Mohan Chouhan. Both are same person.
0040506905-1

I, Lakshmi Narasai W/o Rani Shyam Sunder R/o 11B Delhi Administration Officers Flats New Mahabir Nagar New Delhi-110018, have changed my name to Rani Lakshmi for all purposes.
0040506943-1

I, Krishna W/o Ran Singh R/o H.no- 166, Sec-90 Wazirpur Gurgaon-122505 Have Changed My Name to Kiran.
0070669050-1

I, Kawal Jeet Kaur W/O Jagmohan Singh R/O-Dg-2/161d, Sfs-Flats, VikasPuri, Delhi-18 Have Changed My Name To Kawaljit Kaur.
0040507033-4

I, Jesmy Glatto W/O-Glatto Paul R/O.Room.No-410, New Hostel,Batra Hospital, M.B.Road, Tughlakabad Institutional-Area, N.Delhi-110062.Changed My Name To Jesmy James.
0040507046-1

I, Jasvinkaur Surjitsingh Makar W/o Amrinder Singh R/O-A-50 Ashok-Vihar Phase-2, Delhi-110052.Have Changed My Name To Jasvin Kaur.
0040506974-2

I, Jamil Malik S/o Imamuddin R/o K-89, New Seelampur, Delhi-110053 have changed my name to Jamil Ahmed.
0040506988-3

I, JC-767697X SUB Alam Singh, Serving at- 505 Army Base Workshop EME, Delhi Cantt, inform that in my service records, my Wife's name is wrongly mentioned as "Baby Devi". Her correct name is "Baby Negi" which may be amended accordingly
0040506970-1

I, JC-767697X SUB Alam Singh, Serving at- 505 Army Base Workshop EME, Delhi Cantt, inform that in my service records, my Son's name is wrongly mentioned as "Ajay Singh".His correct name is "Ajay Singh Negi" which may be amended accordingly.
0040506973-1

I, Ishpreet Singh s/o Rajinder Pal Singh r/o WZ-632-633, Shiv Nagar, Extension, Janakpuri, Delhi-110058, have changed my name to Ishpreet Singh Arora.
0040506896-1

I Narender Kumar alias Narender Kumar Goel S/o Sat Narain Goel R/o 12 D, Pocket-C, Gangotri Enclave, Alaknanda, Delhi-110019, have finally changed my name to Narender Kumar Goel for all purpose
0070669067-1

I Rajlaxmi D/o Wishwnath R/o A-1/231, Sultan Puri, Delhi-110086, have finally changed my name to Manju Gautam for all purpose.
0070669062-1

I Poonam D/o Sh.Ashok Kumar R/o House No.47, Street No.6, Shastri Nagar, Sarojini Park, Delhi-110031 have changed my name to Sahaj for all purposes.
0040506902-1

I, Inder Pal Sehgal s/o Basant Lal Sehgal R/o-HNo38, Road.No.5, Third-Floor, East-PunjabiBagh, New Delhi-110026,have changed my name to Hari Om Sehgal.
0040506963-6

I, Hitherto Known As Prabha Arora W/O Shri. Bishamber Lal,Residing At-13/169, Geeta-Colony, Delhi-110031, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Prabha Devi.
0040506974-9

I, Hitherto Known As Bishamber Lal Arora S/O Shri.Pyare Lal,Residing At-13/169, Geeta-Colony, Delhi-110031. Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Bishamber Lal.
0040506974-8

I, G. Mohanraj Ratnam S/o P.Gopal R/o-16-D, Gayatri-Apartment, Sector-9, Rohini,Delhi. Have changed my name to Gopal Mohanraj Ratnam for all purposes.
0040507046-3

I, Dev Ashish Chugh S/o Dr. C.B. Chugh R/o D-144,First Floor,Ashok Vihar,Phase-1, Delhi-110052, have changed my minor daughter's name from Nainika to Nainika Chugh for all future purposes.
0040506910-1

I, Desai Shweta Khemrajbhai & Desai Swetaben Khemjibhai W/o Nimba Ram R/o-C-9/9883, VasantKunj,New Delhi-110070. have changed my name to Shweta Desai.
0040506963-9

I, Deepika Kumari W/o Manish Kumar Dutta R/o Flat No-1, 1st Floor, House no-622 Sector-1 Vaishali Ghaziabad-201010 Have Changed My Name to Deepika Dutta.
0070669048-1

I, Deepak Karnani R/o 101, Savita Vihar, Delhi-110092 have changed my daughter name from Jhanvi Karnani to Jahanvi Karnani.
0040506952-1

I, Daljeet Katarai S/o Ajit Singh Kataria R/o H.no-96, Sector-17A, Gurgaon-122001 Have Changed My Name to Daljeet Kataria.
0070669049-1

I, Dakshay Rajiv Ralhan, S/o Rajiv Ralhan, R/o C-100, Bathla Apartment, Plot No.43, I.P. Extension, New Delhi-110092, have changed my name to Dakshay Ralhan.
0040506972-4

I, Charanjit Kaur W/O Avtar Singh R/O B-189, 2nd Floor, Fateh Nagar, Delhi-110018. Have Changed My Name To Charanjeet Kaur.
0040507033-7

I, Bhaveen S/O Rajkumar, R/o-L-179, Third Floor, Shastri Nagar, Ashok Vihar, Delhi-110052, Have Changed My Name Bhaveen Sikka.
0040506972-10

I, Bhagwan Das Tiberewala S/o Anandi Lal R/o-3/90, S.F. Nehru Gali, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110032 have changed my name to Bhagwan Das Tibrewal.
0040506911-2

I, Bachiya Devi W/O Vinod Singh R/O D-488, Chungi No-3, Lalkuan Badarpur Delhi-110044 Have Changed My Name To Samita Singh.
0040506988-5

I, Anuradha Sanjaya Rastogi W/o Sanjaya Rastogi R/o F-6, Associated Apartments, 83 IP Extension, Patparganj, Delhi-110092 have changed my name to Anuradha Rastogi for all future purposes.
0040506921-2

I, Anita W/o Rajinder Sain Lal R/O 255, DDA Flats Pocket-04, Sector-12, Dwarka, Delhi-110078. I have changed my name from Anita to Anita Sharma for all purposes.
0040506892-1

I, Anita Kumari Sharma @Anita Parmar W/o, Jatinder Kumar Parmar R/o VPO-Nadalon, Tell-Garhshankar, Distt. Hoshiarpur-144404, Punjab have changed my name to Anita Parmar.
0040507001-1

I, Anita Grover W/o Parveen Grover R/o 227, Krishan Pura Sonepat-131001, inform that in my Daughters`s Birth Certificate my name wrongly mentioned as Neeta Grover instead of Anita Grover.
0040506929-1

I, Anam/Anam Shah w/o Yasir Khan R/o-H.No-4379, 4th-Floor, Prakash House, Ansari Road, Daryaganj, Delhi-110002. have changed my name to Anam Khan.
0040506988-1

I, Amit Debnath S/O, Subodh Kumar R/o 884, Block B, Transit Camp, Govindpuri, Kalkaji, ND-19, have changed my name to Amit Kumar for all purposes.
0040506961-1

I, Amarjit Kour Bahri W/O Bhupinder Singh Bahri R/O-Wz-134, Ram-Nagar, Tilak-Nagar, Delhi-18. Have Changed My Name To Amar Jit Kaur
0070669033-6

I, Aditi Mukesh Sharma w/o Anshul Sharan R/o-109, Jyoti-Kiran Society, Sector-PI, Greater-Noida-201306, U.P. have changed my name to Aditi Anshul Sharan
0040506963-4

I Aarti Kumari Ramdayal W/O Sunil Kumar Sharma R/O-RZ-G-54-A, Near-Gupta Nursing-Home, Sagarpur-West, N. Delhi-110046 Changed My Name to Aarti Ramdayal Sharma.
0040506972-3

I, Mau Kasim S/o Anees R/o E-11/49, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017. Have changed my name to Mohd Kasim for all future purpose.
0040506904-1

मैं, मोनिका सिंह धर्मपत्नी अरुण पाल सिंह, निवासी भूतल-64, वरदान अपार्टमेंट्स, अभय खंड-3, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र. घोषित करती हूं कि भविष्य में समस्त प्रयोजनार्थ, मोनिका के नाम वाले तमाम दस्तावेज व अभिलेख मोनिका सिंह से संबद्ध होंगे।

I, 15158388H NK A.Vamshidhar Babu S/o Muktheswarrao Laxminaryan Babu R/o-H No.1-16137/67/1 Naga-Laxmi Nagar-Colony, Near-Mallator, PO-Nacharam, Teh-Uppal, Distt.-Rangareddy, Telangana-500076,have declare that in my service records my name has been written as A.Vanshidhar Babu instead of correct-name A.Vamshidhar Babu.in future I will be known as A.Vamshidhar Babu.for all future purpose.
0040506974-5

I, Charan Jeet Singh S/O Begram Singh H.No-2/8 A, 1st-Floor, JANGPURA-B, Ashram, DELHI-110014. inform that Charan Jeet (Given Name), Singh (Surname).
0040506972-7

I Shilpi Aggarwal W/O Neeraj Aggarwal R/O-2a/603 Rang-Rasayan Apartment Sector-13 Rohini Delhi-110085., Have Changed My Name To Shilpy Aggarwal.
0040506963-2

I, Kulbhushan S/O Lekh Raj R/o B-8/18, Sector-11, Rohini, Delhi-85 Have Changed My Name To Kulbhushan Goyal.
0040507033-5

I Ram Kashyap S/o Ganga Singh R/o 225/11 Rajpura Gurmandi Delhi-110007 have changed my name to RAM NIWAS
0040506930-2

I Rajvir Singh S/o Late Sh.Mahendra Singh R/o A-52, Sainik Nagar, Uttam Nagar, New Delhi informs that my wife correct name is Usha, inadvertently her name mentioned Usha Sharma in my service documents.
0040506902-2

I Poonam Kumari D/O Vishamanath Verma R/O-280 Prahal-Adgarhi Vasundhra-Ghaziabad-201012 Up.,Have Changed My Name., From Pramila To Poonam Kumari., For All Purposes.
0040506963-3

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients Mr. SUNHARI LAL S/o Late BALWANT SINGH Mrs. OMWATI W/o Late SUNHARI LAL both R/o H. No. L-1st/150, SHANI BAZAR Road, SANGAM VIAHAR, N.D.-62, dishonest/disinherits their son Mr. DHARAM PAL S/o SUNHARI LAL & duaghter in Low Mrs. Manju W/o Mr. Dharam Pal from their all movable and immovable properties for all purposes, they have become dishonest and disobedient. My clients shall not be responsible for any act/acts and any manner whatsoever done by them. if the anybody deals with them his/her/their will to so own their costs, consequences.

Sd/-
PRABHU DAYALL (Adv.)
CH.NO. 572, Saket Court Complex
Saket, N.D.-17

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Deepinder Singh Walia S/o S. Charan Pal Singh Walia residing at S3/23 Old Mahol Nagar, 1st Floor, Tilak Nagar, New Delhi-110018 declare that name of my daughter been wrongly writtern as Bani Walia in my daughter's School Records educational documents. The actual name of my daughter is Bani Kaur Walia respectively which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

BE IT KNOWN TO ALL THAT MY CLIENT'S MR. AJAY MANDAL S/O. SH. SHOBIT MANDAL AND HIS WIFE SMT. REKHA BOTH R/O. H. NO. 4245, B-BLOCK, GALI NO. 110/3, KHASRA NO. 117/26, SANT NAGAR, BURARI, DELHI-84 HAVE SEVERED ALL SORTS OF RELATION WITH THEIR RELATIVE NAMELY HARSH KAPOOR SON OF LATE SH. RAMDASS AND HIS WIFE SMT. NENA KAPOOR BOTH R/O. K.NO. 123/9, GALI NO. 15, III RD FLOOR, CROSS ROAD, SANT NAGAR, DELHI-84. BOTH OF THEM ARE NOT UNDER THEIR CONTROL AND SUPERVISION THEREFORE, IF ANY ONE DEALS WITH THEM IN ANY MANNER WHATSOEVER IN NATURE, MY CLIENTS SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY LEGAL CONSEQUENCES, CLAIM OR FOR ANY THINGS, ACTS AND DEEDS OF ABOVE NAMED THEIR RELATIVE.

Sd/-
SUNIL KUMAR, ADVOCATE
CHAMBER NO. 14 OLD BLOCK, L. CHAMBER
SUPREME COURT OF INDIA
NEW DELHI M. No. 8800606762

PUBLIC NOTICE

It is to inform to the public at large that Mr. Aman Chopra acquired the property i.e Second Floor without roof rights, on Plot No. B-1/10, at DLF Dilshad Ex-II, Village Barhampur @ Bhopura Ghaziabad, U.P. vide Sale Deed dt. 18.06.2012 executed by Mr. Anmol Puri, in that sale deed dt. 18.06.2012 address mentioned as second floor with roof rights by mistake, correct address is Second floor without roof rights and Mr. Aman Chopra is the undisputed owner of said property till date. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance however or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

AJAY GIRI-ADVOCATES
H.No. 12, Basement, Vikram Vihar Extn.,
Lajpat Nagar-4, New Delhi-24

PUBLIC NOTICE

FREEHOLD PROPERTY NO. C- 57, SECOND FLOOR LAJPAT NAGAR - I, NEW DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India**, my client(s) entered in to Agreement to Sell dated 25/05.2019 executed by (1) Shri Harpal Singh (2) Smt. Hardeep Kaur (3) Shri Navpreet Singh in favor of **Shri Tajinder Pal Singh & Smt. Manjit Kaur**

My Client Shri Tajinder Pal Singh is already owner & in possession of the Entire First Floor vide Partition Deed dated 10.10.2014 executed between (1) S. Daljit Singh (2) S. Tajinder Pal Singh (3) S. Gurbux Singh (4) S. Harpal Singh (5) S. Navpreet Singh duly registered vide Regd. No. 9528, dated 13.10.2014.

It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank, financial Institution having claim, any charge, interest or lien or claim on the basis of documents / court judgment or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 7 days from the day of publication, failing which the title / Transfer Deed / Sale Deed executed in favor **Shri Tajinder Pal Singh & Smt. Manjit Kaur or its nominees** shall be deemed to be clear and marketable without any defect encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms, company, financial institution / Bank.

NIRMAL KUMAR (Advocate)
Mobile -8537894197, Email: [illegible]

खोया+पाया

मीना सलवान पत्नी स्वर्गीय किरनजीत सलवान मेरे ओरिजनल डिमांड लेटर, एलोटमेन्ट लेटर, साईट पजेशन एवं पजेशन स्लिप थी खो गयी है जिसका पता 198-ए, ग्राउन्ड फ्लौर, पाकेट-एफ, एम.आई.जी. फ्लैट, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093 है। जिसे मिले उक्त पते पर भेजने का कष्ट करें।

प्रोपर्टी न. X/1453 गली न. 3-ए, झील, राजगढ़ कालोनी, गांधीनगर दिल्ली-110031 के सभी कागज (रजिस्ट्री) कहीं खो गये हैं, जिसे मिले उपरोक्त पते पर सूचित करें। सचिन जैन पुत्र रवि कुमार जैन# 9136151284, 9312587914

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Senior Secondary Examination of Year 2017-18, Roll No.9196366 issued by CBSE has been actually lost. Name of the candidate: Naman Pawar S/o Kamal Singh Pawar, R/o 39 Ber Sarai, New Delhi, Contact-7840016911
0040506977-1

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Senior Secondary Examination of Year 2012, Roll No.9175856 issued by CBSE has been lost. Name: Rahul Kumar, R/o 16/147, Dakshinpuri, New Delhi-110062, Contact-7532848775
0040506899-1

Original Sale Deed of the Property bearing No.B-4/35, Basement, Safdarjung-Enclave, New Delhi-29 Registered at the Office of Sub-Registrar-IX, New Delhi, vide Book.No.86410 from page 1 to 14 dated-21.10.2004 has been lost.NCRs in this regard have been lodged in PS Crime Branch, Delhi vide LR No.1270680/2019 on 15.07.2019 & LR. No.1358277/2019 dated-06.08.2019. Founder is requested to inform/return to the owner Ms.Gunita Daswal at-9810289709.
0040507001-8

I, SHIVANI D/o yash pal R/o-D-392, New Sanjay Amar Colony, Shahdara Delhi-32. Have lost my original certificate class-10th year-2017 Roll no-8611036, CBSE, Delhi.
0040507046-6

I,Mohammad Nadeem Khan S/o-Mohammad Ishaq Khan,R/o-Jade Export,Behind Akanksha Autombile,Delhi-Road,Moradabad,U.P.-244001,property Documents, i.e.-Builder Buyer Agreement ,Allotment Letter,Payment Receipt for Flat-No.1305, Tower-1,Ashiana Upvan, Ahinsa Khand-II,Indira puram, Ghaziabad.Finder contact.# nadeem@jadeexports.com
0040506910-2

I, Tsering Tashi S/o Lt. Sh. Dorjee Khandu R/o-J-1297, Ansal Palam-Vihar, Gurugram-Haryana have lost Original-Property documents i. e Possession-letter No.OC/PL/799/12 dated-7-3-2012, Allotment-letter, Flat-Buyer Agreement dated-22nd September-2006, Payment-Receipts, Transfer-Endorsement Document dated-5th-March-2012 of Property.Ph-4, OC-7, Orange County Indirapuram, Ghaziabad-201014 were lost on.15/3/2019 at Ansal Palam-vihar Gurugram finder Contact-9810076053
0040507001-9

I, Amit Kumar S/o Chandra Pal Singh R/o-612, Neelgiri Apartment, Kaushambi Ghaziabad-U.P lost my original M.Sc Degree Physics Year-2005 Roll No.110662092, CCS University Meerut
0040507001-7

PUBLIC NOTICE

Be it known to all public in General that my client Ashok Sawhney S/o Sh. Harban Lal R/o WZ-195A, Street No. 11, Shiv Nagar, Janakpuri, New Delhi-58 has severed all relations with his Son Rajan and debarred him from all his moveable & immoveable properties due to his mentally illness. Anybody dealing with him in any manner shall do so at his/their own risk & responsibility/consequences. My client & his family members shall not be responsible for his acts and deeds.

Mohinder Dhawan (Advocate)
D-643/97 (R), Bar Room No. 1,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरे मुव्वकिल श्री परशुराम सिंह पुत्र श्री बक्शीस सिंह एवं उनकी पत्नी रीता सिंह, दोनों निवासीगण सी-360, अगर नगर प्रेम नगर-3, किरारी सुलेमान नगर, सुल्तानपुरी सी ब्लाक, नोर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110086, ने अपने बड़े पुत्र आनन्द कुमार, पत्नी स्वाति, पुत्री दिव्या, निवासीगण सी-360, अगर नगर प्रेम नगर-3, किरारी सुलेमान नगर, सुल्तानपुरी सी ब्लाक, नोर्थ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली-110086 से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं एवं उन्हें अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों (दिल्ली एवं दिल्ली से बाहर) से बेदखल कर दिया है। यदि कोई भी व्यक्ति उनके उक्त पुत्रों एवं उनके परिवार से कोई भी लेन-देन या मतलब रखता है तो अपनी जिम्मेदारी एवं जोखिम पर ऐसा करेगा। मेरे मुव्वकिल अपने उक्त पुत्रों एवं उनके परिवार के सदस्यों के किसी भी कृत्य के लिये जिम्मेदार नहीं होंगे।

Sd/-
RAMESH KUMAR
Advocate
Enrolment No. D/2421/99

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मुकुट लाल पुत्र श्री हरचंद राय Residential Freehold Flat No. F-2, Plot of land comprised in Khasra No. 215/18/1, Situated under Hadh Nagar Parishad, Agra Chowk, Palwal, Tech & Distt. Palwal, Haryana को खरीद रही हैं, इस मकान का बैनामा दिनांक 02.04.99 वसीका नं. 6 जो कि श्री बीरेंदर जैन पुत्र श्री अमरनाथ जैन एवं श्रीमती इंदिरा जैन पत्नी श्री जितेंदर जैन द्वारा श्री संजय टंडन पुत्र श्री कैलाश टंडन एवं कैलाश टंडन पुत्र श्री काली चरण के पक्ष में की गयी है गुम है जिसकी Lost Property Report दिनांक 04.08.19 को दर्ज की गई है, यह संपत्ति M/s Canfin Homes Ltd. के पास बंधक होने जा रही है, यदि किसी को यह दस्तावेज प्राप्त होते हैं तो निम्नलिखित को 15 दिन के अंदर सूचित करें:

इंदु कॉल अधिवक्ता
मोबाइल नं. 9899064376
चैम्बर नं. 369, 394 & 376
पटियाला हाउस कोर्ट,
नई दिल्ली

अब कानून बन गया है, सभी को पालन करना चाहिए : जद (एकी)

पटना, 8 अगस्त (भाषा)।

नरेंद्र मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के फैसले का संसद के दोनों सदनों में विरोध करने के बाद बिहार में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही जद (एकी) ने बुधवार को कहा कि अब इसको लेकर कानून बन गया है लिहाजा सभी को उसका पालन करना चाहिए। जद (एकी) के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में पार्टी नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने यहां कहा कि अब चूंकि यह विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, इसलिए यह कानून बन गया है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संसद में विधेयक पारित होने के साथ जो कानून लागू हुआ है, वह देश का कानून है। इसे सभी को मानना चाहिए। इसे पहले भी पर भाजपा के साथ हमारे मतभेद हमेशा ज्ञात रहे हैं और हमने समर्थन में मतदान नहीं करके अपना विरोध दर्ज कराया। संसद के दोनों सदनों में जद (एकी) के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का विरोध करते हुए बहिर्गमन किया था। सिंह ने कहा कि हम लोहिया और जेपी जैसे समाजवादी हस्तियों के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं, ऐसे में अपनी वैचारिक स्थिति के मद्देनजर हम विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते थे। विधेयक लाने से पहले केंद्र द्वारा हमसे परामर्श नहीं लिया गया था।

उन्होंने कहा, 'अब जबकि विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, हम आगे वैचारिक मतभेद में शामिल नहीं होना चाहते। अब, हमारी चिंता यह है कि जम्मू-कश्मीर के लोग केंद्र के बेहतर शासन के वादे का लाभ हासिल कर सकें।'

जद (एकी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के विश्वासपात्र माने जाने वाले सिंह ने यह भी कहा, 'हमारे वैचारिक मतभेदों का बिहार में राजग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन बरकरार है और हम अगले साल एक साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे हैं।'

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरे मुवक्किल बनवारी लाल पुत्र स्व. गोपीराम एवं श्रीमति वेदो देवी पत्नी श्री बनवारी लाल, निवासीगण 12-ए/4, त्रिलोकपुरी, दिल्ली ने अपने पुत्र राहुल एवं इसकी पत्नी पूनम को अपनी हर चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिए हैं क्योंकि वे मेरे मुवक्किल के आज्ञाकारी नहीं रहे हैं और उनका व्यवहार मेरे मुवक्किल एवं उनके परिवार के प्रति ठीक नहीं है। मेरे मुवक्किल को उनसे खतरा है। अतः भविष्य में वे अपने समस्त कार्यों व लेन-देन के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे, मेरे मुवक्किल व उनके अन्य परिवारजनों का कोई लेना-देना नहीं होगा।

हस्ता./-
जी.एल. गोस्वामी (अधिवक्ता)
3530, कुतुब रोड, दिल्ली- 06

PUBLIC NOTICE

My client Mr. Rajinder Kadyan S/o. Shri Ram Narayan R/o. B-1, Tehsil Road, Najafgarh, New Delhi -110043, is changing his name to Rajinder Singh. It is hereby informed to public at large that my client will now be known as Rajinder Singh instead of Rajinder Kadyan, S/o. Sh. Ram Narayan Singh R/o. B-1, Tehsil Road, Najafgarh, New Delhi - 110043 in future for all references.

ARUN KUMAR SHARMA-ADVOCATE
Ch. No. 444, Dwarka Court Complex,
Sector-10, New Delhi -110075

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my client Deepankar Dutta S/o Late Shri S.P. Dutta & Smt. Gopa Dutta W/o Deepankar Dutta R/o B-206, PMO Appartment. C-58/20, Sector 62, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P. do hereby disown and debar his Son Deepansh Dutta from all his movable and immovable properties with immediate effect because he is out of control of my client. Anybody dealing with him shall be doing so at his/her/their own risk cost and responsibility.

Sd/- B. B. N. DEO, ADVOCATE
SR-II,B.Campus,Janakpuri,N.Delhi-58

PUBLIC NOTICE

Be it known that my clients (1) **BHARAT BHUSHAN S/O SH. MAHARAJ KISHAN (2) SMT. RAMA W/O SH. BHARAT BHUSHAN BOTH RESIDENT OF WZ-1033-A, GROUND FLOOR, RAMA MANDIR, NEAR GURUDWARA RANI BAGH, DELHI- 110034** have disowned and severed all their relation with their son namely **NITIN AND HIS WIFE SWATI GUPTA AND THEIR TWO CHILDREN SHUBH AND CHAITANYA** and debarred them from their movable and immovable properties/assets due to their misbehaviour. Any body dealing with them in civil and criminal matter shall be doing in his/her/their own risk, cost and responsibility.

AMIT KUMAR (ADVOCATE)
ENRL NO. D-0637/2018

PUBLIC NOTICE

This is to inform to public at large that my client Sh. Vinod Kumar and Smt. Shamboo R/o KD 263, DDA MIG Flats Pritampura, Delhi-34 have severed all relationship from their son namely Mr. Abhinav Sambher along with his wife Mrs. Mansi Mullick have debarred and disowned them from all their moveable and immovable properties owned by above said clients any person dealing with them will do so at their own risk, my clients will not be responsible for their acts, deeds from now onwards.

RITU VERMA (ADVOCATE)
Enrl No:- D/1126/92

PUBLIC NOTICE

Be it known to general public that my client Saleha Khatoon W/o Late Mohd Hasad Ansari R/o D-56, 3rd Floor, Near Chaudhary Complex, Batla House, Jamia Nagar, New Delhi has severed all her relations with her son Mujahid Ashraf & Daughter in law Adiba Ashraf & disowned them from all her moveable & immovable properties & also from other consideration of any kind whatsoever may be related to them. My client as well as her family including sons Rashid & Zahid Ashraf & their wives shall not have any relation or concern nor shall be responsible for any acts, deeds done by Mujahid Ashraf & Adiba Ashraf in any manner.

Ayub Khan (Advocate)
Ch. No. 301, Saket Court, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

Be known to all men and women by way of this Public Notice that my clients (1) Shri Suresh Kumar S/o Shri Bhanwar Singh and (2) Smt. Sushila W/o Shri Suresh Kumar both R/o RZ-19C/7, Gali No.2, Main Sagar Pur, New Delhi-110046 have broken all relationship with their son Shri Rahul Singh @ Rahul Singh Dhama on account of his misconducts and as such they would not be responsible for his any misdeeds or borrowerings, therefore, if anybody would be dealing with him, he/she would do at his own risks and costs for which my clients shall not be responsible.

Abhishek Mangla (Advocate)
Ch.No.574, Patiala House Court
New Delhi-110001

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर हवाई अड्डे से लौटाया गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद गुरुवार को कश्मीर पहुंचे लेकिन उन्हें श्रीनगर हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया और वापस दिल्ली भेज दिया गया। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वह कांग्रेस के स्थानीय-नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे।

अधिकारियों के मुताबिक आजाद के साथ जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे। दोनों नेताओं को श्रीनगर एअरपोर्ट पर रोक लिया गया। आशंका जताई गई कि सरकार के विरोध में विपक्ष के नेता राज्य में विरोध प्रदर्शनों के लिए लोगों को उकसा सकते हैं। इसे देखते हुए उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई और अगली ही उड़ान से वापस भेज दिया गया।

इसके बाद दिल्ली में आजाद ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार के इस दावे का खंडन किया है कि राज्य में हालात शांत हैं। इस मुद्दे पर आजाद ने एक विवादास्पद बयान भी दे दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बुधवार को शोपियां में आम लोगों से मुलाकात की थी। इस पर आजाद ने आरोप लगाया कि पैसे देकर लोगों को साथ लिया जा सकता है।

गुमशुदा की तलाश

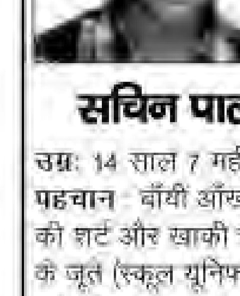

सचिन पाल

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़का (फोटो में प्रदर्शित) जिसका **नाम** सचिन पाल **पुत्र** श्री चंदन पाल **निवासी** मकान न. जे-24, गली न 12, चेतन बस्ती आनन्द पर्वत, दिल्ली तथा **स्थायी पता** : गाँव चौहान पुरवाँ, मझु महुजा, थाना हैदर गंज, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, जो दिनांक 01.08.2019 से लापता है। इस संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 168 / 19 दिनांक 02.08.2019 धारा 363 भा.द.स. थाना आनन्द पर्वत, दिल्ली में दर्ज है। जिसका शारीरिक विवरण इस प्रकार है:-

उम्र: 14 साल 7 महीने, **कद**: 4'5'', **रंग** : गेहुंआ, **चेहरा** : लम्बा, **शरीर** : पतला, **पहचान** : बाँयी आँख के ऊपर तिल का निशान है, **कपड़े** सफेद रंग की फूल बाजू की शर्ट और खाकी रंग की सण्डो बनियान व ग्रे रंग की पेन्ट और पैरों में काले रंग के जूते (स्कूल यूनिफॉर्म) पहने हुए है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस लापता लड़के के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें। ईमेल: cic@cbi.gov.in वेबसाइट http://cbi.nic.in

थानाध्यक्ष
थाना आनन्द पर्वत, दिल्ली
मध्य जिला, दिल्ली
दूरभाष 011-28762468, 28764807

फोन: 011-24368638, 24368641
फैक्स नं.: 011-24368639
DP/6486/CD/19

दिल्ली के दो और बागी विधायकों की सदस्यता रद्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

आम आदमी पार्टी (आप) के दो और बागी विधायकों की सदस्यता गुरुवार को विधानसभा ने रद्द कर दी है। बागी विधायकों में देवेंद्र सेहरावत व अनिल बाजपेयी शामिल हैं। आरोप है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ली थी। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल पहले ही इनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला सुना चुके थे। इसके बाद गुरुवार को इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के आदेश विधानसभा सचिव सी. वैलमुर्गन ने आदेश जारी किए। बीते सप्ताह ही विधानसभा ने एक अन्य बागी विधायक कपिल मिश्रा की सदस्यता समाप्त की थी।

'आप' विधायक अनिल कुमार ने गांधी नगर विधानसभा से 'आप' के चुनाव चिन्ह पर अपनी जीत दर्ज कराई थी। आदेशों में कहा गया है कि 3 मई 2019 से ही इनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त देवेंद्र सेहरावत जो भी बिजवासन क्षेत्र से 'आप' के विधायक हैं। उनकी सदस्यता को 6 मई से समाप्त किया गया है। इस मामले में ट्वीट कर 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बहुत खशी से आपको बताना चाहता हूं कि मेरी याचिका पर अनिल बाजपेयी देवेंद्र सेहरावत को दलबदल करने के लिए उनकी विधायकी रद्द हो गई है।

इस मामले में देवेंद्र सेहरावत पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और विधानसभा में की गई इस याचिका को चुनौती दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि दलबदल कानून के तहत मामले में अदालत ने इनकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

मुफ्त वाईफाई चुनावी स्टंट : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से आम जनता को मुफ्त वाईफाई सुविधा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनावी स्टंट बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि 'आप' सरकार का कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है और अब दिल्ली सरकार जनता को मुफ्त वाईफाई देने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनता को ठगना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया है और अब जब चुनाव सिर पर हैं तो जनता के लिए ऐसी योजनाएं लाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते साढ़े चार साल में दिल्ली की जनता 'आप' के कामकाज की शैली को समझ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पांच साल तक दिल्ली सरकार ने मुफ्त वाईफाई का नाम नहीं लिया। 'आप' ने 70 वादे किए थे, इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है।

इग्नू में आजाद हिंद फौज के सैनिकों का हुआ सम्मान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 77वीं वर्षगांठ के मौके पर आजाद हिंद के सैनिकों का उनकी बहादुरी, साहस और देश की स्वतंत्रता में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजीमेंट की लेफ्टिनेंट भारतीय चौधरी उर्फ आशा सहाय, आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट बीएन पांडेय और लेफ्टिनेंट आर माधवन शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र की ओर से बीआर आंबेडकर सम्मेलन केंद्र में आयोजित दो दिवसीय सेमीनार 'संग्रहालयों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की झलक' के उद्घाटन के मौके पर इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 'प्रशंसा–पत्र' दिया।

नई डेयरी नीति बनेगी : राय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने गाजीपुर डेयरी फार्म का दौरा किया। राय ने कहा कि सरकार दिल्ली की सभी डेयरी फार्म के लिए एक नीति बनाने जा रही है ताकि सभी डेयरी को नियम और कानून के तहत लाया जा सके। उन्होंने कहा कि कई महीने से लोग दिल्ली नगर निगम और पशु पालन विभाग के अधिकारियों की ओर से परेशान करने की शिकायत कर रहे थे। उन्होंने पशु पालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नई नीति बनने तक डेयरी फार्म का कोई चालान नहीं करें।

उठावनी

श्रीमती सुषमा स्वराज

शुक्रवार, 9 अगस्त 2019, 4 से 5 बजे (सांय)
डॉ. अम्बेडकर इंटरनैशनल सेंटर
15, जनपथ रोड नई दिल्ली-110001

बांसुरी स्वराज
स्वराज कौशल

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस नई दिल्ली–110019
फोनः 011-41732000 / 41792800
वेबसाइटः www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आईएफसीआई लांग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड सीरीज-II, III, IV और V प्रमाणपत्र निवेशकों को प्राप्त नहीं हुए हैं / गुम हो गए हैं:–

क्र. सं.	धारक का नाम	फोलियो सं.	बांडों की सं.	विकल्प	प्रमाणपत्र सं.	डिस्टिंक्टिव सं. से–तक
इन्फ्रा सीरीज-II (बीटल)						
1	रोहित बंसल	2077474	4	II	2040912	304111 – 304114
2	कुमार सिंह नेगी	2097298	4	II	2051710	346186 - 346189
3	मनमोहन सिंह भल्ला (मृतक) कमलेश भल्ला – दावेदार	2061285	4	II	2031279	266053 – 266056
4	दीपक नायक	2013157	4	II	2005834	166166 – 166169
5	एस एन रामपाल – (मृतक) राहुल पुरी – दावेदार	2041860	4	II	1006591	25888 - 25891
इन्फ्रा सीरीज-III (कार्वी)						
1	नरेंद्र ग्रोवर	INA0008456	4	I	9922	39224-39227
इन्फ्रा सीरीज-IV (कार्वी)						
1	प्रशांत चन्द्र वर्मा	INB0049339	4	I	49339	195077-195080
2	अनीषा अतुल धोंगडे	INB0028747	4	I	28747	114023-114026
3	चिंतामन नारायण हेड़ाऊ	INB0000203	4	I	203	802-805
4	सुनिता चिंतामन हेड़ाऊ	INB0009789	4	I	9789	38861-38864
5	इस्तियाखुसेन चौहान	INB0050653	4	I	50653	200029-200032
इन्फ्रा सीरीज-V (कार्वी)						
1	मधु कपूर	INC0023462	4	I	23462	92811-92814
2	अरुण कुमार कपूर	INC0030094	4	I	39586	118895-118898
3	गीता शाक्य	INC0008068	4	I	8068	31982-31985
4	नीलम सिन्हा	INC0000079	4	I	39728	308-311
5	कश्यप जयंतीलाल कोटक	INC0206143	4	III	206143	24211-24214

उपर्युक्त बाण्डों के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आईएफसीआई लिमिटेड को आवेदन किए गए हैं। ऊपर निर्दिष्ट बाण्ड प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा अन्यथा संव्यवहार करने के प्रति सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सचेत किया जाता है। यदि कम्पनी / रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., नई दिल्ली को सीरीज-II और कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को सीरीज-III, IV और V के लिए इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो बाण्डधारकों को डुप्लिकेट बाण्ड प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएंगे और आईएफसीआई लि. द्वारा तदनुरूपी मूल बाण्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि.
बीटल हाउस, तीसरा तल, 99 मदनगीर,
एलएससी के पीछे, नई दिल्ली–110062
फोनः 011-29961282-83

मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टॉवर–बी, प्लॉट नं 31
और 32, गाचीबॉली, फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, सेरलिंगमपल्ली,
हैदराबाद–500032 फोनः 040-23420818,

आईएफसीआई लि. के लिए और उसकी ओर से

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि.
रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स
ह./–
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स
ह./–
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08.08.2019

उर्जित भारत की हरित यात्रा
समृद्धता की ओर

PETRONET LNG LIMITED

30.06.2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	एकल				समेकित			
		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
		30.06.19 अंनकेक्षित	31.03.19 अंकेक्षित	30.06.18 अंनकेक्षित	31.03.19 अंकेक्षित	30.06.19 अंनकेक्षित	31.03.19 अंनकेक्षित	30.06.18 अंनकेक्षित	31.03.19 अंकेक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	8,61,344	8,38,320	9,16,915	38,39,543	8,61,344	8,38,320	9,16,915	38,39,543
2	कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ	83,792	65,451	90,118	3,23,358	83,959	67,969	91,977	3,30,871
3	कर पश्चात् सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ	56,027	44,020	58,697	2,15,543	56,194	46,538	60,556	2,23,056
4	कुल समेकित आय	56,027	43,870	58,697	2,15,393	56,192	46,334	60,556	2,22,853
5	इक्विटी शेयर पूंजी	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
6	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)				8,56,607				8,73,058
7	प्रति शेयर अर्जन (₹10/– प्रति शेयर के)								
	क) मूल (₹)	3.74	2.93	3.91	14.37	3.75	3.10	4.04	14.87
	ख) द्रवित (₹)	3.74	2.93	3.91	14.37	3.75	3.10	4.04	14.87
		वार्षिकीकृत नही			वार्षिकीकृत	वार्षिकीकृत नही			वार्षिकीकृत

नोटः
1. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल ने 7 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया है।
2. कम्पनी ने दहेज में 25 जून, 2019 को रु. 39,917 लाख के अतिरिक्त पूंजीकरण के साथ अपनी क्षमता को बढ़ाकर 15 से 17.5 एमएमटीपीए कर दिया है।
3. उपरोक्त सेबी (सूचीयन एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विवरणों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और कम्पनी की वेबसाइट (www.petronetlng.com) पर उपलब्ध है।

दहेज टर्मिनल की क्षमता में 15 एमएमटीपीए से 17.50 एमएमटीपीए तक विस्तार

दहेज टर्मिनल से अब तक का उच्चतम थ्रुपुट 217 टीबीटीयू

बोर्ड के आदेशानुसार
ह0/–
वी. के. मिश्रा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन– 081252144

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07 अगस्त, 2019

सीआईएनः L74899DL1998PLC093073
पहला तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली–110001
www.petronetlng.com

PETRONET LNG FOUNDATION
ईमेल : info@petronetlngfoundation.org
वेबसाईट : www.petronetlngfoundation.org
सीआईएन : U85320DL2017NPL315422

Taral GAS

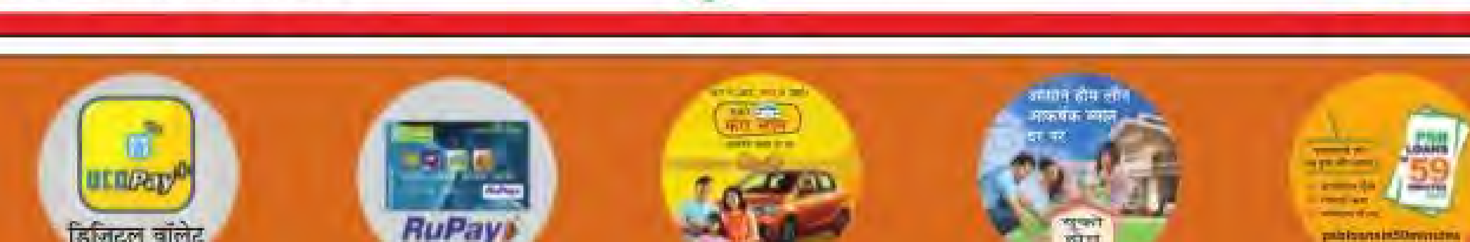

परिचालन लाभ 1.63%
एनआईआई 8.71%
कासा % 41.37%
एनएनपीए% 8.98%

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही का समीक्षित वित्तीय परिणाम (₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	30.06.2019 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	30.06.2018 को समाप्त तिमाही (समीक्षित)
1.	परिचालन से कुल आय (निवल)	444661	1584414	436088
2.	अवधि के दौरान निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवाद और/या असाधारण मदों के पूर्व)	-60145	-430572	-59911
3.	अवधि के दौरान कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के पश्चात)	-60145	-430572	-59911
4.	अवधि के दौरान कर पश्चात निवल लाभ/(हानि) (अपवाद और/या असाधारण मदों के पश्चात)	-60145	-432108	-63388
5.	ईक्विटी शेयर पूँजी	736220	542340	395514
6.	आरक्षित निधि (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में यथा प्रदर्शित पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि को छोड़ कर)	602122	602122	516525
7.	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- का) (चालू एवं रुद्ध परिचालनों के लिए) -			
	1. आधारभूत :	-0.87 #	-11.16 #	-2.08 #
	2. डाइल्यूट किया गया :	-0.87 #	-11.16 #	-2.08 #

औसत आधार पर भारित

नोट : उपर्युक्त विवरण सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। (बीएसई : www.bseindia.com और एनएसई : www.nseindia.com), बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com)।

कृते यूको बैंक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 08.08.2019

हस्ताक्षर
अजय व्यास
कार्यपालक निदेशक

हस्ताक्षर
चरण सिंह
कार्यपालक निदेशक

हस्ताक्षर
अतुल कुमार गोयल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

www.ucobank.com
टोल फ्री हेल्प लाइन नं : 1800 274 0123

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

व्यावसायिक भूखंड के सर्किल रेट में 21.5 फीसद की कमी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 8 अगस्त।

शहर में गुरुवार से नया सर्किल रेट लागू हो गया है। जीबीनगर डॉट एनआइसी डॉट इन पर नए सर्किल रेट देखे जा सकते हैं। शहर में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक भूखंडों के सर्किल रेट में 21.5 फीसद की कमी कर बड़ी राहत दी गई है। मॉल में सेंट्रल एसी व एस्केलेटर पर लिया जा रहा 25 फीसद अधिभार समाप्त कर दिया गया है। ग्रुप हाउसिंग, बहुमंजिला इमारतें, फ्लैटों में सामुदायिक केंद्र या क्लब, तरणताल व जिम आदि की सुविधाओं पर लगने वाला छह फीसद अधिभार भी नहीं लगेगा। ग्रेटर नोएडा, दादरी व जेवर इलाके में वाणिज्यिक भूखंड व संपत्तियों के सर्किल रेट में वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा जिले में आइटी, आइटीएस, संस्थागत में निर्मित वाणिज्यिक संपत्तियों के रेट पहले जितने रखे गए हैं। आवासीय भूखंड, ग्रुप हाउसिंग भूखंड, औद्योगिक भूखंड एवं राजस्व गांवों में कृषि व आवासीय भूखंड के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

प्रस्तावित सर्किल रेट पर जिलाधिकारी ने जनता से आपत्तियां मांगी थीं। इसको लेकर कुल 12 आपत्तियां आई थीं। गत दिनों हुए बैठक में सभी आपत्तियों को निस्तारित कर प्रस्तावित सर्किल रेट तय कर दिए गए थे। संपत्ति पुनरीक्षण मूल्यांकन समिति ने संपत्ति की वास्तविक कीमत के साथ प्राधिकरण के सुरक्षित मूल्य के बराबर सर्किल रेट रखे हैं। चूंकि पिछले चार साल में कई योजनाएं निकाले जाने के बावजूद नोएडा में किसी बड़े वाणिज्यिक भूखंड की बिक्री नहीं हुई है। इसके चलते वाणिज्यिक संपत्ति की बिक्री में तेजी लाने और राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर्किल दर कम की गई हैं। जिसके तहत एकल वाणिज्यिक भूखंडों के सर्किल दर में 21.5 फीसद की कमी कर दी गई है। एकल से भिन्न वाणिज्यिक संपत्तियों समेत गांव स्थित फ्री होल्ड वाणिज्यिक भूमि पर औसतन 21 फीसद सर्किल दर कम हुई हैं। मॉल में सेंट्रल एसी व एस्केलेटर पर लगने वाले 25 फीसद अधिभार समाप्त कर दिए गए हैं। ग्रुप हाउसिंग, बहुमंजिला इमारतें, फ्लैट व अपार्टमेंट में सामुदायिक भवन, क्लब, तरणताल व जिम पर लगने वाला दो-दो फीसद, कुल छह फीसद अधिभार समाप्त कर दिया गया है।

- मॉल में सेंट्रल एसी व एस्केलेटर पर लिया जा रहा 25 फीसद अधिभार भी हुआ समाप्त
- ग्रुप हाउसिंग, बहुमंजिला इमारतें, अपार्टमेंट की सुविधाओं पर लगने वाला छह फीसद अधिभार खत्म
- अन्य संपत्तियों को लेकर पहले के बराबर रखा गया है सर्किल रेट

प्रतिबंधित जमीन की रजिस्ट्री करने का आरोप, सब रजिस्ट्रार निलंबित

प्रतिबंधित और अधिग्रहित जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने के मामले में नोएडा के सब रजिस्ट्रार हेमेंद्र कुमार को प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम बीएन की संस्तुति शासन ने सब रजिस्ट्रार हेमेंद्र को निलंबित किया है। हेमेंद्र पर उन जमीनों की रजिस्ट्री करने की शिकायतें मिल रही थीं, जो ग्राम सभा व नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित हैं। ये वो जमीनें हैं, जिन पर प्राधिकरण या प्रशासन का कब्जा है। नियमानुसार वे केवल राजकीय श्रेणी 12 व 62 अंक की रजिस्ट्री कर सकते थे लेकिन उन्होंने प्रतिबंधित राजकीय श्रेणी में 11 अंक की रजिस्ट्री भी की। जुलाई में 21 संपत्तियों की रजिस्ट्री छह से 27 जुलाई के बीच एक ही गांव बसई ब्रहउदीन नगर की हुई। जिन जमीनों की रजिस्ट्री की गई, उनके खसरा नंबर की जांच रिपोर्ट सहायक महानिदेशक, प्रथम ने जिलाधिकारी को दो अगस्त को भेजी।

व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

कैट ने भारत सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से मिलकर देश भर के व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने का एक राष्ट्रीय अभियान गुरुवार को शुरू किया। इस मौके पर सीएससी के मुख्य कार्यकारी निदेशक दिनेश त्यागी, कैट महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, एचडीएफसी की ई-कामर्स विभाग की प्रमुख समृता भगत, मास्टर कार्ड के प्रमुख रवि अरोड़ा भी मौजूद थे।

बकौल खंडेलवाल पहले तीन महीने में एक लाख व्यापारियों को जोड़ने की योजना है। ये व्यापारी अपनी मौजूदा दुकानदारी के साथ-साथ ऑनलाइन सेवाएं भी शुरू कर देंगे। मसलन चांदनी चौक या सदर के व्यापारी अपनी छुट्टी या बंदी वाले दिन भी अपनी बिक्री ऑनलाइन जारी रखेंगे। इस अभियान के अंतर्गत कैट देश भर के 7 करोड़ व्यापारियों को डिजिटल तकनीक से जोड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर, एचडीएफसी बैंक, मास्टर कार्ड, और ग्लोबल लिंकर्स ने साझेदारी की है। यह पहली जमीनी पहल है, जो ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को बदल देगी और छोटे व्यापारियों और व्यापारियों को पूरे देश के स्थानों में भी लाभान्वित करेगी।

'चिकित्सा के क्षेत्र में एनएमसी बनेगा मील का पत्थर'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने प्रेस कांफ्रेंस करके एनएमसी को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक अधिनियम करार दिया। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि इससे देश की चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और देश की चिकित्सा सेवा मजबूत होगी। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सकों ने एक वीडियो जारी कर विधेयक से जुड़े सवाल उठाए हैं। एम्स सहित तमाम अस्पतालों के चिकित्सकों व मेडिकल छात्रों का कहना है कि आयोग से जुड़े मसौदे को तैयार करने में सरकार ने डॉक्टरों की भागीदारी की बात कही है हम देखते हैं कि मसौदा किस तरह का तैयार होता है, तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

चिकित्सकों व मेडिकल छात्रों के तमाम विरोध के बीच एनएमसी विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। डॉ हर्षवर्धन ने इसके बारे में उठ रहे सवालों के बाबत कहा है कि आने वाले समय में यह कानून चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि इस कानून से चिकित्सा शिक्षा के छात्रों पर दबाव कम होगा चिकित्सा शिक्षा में उन्हें संभावनाएं ज्यादा मिलेंगी। उन्होंने दावा किया कि इससे चिकित्सा शिक्षा में सीटें बढ़ेंगी व आसान तरीके से व कम शुल्क में डाक्टरी की पढ़ाई की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि विधेयक पर पांच वर्ष पहले काम शुरू हुआ जब चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रो रंजीत राय चौधरी की अगुवाई में विशेषज्ञों का समूह बनाया गया था। विशेषज्ञों के समूह ने पाया कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) सभी क्षेत्रों में विफल रही है और अत्यधिक भ्रष्ट और प्रभावहीन संस्था हो गई है। समूह ने सिफारिश की कि पारदर्शी तरीके से चुने गए स्वतंत्र नियामकों को निर्वाचित नियामकों की जगह लेनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि एनएमसी बेहद अहम संस्था होगी जो नीतियां बनाएगी और चार स्वशासी बोर्ड की गतिविधियों में समन्वय करेगी। यह बोर्ड स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा,चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग और आचार और चिकित्सा पंजीकरण का काम देखेगा। इसमें देशभर के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समान प्रवेश परीक्षा (नीट) और समान काउंसलिंग प्रक्रिया की व्यवस्था है।

उन्होंने बताया कि मौजूदा प्रणाली में हर विद्यार्थी को अंतिम वर्ष की परीक्षा देनी पड़ती है। एनएमसी अधिनियम के अंतर्गत अंतिम वर्ष की परीक्षा देशव्यापी होगी और इसे नेक्स्ट कहा जाएगा।

जांच को प्रभावित कर सकते हैं पुरी : प्रवर्तन निदेशालय

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुनवाई कर रही अदालत को गुरुवार को बताया कि अगर रतुल पुरी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में जांच प्रभावित हो सकती है। पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे हैं। पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से कहा कि रद्द हुए 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआइपी हेलीकॉप्टर के अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के संबंध में धन शोधन के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है।

सद्भावना दौड़ का आयोजन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

दलित वर्गों से जुड़ी सामाजिक संस्थाओं एवं ब्लॉक कांग्रेस समिति सुल्तान पुर माजरा द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर 20 अगस्त 2019 को पूर्व विधायक जय किशन के संयोजन में सुल्तान पुर माजरा विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में छात्र-छात्राओं के बीच सद्भावना दौड़ का आयोजन किया जाएगा।

हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

बवाना थाना क्षेत्र के खेतों में मंगलवार को एक युवक का शव मिला था। युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान इंद्रजीत, अनिल और सुमित उर्फ सोनू के तौर पर हुई है। तीनों औचंदी गांव के रहने वाले हैं।

बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार दोपहर पुलिस को बवाना खेतों में एक युवक का शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीसीआर युवक को पास के अस्पताल में लेकर गई है। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो जानकारी मिली कि युवक राज कुमार की मौत हो चुकी है। जांच के दौरान पता चला कि राज कुमार की गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में पुलिस को पता चला कि राज कुमार आरटीवी (मिन्नी बस) का कंडक्टर था। पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात चारों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान राज कुमार का इन्द्रजीत, अनिल और सोनू से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान तीनों ने मिलकर राज कुमार की गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को खेतों में फेंक कर मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी भी बस में कंडक्टर का काम करते हैं।

रिश्तेदार पर इंजीनियर की हत्या का आरोप

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

पंजाबी बाग थाना क्षेत्र में काम करने वाले एक इंजीनियर पर अपने इंजीनियर रिश्तेदार की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के साथ उसके रिश्तेदार के विवाहेत्तर संबंध थे। यही नहीं हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को करंट भी लगा दिया। पुलिस को भी करंट से मौत होने की जानकारी दी थी। पर सूचना मिलने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया तो आरोपी का झूठ पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इंजीनियर नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कारवाई कर रही है।

जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गत दिनों पंजाबी बाग पुलिस को मेडिकल एक्यूपमेंट कंपनी में करंट लगने से एक इंजीनियर की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस को नौशाद मिला, जिसने बताया था कि शकील की करंट लगने से मौत हो गई है। पर पुलिस को आरोपी के बयान और शकील के सिर के घाव को देख संदेह हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज नौशाद से पूछताछ करने लगे। उसने बताया कि शकील पेशे से इंजीनियर था। वह भी इंजीनियर है और दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। वहीं, कंपनी के मालिक ने पुलिस को बताया कि नौशाद ने ही उस रात यह कहकर उसे रात में काम करने के लिए मनाया था कि ईद में छुट्टी करनी है, इसलिए रात में ही काम करेंगे। संदेह के आधार पर पुलिस ने बुधवार को नौशाद को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शकील उसकी पत्नी का रिश्ते में मौसा लगता था। उसे पत्नी और शकील के विवाहेत्तर संबंध होने का शक था। उसने पत्नी को उससे बात करने से मना किया था, पर फिर भी वह बात करती थी। इसे लेकर पत्नी के साथ उसका झगड़ा भी हुआ था और उसने अपनी पत्नी की पिटाई भी की थी। उसे गुस्सा था कि नौ माह पहले ही शकील विदेश से भारत लौटा था और उसी ने उसकी नौकरी लगवाई थी। इसके बावजूद वह उसी को धोखा दे रहा था। नाराज हो उसने शकील की हत्या की योजना बनाई।

दिल्ली के थानों में बढ़ेंगी कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

दिल्ली पुलिस कर्मचारियों को जल्द ही थानों में डोरमेटरी, मनोरंजन कक्ष, भोजनालय और स्नानगृह जैसी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध होंगी। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आलाधिकारियों को इन सेवाओं की दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल ने पुलिस अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि जिन थानों में यह व्यवस्था लागू की जाए, उन जगहों की नियमित जांच की जाए ताकि इन सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे।

उपराज्यपाल ने विशेषतौर पर महिला कर्मचारियों के लिए अलग से प्रसाधन कक्ष व स्नानघर जैसी सुविधाएं देने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल ने कर्मचारियों की आवास संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। पुलिस ने बैठक में जानकारी दी है कि आवास सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है कि विभिन्न परियोजनाओं में पुलिस कर्मचारियों के लिए 30 फीसद आवास उपलब्ध होंगे। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों की तनाव पूर्ण जीवन से बचाने के लिए उनकी वार्षिक तौर पर स्वास्थ्य जांच कराने के भी आदेश पुलिस को दिए गए हैं। पुलिस ने बताया कि पुलिस आवासों में छोटे-छोटे कार्यों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए, गृह मंत्रालय के संपर्क में है।

वर्तमान में पुलिस के पास आवास उपलब्धता को संतुष्टिकरण स्तर 18.83 फीसद है। उपराज्यपाल को बताया गया है कि इस समय पुलिस कर्मचारियों के लिए 701 क्वार्टर निर्माणाधीन और 491 डीडीए से लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त धीरपुर परियोजना में 4865 स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए गृह मंत्रालय से समन्वय किया जा रहा है। इस बैठक में मुख्य सचिव विजय देव, दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग व पुलिस के अधिकारी शामिल हुए।

फर्जी अधिकारी बन चुराते थे गोपनीय जानकारी

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 8 अगस्त।

साइबर सेल एवं थाना बिसरख पुलिस फर्जी बैंक एवं पेटीएम मोबाइल ऐप अधिकारी बनकर आए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के सात आरोपियों ने लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी लेकर आरोपी करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। उनके कब्जे से 15 मोबाइल, लैपटॉप व आठ हजार रुपए बरामद किए गए हैं। गिरोह के दो सदस्य जिनके नाम लाल सिंह और राजू हैं पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि फर्जी बैंक अधिकारी बनकर बैंक खाता धारकों से ठगी की बढ़ती घटनाओं की पड़ताल में साइबर सेल को जांच में लगाया गया।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

साहित्य अकादमी : अखिल भारतीय आदिवासी लेखक उत्सव, सुबह दस बजे।
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : मानसून-उत्सव, सीडी देशमुख सभागार, 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे।

विविध

इंडिया हैबिटाट सेंटर : नृत्य, स्टेन सभागार, लोदी रोड, शाम सात बजे।
अगस्त क्रांति के शहीदों की याद में पैदल मार्च : गुलाब वाटिका (आचार्य नरेंद्र देव मूर्ति स्थल), इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने, सुबह 10 बजे।

CIN NO. L74899DL1990PLC041790

DAAWAT

THE FINEST BASMATI

Banega...
toh farq dikhega

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(Amount in ₹ Lakhs except per share data)

		CONSOLIDATED			
		Three months ended		Year ended	
Sl. No.	Particulars	June 30, 2019	March 31, 2019	June 30, 2018	March 31, 2019
		Unaudited	Audited (refer note 5 below)	Unaudited	Audited
1	Income				
	Revenue from operations	98,026.81	1,00,872.46	84,000.13	3,89,043.22
	Other income	505.14	884.15	1,319.58	2,410.11
	Total income	98,531.95	1,01,756.61	85,319.71	3,91,453.33
2	Expenses				
(a)	Cost of materials consumed	61,811.43	80,121.87	61,262.01	2,80,129.88
(b)	Purchases of stock-in-trade	1,691.08	499.07	1,590.00	17,143.99
(c)	Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	8,412.28	(3,529.44)	(290.74)	(3,457.40)
(d)	Employee benefit expense	4,446.92	4,338.79	3,289.46	15,188.65
(e)	Finance costs	3,729.46	4,387.21	3,153.01	13,867.58
(f)	Depreciation and amortisation expense	1,970.80	1,745.19	1,624.11	6,902.41
(g)	Other expenses	9,600.87	10,953.16	8,824.69	40,314.31
	Total expenses	91,662.84	98,515.85	79,452.54	3,70,089.41
3	Total profit before exceptional items and tax	6,869.11	3,240.76	5,867.17	21,363.92
4	Exceptional items	-	-	-	-
5	Total profit before share of profit of associates and joint ventures	6,869.11	3,240.76	5,867.17	21,363.92
6	Share of profit / (loss) of associates and joint ventures accounted for using equity method	(43.65)	62.17	(64.71)	(1.19)
	Total profit before tax	6,825.46	3,302.93	5,802.46	21,362.73
7	Tax expense				
8	Current tax	2,257.51	523.58	1,852.23	7,023.79
9	Deferred tax	25.25	595.69	(7.29)	592.39
10	Total tax expenses	2,282.76	1,119.27	1,844.94	7,616.18
11	Total profit for period	4,542.70	2,183.66	3,957.52	13,746.55
12	Other comprehensive income net of taxes				
	(i) Items that will be reclassified to profit and loss	(456.92)	1,638.23	(1,024.33)	4,085.19
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit and loss	112.85	(930.08)	753.62	(1,163.40)
	(iii) Items that will not be reclassified to profit and loss	(3.45)	0.94	-	(3.39)
	(iv) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit and loss	1.01	(0.27)	-	1.24
13	Total Comprehensive Income for the period	4,196.19	2,892.48	3,686.81	16,666.19
14	Total profit or loss, attributable to				
	Profit attributable to owners of parent	4,270.60	1,970.45	3,698.35	12,653.44
	Total profit attributable to non-controlling interests	272.11	213.21	259.17	1,093.10
15	Total Comprehensive income for the period attributable to				
	Comprehensive income for the period attributable to owners of parent	3,924.09	2,679.27	3,427.64	15,573.08
	Total comprehensive income for the period attributable to owners of parent non-controlling interests	272.11	213.21	259.17	1,093.10
16	Details of equity share capital				
	Paid-up equity share capital	3,198.45	3,198.45	3,198.45	3,198.45
	Face value of equity share capital	1.00	1.00	1.00	1.00
17	Earnings per share				
	Basic earnings per share	1.34	0.62	1.16	3.96
	Diluted earnings per share	1.34	0.62	1.16	3.96

1 In accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company has opted to publish unaudited consolidated financial results. The standalone financial results of the Company, will however, be available on the website of BSE (www.bseindia.com) or/and NSE (www.nseindia.com) and on company's website (www.ltgroup.in).

2 The Company is primarily engaged in the business of manufacturing, trading and marketing of rice which is a single primary reportable segment as per Indian accounting standard (IndAS) 108 " Operating Segment" which is in line with review of operating result by chief operating decision maker.

3 On June 7, 2014, a major fire occurred in one of the subsidiary company, Daawat Foods Limited (DFL), resulting in loss of stock of raw material (including paddy, Bardana, consumables and other items) having book value of ₹ 17,991.40 lakhs. DFL has filed an insurance claim with the insurance company amounting to ₹ 18,971.02 lakhs and had recognized insurance claim to the extent of net books value of ₹ 17,810.53 lakhs in the books of account. The insurance Company repudiated the insurance claim vide its Order dated February 04, 2016. On the basis of claim assessment reports issued by the surveyors to the insurance company and obtained by the management of the Company under Right to Information Act (RTI), as matter of prudence a loss of ₹ 4,400.00 lakhs had been recorded during the year ended March 31, 2016. DFL has filed a civil suit against the repudiation of the insurance claim and on the basis of legal opinion and other available information, the management is confident of recovery of the said claim. The auditors of the Company had invited attention to the aforementioned issue as emphasis of matter in their audit report for year ended March 31, 2019.

4 The Company has adopted Ind AS 116 'Lease', effective April 01, 2019, as notified by Ministry of Corporate Affairs ('MCA') in the Companies (Indian Accounting Standard) Amendment Rules, 2019 using modified retrospective approach. The adoption of this standard did not have any material impact on the profit for the quarter ended June 30, 2019.

5 The above financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on August 08, 2019. Figures for the quarter ended March 31, 2019 are the balancing between the audited figures for the full financial year ended March 31, 2019 and the published year to date figures upto the third quarter of the year ended March 31, 2019.

6 Previous period's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current period's classification / disclosure.

LT Foods

ROYAL Devaaya ecolife DAAWAT HERITAGE 8G ELEPHANT

A Leading Rice Based Food Company

For and on the behalf of the Board of Directors
Vijay Kumar Arora
Chairman & Managing Director
DIN. 00012203
Place: Gurugram
Date: August 08, 2019

CORPORATE OFFICE: LT Foods Ltd., 4th Floor, MVL i-Park, Sector 15, Gurugram-122001, Haryana. Ph: 0124-3055100 Fax: 0124-3055199
REGD. OFFICE: Unit No. 134, 1st Floor, Rectangle-1, Saket District Centre, New Delhi-110017 Ph: 011-29565344 Fax: 011-29563099 Email id: ir@ltgroup.in Web: www.ltgroup.in

epaper.jansatta.com

हताशा के कदम

जम्मू-कश्मीर में धारा तीन सौ सत्तर खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट चरम पर है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। किस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। इसी बौखलाहट में इमरान खान सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार खत्म करने का फैसला किया। भारतीय उच्चायुक्त को वापस जाने को कह दिया और कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने का निर्णय लिया। भारत के स्वतंत्रता दिवस को काले दिन के रूप में मनाने का भी फैसला किया है। भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पाकिस्तान जानता है कि उसके इन कदमों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके द्विपक्षीय व्यापार खत्म कर देने से भारत का नहीं, ज्यादा नुकसान उसी का होने वाला है। जब भारत ने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का तरजीही राष्ट्र का दर्जा खत्म कर दिया था और वहां से आने वाली कुछ वस्तुओं पर कर लगा दिया था तो वह बहुत हताश हुआ था। इसकी प्रतिक्रिया में उसने भी भारत से भेजी जाने वाली करमुक्त वस्तुओं पर भारी कर थोप दिया था। लेकिन इतने भर से उसने संतोष नहीं हुआ, तो उसने तरजीही राष्ट्र का दर्जा खत्म करने के फैसले को अंतरराष्ट्रीय अदालत में चुनौती देने की भी धमकी दी थी। अब उसी ने द्विपक्षीय व्यापार खत्म करने का फैसला किया है।

दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार मुख्य रूप से कश्मीर वाले हिस्से से होता रहा है। उसमें भी भारत से बहुत कम चीजें पाकिस्तान में भेजी जाती रही हैं। उनमें ज्यादातर कश्मीर में पैदा होने वाले फल, सूखे मेवे, दस्तकारी की वस्तुएं होती थीं। जबकि पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें भारत में आती थीं। इस तरह भारत को इस फैसले से कोई खास नुकसान नहीं होगा। जो चीजें वह पाकिस्तान भेजता रहा है, उनका बहुत बड़ा बाजार भारत में ही है। फिर अनेक देश उन चीजों के खरीदार हैं। जबकि पाकिस्तान की वस्तुएं अगर भारत नहीं पहुंचेंगी, तो उसे खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरे सार्क देशों के साथ भी उसके व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं हैं, सो उसे अपने माल की खपत के लिए नया बाजार तलाशना आसान नहीं होगा।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र में अपील करने के उसके फैसले की बात है, वह पाकिस्तान के पक्ष को कितनी गंभीरता से लेगा, दावा नहीं किया जा सकता। भारत शुरू से कहता रहा है कि कश्मीर समस्या उसका अंदरूनी मामला है, और वह बिना बाहरी मध्यस्थता के खुद इसका हल निकाल लेगा। इसलिए धारा तीन सौ सत्तर हटने के बाद न तो अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में कोई प्रतिक्रिया दी है और न संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज हुई है। कश्मीर को मिली स्वायत्तता संविधान के एक अस्थाई प्रावधान के तहत थी, उसे समाप्त कर भारत ने उसे संघीय ढांचे में गूंथने का फैसला किया है, तो इस पर संयुक्त राष्ट्र को भी क्या आपत्ति हो सकती है! फिर पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को घटाने से भारत को क्या नुकसान होने वाला है! यह पहला मौका नहीं है, जब पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेजने का फैसला किया है। सामान्य तनातनी की स्थितियों में भी वह इस तरह के कदम उठाता रहा है। यह कदम भी उसका हताशा में ही उठाया गया है। अगर उसे अपनी सुरक्षा की इतनी ही चिंता है, तो अपने यहां पनाह पाए आतंकी संगठनों पर नकेल कसने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

असुरक्षित सफर

भारतीय रेलगाड़ियों में असुरक्षित सफर को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि रेल महकमे के लिए ये सवाल कोई खास अहमियत नहीं रखते। वरना यह कैसे हो पाता कि चलती ट्रेनों में आपराधिक तत्त्व लूटपाट से लेकर महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देते ही रहे हैं और अब खुद रेलवे के कर्मचारी भी ऐसी घटनाओं में लिप्त होने लगे हैं। जबकि किसी आपराधिक घटना के दौरान यात्रियों को उम्मीद होती है कि ट्रेन में मौजूद रेलवे के कर्मचारी उनकी मदद करेंगे। गौरतलब है कि मंगलवार की रात दिल्ली-रांची राजधानी एक्सप्रेस में सफर करने वाली एक छात्रा शायद इस बात से आश्वस्त रही होगी कि इस स्तर की ट्रेन में जाना सुरक्षित है और उसके साथ किसी तरह की आपराधिक घटना नहीं होगी। लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कोई महिला अपने खिलाफ अपराध होने की स्थिति में मदद के लिए जिस टीटीई को बुलाती, उसने खुद ही छात्रा के साथ आपराधिक हरकत की कोशिश की। सामने आई शिकायत के मुताबिक राजधानी एक्सप्रेस में सवार छात्रा को टीटीई और वेटर ने मिलीभगत कर खाने के लिए दी गई आइसक्रीम में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया और उससे छेड़छाड़ की कोशिश की।

इस मामले में ज्यादा अफसोसनाक यह है कि आरोपों के कठघरे में टीटीई और खाना परोसने वाला एक बैरा है। सवाल है कि इन दोनों की हरकतें किसी दूसरे अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से कितनी अलग हैं? इस तरह की घटना के बाद ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के सामने एक बड़ा संकट यह खड़ा हो जाता है कि वे सामान्य अपराधियों और खुद रेलवे कर्मचारियों में कैसे फर्क करें, कैसे उनकी पहचान की जाए! खासतौर पर इसलिए भी कि दूसरी सामान्य ट्रेनों के मुकाबले राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन से सफर को अपेक्षया ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर इन ट्रेनों में भी सफर कर रही महिलाओं के साथ ऐसी घटना होती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी ट्रेनों में क्या हालत हो सकती है। इस घटना का एक पहलू ज्यादा चिंताजनक है कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के खाने-पीने के सामान में खुद ट्रेन के टीटीई और बैरे की मिलीभगत से कोई नशीला पदार्थ मिलाया जा सकता है। अब कोई यात्री और खासतौर पर कोई महिला कैसे भरोसा करे कि राजधानी एक्सप्रेस के स्तर की ट्रेन में उसे दिया गया खाना सुरक्षित है?

आए दिन ट्रेनों में होने वाली लूटपाट और छेड़छाड़ की घटनाएं कोई छिपी बात नहीं हैं। जब भी इस तरह की घटना सुर्खियों में आती है तब रेल महकमा एक रटा-रटाया आश्वासन जारी करता है कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा। लेकिन इन आश्वासनों की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद करने के नाम पर वसूले गए पैसे के बावजूद अगर आपराधिक तत्त्वों के साथ-साथ खुद ट्रेन कर्मचारी भी किसी महिला के सफर को असुरक्षित बनाने में लग जाएं तो ऐसे में क्या उपाय बचता है? यह समझना मुश्किल है कि एक ओर भारतीय रेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का दावा किया जाता है, बुलेट ट्रेन जैसी महंगी और महत्त्वांकाक्षी परियोजनाएं जमीन पर उतारने की कोशिश चल रही है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने की जरूरत प्राथमिक नहीं है कि यात्रियों का सफर कैसे सुरक्षित पूरा हो।

कल्पमेधा

अपनी निंदा सुनने वाला सारे जगत
पर विजय प्राप्त कर लेता है।
-मदनमोहन मालवीय

बाढ़ में तैरते सवाल

योगेश कुमार गोयल

बांधों के टूटने और उनमें आई दरारों के कारण हर साल बाढ़ का जो विकराल रूप सामने आता है, उसके मद्देनजर यह सवाल बहुत अहम है कि बाढ़ को प्राकृतिक आपदा का नाम देकर पल्ला झाड़ने के बजाय ऐसे बांधों की मानसून से पहले ही ईमानदारी से जांच करा कर उनकी मजबूती और मरम्मत के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाए जाते? प्रशासन क्यों मानसून से पहले ही भारी वर्षा से उत्पन्न होने वाले संकटों से निपटने के लिए मुस्तैद नहीं होता?

कुछ दिनों पहले तक देश के जिन राज्यों में सूखे और जल संकट को लेकर हाहाकार मचा था, आज वही राज्य बाढ़ से निपटने के स्थायी प्रबंध न होने के कारण बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों सहित बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के कई इलाके बाढ़ के पानी से लबालब हैं। कहीं बांध या तटबंध टूट कर बाढ़ से होती तबाही को विकराल रूप दे रहे हैं तो कहीं नदियां पहले ही रेत या गाद से भरी होने के कारण वर्षा का जल उनमें समाने की जगह न बचने से बाढ़ की स्थिति बनी है।

माना कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता, किंतु उच्च स्तर की तकनीक और बेहतर प्रयासों से उसके प्रभावों को न्यूनतम अवश्य किया जा सकता है। इस साल कई महीने पहले ही सामान्य मानसून के साथ ही बाढ़ की आशंका भी व्यक्त की गई थी। लेकिन बाढ़ की आशंका वाले राज्यों में वहां की सरकारों ने इस आपदा से निपटने के लिए ऐसी तैयारियां नहीं कीं जिनसे लोगों को उफनती नदियों के प्रकोप से काफी हद तक बचाया जा सकता था। चिंता की बात है कि विश्वभर में बाढ़ के कारण होने वाली मौतों का पांचवां हिस्सा भारत में ही होता है और बाढ़ की वजह से हर साल देश को हजारों करोड़ का नुकसान होता है। बाढ़ जैसी आपदाओं के चलते जान-माल के नुकसान के साथ-साथ लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के बर्बाद होने से देश की अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि उस राज्य का विकास सालों पीछे चला जाता है।

पंजाब में पिछले दिनों घग्गर नदी पर बना बांध टूट जाने से करीब दो हजार एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई। बिहार के दरभंगा और मधुबनी में भी कमला बलान बांध कई जगहों से टूट गया और बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। सरकारी तंत्र द्वारा हर साल बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के बाद बांधों या तटबंधों की कामचलाऊ मरम्मत कर उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है और अगले साल फिर बाढ़ का तांडव सामने आने पर उसे प्राकृतिक आपदा की संज्ञा देने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार भी बिहार में आई बाढ़ को प्राकृतिक आपदा बता कर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन वे यह भूल गए कि बिहार की उफनती नदियों के कहर से बचने के लिए उत्तरी बिहार में लोगों ने वर्षों पहले श्रमदान करके कई मजबूत तटबंध बनाए थे, जो अनेक वर्षों तक कारगर भी साबित हुए। इनमें से कई तटबंध अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि थोड़ी-सी बारिश में ही उनमें जगह-जगह दरारें आ जाती हैं और हर समय उनके टूटने और भारी तबाही का बड़ा खतरा मंडराता रहता है। तटबंधों में इन्हीं बड़ी-बड़ी दरारों के कारण इस साल बाढ़ की चपेट में आए दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सुपौल, शिवहर आदि जिलों में तबाही मची।

बांधों के टूटने और उनमें आई दरारों के कारण हर साल बाढ़ का जो विकराल रूप सामने आता है, उसके मद्देनजर यह सवाल बहुत अहम है कि बाढ़ को प्राकृतिक आपदा का नाम देकर पल्ला झाड़ने के बजाय ऐसे बांधों की मानसून से पहले ही ईमानदारी से जांच करा कर उनकी मजबूती और मरम्मत के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाए जाते? प्रशासन क्यों मानसून से पहले ही भारी वर्षा से उत्पन्न होने वाले संकटों से निपटने के लिए मुस्तैद नहीं होता? क्यों हमारी संपूर्ण व्यवस्था हर साल मानसून के दौरान आपदाओं और चुनौतियों के समक्ष बौनी और असहाय नजर आती है? हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जब भी औसत से ज्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। दरअसल हम अभी तक वर्षा जल संचयन के लिए कोई कारगर योजना नहीं बना सके हैं। हम समझना ही नहीं चाहते कि सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं पूरी तरह एक-दूसरे से ही जुड़ी हैं और इनका स्थायी समाधान जल प्रबंधन की कारगर योजनाएं बना कर और उन पर ईमानदारीपूर्वक काम करके ही संभव है।

जहां तक असम में बाढ़ से हो रही तबाही की बात है तो 1986 के बाद वहां पहली बार बाढ़ के इतने भयावह हालात बने हैं जब राज्य के सभी जिलों में जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हुई है, जिससे साढ़े चार हजार से भी अधिक गांवों के करीब साठ लाख लोग प्रभावित हुए हैं। गैंडों के लिए विख्यात काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नब्बे फीसद हिस्सा पानी में डूबा है। असम हर साल इस मौसम में ब्रह्मपुत्र सहित सभी प्रमुख नदियों के उफान से इसी तरह बाढ़ से जूझता रहा है। हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 1980 में ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का गठन भी किया गया था। लेकिन करीब चार दशक बीत जाने के बाद भी इस बोर्ड की क्या उपलब्धियां हैं, यह बाढ़ से इस साल पैदा हुए भयावह हालात बयां कर रहे हैं।

बिहार हो या असम अथवा देश के अन्य राज्य, हर साल जब भी किसी राज्य में बाढ़ जैसी आपदा एक साथ करोड़ों लोगों के जनजीवन को प्रभावित करती है तो केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के हवाई दौरे करते हैं और सरकारों द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि देने की घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी उतरता है, सरकारी तंत्र बाढ़ के कहर को बड़ी आसानी से भुला देता है। देखा जाए तो करोड़ों लोगों की जीवनरेखा को प्रभावित करती बाढ़ जैसी आपदा सरकारी तंत्र के लिए 'सरकारी खजाने की लूट के उत्सव' जैसी बन कर रह गई हैं।

देश में आजादी के कुछ वर्षों बाद राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई थी। इसके जरिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तटबंध, लंबी नालियां और गांवों को ऊंचा करने जैसे काम करती है। पिछले पचास सालों में बाढ़ पर ही सरकारों ने एक सौ सत्तर हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा धनराशि खर्च कर डाली। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अगर हालात सुधरने के बजाय साल दर साल बदतर होते जा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कमी आखिर कहां है! सीधा-सा अर्थ है कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम को संचालित करने वाले लोग अपना काम जिम्मेदारी, ईमानदारी और मुस्तैदी के साथ नहीं कर रहे थे।

आज देश के पर्वतीय क्षेत्र भी प्रकृति का प्रकोप झेलने को अभिशप्त हैं। लेकिन हम तमाम कारण जानते हुए भी जान-बूझकर अनजान बने रहते हैं और जब एकाएक तबाही का कोई मंजर सामने आता है तो हाय-तौबा मचाने लगते हैं। प्रकृति ने तो पहाड़ों की संरचना ऐसी बनाई है कि तीखे ढलानों के कारण वर्षा का पानी आसानी से निकल जाता था। किंतु पहाड़ों पर भी अनियोजित विकास, नदियों के करीब पहाड़ों पर होती खुदाई और बढ़ते अतिक्रमण के कारण बड़े पैमाने हो रहे वनों के विनाश ने पहाड़ी क्षेत्रों में भी प्रकृति को कुपित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल, यदि हम चाहते हैं कि देश में हर साल ऐसी आपदाएं भारी तबाही न मचाएं तो हमें कुपित प्रकृति को शांत करने के सकारात्मक उपाय करने होंगे और इसके लिए प्रकृति के विभिन्न रूपों जंगल, पहाड़, वृक्ष, नदी, झीलों इत्यादि की महत्ता समझनी होगी।

रिवायत की लीक

रूबल मित्तल

दुनिया मेरे आगे

पिछले दिनों अपने एक संबंधी की मृत्यु होने पर उनके घर जाना हुआ। वहां शोक सभा को लेकर बातें चल रही थीं, जिसमें एक ऐसी प्रथा की बात चली जो वहां के लोगों के मुताबिक जरूरी रस्म थी पर मेरे लिए एक भूली-भटकी बात। उस रस्म का नाम था 'पगड़ी' जो उत्तर भारतीयों में मृत्यु के बाद होने वाले कर्मकांडों में से एक है। घर से दूर रहने के कारण मेरे दिमाग से ये सब कुछ उतर-सा गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही सब कुछ पहले जैसा नजर आने लगा। जिज्ञासावश मैंने अपने एक संबंधी से पूछ लिया कि 'पगड़ी' का मतलब क्या होता है और ये क्यों किया जाता है!

मेरे इस तरह से प्रश्न करने से माहौल में कुछ तनाव-सा महसूस हुआ, फिर भी मैं अपने आपको मासूम की तरह दिखाते हुए अपने प्रश्न पर टिकी रही। इसका उत्तर देने वाले कम थे और डांट कर चुप कराने और खुद को अमेरिकी और दंभी मानने का आरोप लगाने वाले ज्यादा। बहरहाल, एक बुजुर्ग बोले कि ये प्रथा सालों से चलती आ रही है, हमारे बड़े-बूढ़ों ने भी ये किया है, हम भी करते हैं और आगे तुम्हें भी करना है। इसका पूरा उद्देश्य अपने मृत जन को शांति से और आदर से इस दुनिया से विदा करना है। फिर भी मैं अपनी जिद पर टिकी थी। मैंने इस तरीके से बात दोबारा रखी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर तो सामने वालों में जैसे 'पगड़ी' का अर्थ बताने की होड़-सी चल पड़ी। एक ने बताया कि इसका मकसद मरने वाले के घर में जो घर का मुखिया बनता है उसे सार्वजानिक रूप से घोषित करना होता है। उसे पगड़ी पहना कर इस तरह से घर का कर्ता-धर्ता घोषित कराया जाता है। मैंने पूछा कि मुखिया मतलब? तो थोड़े खीझ के साथ उत्तर मिला कि घर को चलाने वाला पुरुष। फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को मुखिया बनाना चाहिए, हर हाल में बेटे यानी पुरुष को क्यों!

घूरती आंखों को नजरअंदाज करते हुए मैंने फिर प्रश्न किया कि अगर किसी परिवार में पुत्र न हो तो? अब सामने वाले ने चिढ़ते हुए कहा कि उस परिस्थिति में उनके खानदान में से चाचा-ताऊ के बेटों को उस परिवार का मुखिया घोषित किया जाता है। मुझे पता था कि अब मेरे सवालों की वजह से माहौल मेरे विपरीत होता जा रहा है, फिर भी पूछा कि किसी भी चाचा-ताऊ का बेटा किसी दूसरे के घर का कैसे कर्ता-धर्ता बन सकता है! अपना गुजारा तो उस परिवार को अपने ही दम पर करना होगा! मेरी इस बात के बाद वहां बैठे सभी लोगों को झल्लाहट होने लगी होगी, इसीलिए वे सभी वहां से दूसरी ओर चले गए।

दरअसल, वहां लोगों को इस रिवाज के बारे में उतना ही अंदाजा हो सकता था, जितना एक आम पारंपरिक व्यक्ति को हो सकता था। इस रिवाज का लब्बोलुआब यह था कि इसके जरिए सालों से चलती आ रही संस्था परिवार का आधार पुरुष की सत्ता और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत करना है। बेटे की चाहत शायद इसी वजह से हम भारतीयों को समय के अनुसार खुद को न बदलने की गुंजाइश देती है। कृषि प्रधान देश में बेटों की इच्छा खेतों पर अपने हक को सुरक्षित रखने का जरिया थी। परंपरागत तौर पर बिटिया तो शादी करके दूसरे के घर चली जाती है, पर बेटों से ही वंश की सुरक्षा मानी जाती है।

समय बदलने पर हम भारतीय अपने खेतों की जिंदगी छोड़ कर शहरों में आ बसे और शहरी संस्कृति के साथ अपनी ग्रामीण आंचलिकता को गड्डमड्ड कर अपना जीवन जीते आ रहे हैं। नतीजा यह निकला कि अपनी कुछ सांस्कृतिक-सामाजिक विरासत को हमने बिना सोचे-समझे आत्मसात कर लिया और कुछ में समय के हिसाब से फेर-बदल कर लिया। लेकिन जहां पर भी बात धर्म और लोक-परलोक से जुड़ी हुई थी, उसे बिना कुछ प्रश्नों के ज्यों का त्यों उतार लिया गया, क्योंकि आदमी अपने विवेक को उपयोग में लाने से कतराता है। उसे लगता है कि जैसे सब करते आ रहे हैं, वैसे करना ही सही रहेगा।

आज एक ओर लड़की पैदा कर उसे पढ़ाने-लिखाने की बातें होती हैं, वहीं इस प्रकार के रीति-रिवाजों से एक झटके में इस बात का औचित्य खत्म किया जाता है। परिवार में किसी की मृत्यु होने पर जितना कर्तव्य एक बेटे का उस परिवार को संभालने के लिए होता है, उतना ही बेटियों का। फिर इस प्रकार के विधि-विधान से हम किसी भी बराबरी के हक को और हल्का करने का काम करते हैं। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम बेटों की चाह में घूमते मां-बाप देखते हैं, तो उनका बेटों की शादी में खूब पैसे लेने के अलावा अपना लोक-परलोक सुधारने की भी इच्छा छिपी होती है।

बदलते हुए समाज और परिस्थितियों के अनुसार हम बहुत बदले हैं। इस प्रकार के रीति-रिवाज समाज में मौजूद किसी भी प्रकार की बराबरी के अधिकार को नुकसान पहुंचाते हैं। थोड़े से विवेक से यह संभव हो सकता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक खुला और समान अधिकारों वाला समाज दे सकें।

इम्तिहान और भी

कश्मीर में 'कुछ बड़ा होने वाला है' के सस्पेंस से आखिर पर्दा उठ ही गया। राष्ट्रपति के एक हस्ताक्षर ने उस ऐतिहासिक भूल को सुधार दिया जिसके बहाने पाक सालों से वहां आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल होता रहा। लेकिन यह समझ से परे है कि गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, उमर या फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेता जो कल तक कहते थे कि कश्मीर समस्या का हल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक है, वे केंद्र सरकार के इस राजनीतिक हल को क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? शायद इसलिए कि केंद्र के इस कदम से कश्मीर में अब इनकी राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? घरेलू मोर्चे पर भले ही केंद्र सरकार ने इसके संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक, आंतरिक सुरक्षा और विपक्ष समेत लागभग हर पक्ष को साधकर अपनी कूटनीतिक सफलता का परिचय दिया है लेकिन अभी इम्तिहान आगे और भी है।

पाक की घरेलू राजनीति, उसके चुनाव सब कश्मीर के इर्द-गिर्द ही घूमते हैं तो वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसीलिए वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने में लगा है। जो लोग इस समय घाटी में सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों जैसे अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती, धारा 144 या नेताओं की नजरबंदी को लोकतंत्र की हत्या या तानाशाही रवैया कह रहे हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि पाक की कोशिश होगी कि किसी भी तरह घाटी में कश्मीरियों के विद्रोह के नाम पर हिंसा की आग सुलगाई जाए ताकि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संदेश दे पाए कि भारत कश्मीरी अवाम की आवाज को दबा कर वहां अन्याय कर रहा है। इस बहाने वह संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं को दखल देने के लिए बाध्य करने की फिराक में है। इसलिए भारत के कुछ दल केंद्र सरकार के इन कदमों का विरोध करके न सिर्फ पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं बल्कि एक आम कश्मीरी के साथ भी अन्याय कर रहे हैं।

विगत 70 सालों ने साबित किया है कि धारा 370 वह लौ थी जो कश्मीर के गिने चुने राजनीतिक रसूख वाले परिवारों के घरों के चिरागों को तो रोशन कर रही थी लेकिन आम कश्मीरी के घरों को आतंकवाद अशिक्षा और गरीबी की आग से जला रही थी। जब 21वीं सदी के भारत के युवा स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के जरिए उद्यमी बनकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भविष्य के भारत की सफलता के किरदार बनने के लिए तैयार हो रहे थे तो कश्मीर के युवा 500 रुपए के लिए पत्थरबाज बन कर भविष्य के आतंकवादी बनकर तैयार हो रहे थे। क्या हम एक आम कश्मीरी की तकलीफ का अंदाजा गृहमंत्री के राज्यसभा में दिए इस बयान से लगा सकते हैं कि वह एक सीमेंट की बोरी की कीमत देश के किसी अन्य भाग के नागरिक से 100 रुपए ज्यादा चुकाता है सिर्फ इसलिए कि वहां केवल कुछ लोगों का रसूख चलता है?

अब सरकार के इस कदम से राज्य में निवेश होगा, उद्योग लगेंगे, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे जिनसे खुशहाली आएगी। इसके अलावा अपने अलग संविधान और अलग झंडे के अस्तित्व के कारण जो कश्मीरी अवाम आजतक भारत से अपना भावनात्मक लगाव नहीं बना पाया अब भारत के संविधान और तिरंगे को अपना कर उसमें निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन का आएगा जो धीरे-धीरे उसे भारत के साथ भावनात्मक रूप से भी जोड़ेगा। जरूरत है आम कश्मीरी के मन में इस फैसले के पार एक नई खुशहाल सुबह के होने का विश्वास जगाने की, उसका विश्वास जीतने की। कूटनीतिक और राजनीतिक लड़ाई तो केंद्र सरकार जीत चुकी है लेकिन उसकी असली चुनौती कश्मीर में सालों से चल रहे इस रणनीतिक युद्ध को जीतने की है।

● *नीलम महेंद्र, फाल्का बाजार, लश्कर, ग्वालियर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

किस ओर

मनुष्य का इतना ज्यादा नैतिक पतन हो गया है कि अब हम जानवर से भी ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। हाल ही में दिल्ली की एक झकझोरने वाली घटना सामने आई। यहां मजनू का टीला नामक जगह पर फुटपाथ पर सो जाने की वजह से एक लड़के ने दूसरे लड़के की हत्या कर दी।

वजह सिर्फ इतनी थी कि कूड़ा बीनने का काम करने वाला वह बदकिस्मत लड़का फुटपाथ पर दूसरे लड़के की जगह पर सो गया था।इतनी-सी बात पर दूसरे लड़के को ऐसा गुस्सा आया कि उसने ईंट और डंडों से पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी। आखिर इतना ज्यादा गुस्सा आने की क्या वजह है? किस ओर जा रहे हैं हम? हमारी मानसिकता कैसी होती जा रही है! एक तरफ हम चांद पर अपना झंडा फहरा रहे हैं और दूसरी तरफ हिंसक जानवर में तब्दील हो रहे हैं। हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को इस पर चिंतन करना चाहिए।

● *बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश*

पिघलते ग्लेशियर

एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार बीते 15 वर्षों में भारत में हिमाच्छादित ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार दोगुनी हो गई है और सियाचिन व गंगोत्री सहित हिमालय के कई ग्लेशियरों का अस्तित्व खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। यह सब पृथ्वी के बढ़ते तापमान, घटते जंगलों और पर्यावरण प्रदूषण के कारण हो रहा है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में ग्लेशियर करीब हर वर्ष 20 इंच घट रहे हैं। यदि यही रफ्तार रही तो आने वाले कुछ वर्षों में कई ग्लेशियरों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। हिमालय के ग्लेशियरों से भारत की जिन नदियों में साल भर पानी का प्रवाह रहता है, वे सूखने लगेंगी और एक बड़े भूभाग में जल संकट पैदा हो जाएगा। लिहाजा, समय रहते प्रदूषण और बढ़ते तापमान में कमी करना आवश्यक हो गया है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर भी इस समस्या से निपटा जा सकता है।

● *संजय डागा, हातोद, मध्यप्रदेश*

मिलावटी दूध

भारत के बारे में कहा जाता है कि यहां कभी दूध की नदियां बहा करती थीं। अर्थात, भारत में इतने दुधारू पशु थे कि दूध खरीदा या बेचा नहीं जाता था। पर आज वही दूध मिलावट का केंद्र बना हुआ है। तेल, ग्लूकोज, यूरिया, मिल्क पाउडर आदि से सिंथेटिक दूध बनाकर बेचने वाले कुछ वर्षों में करोड़पति बन चुके हैं। क्या हम सोच सकते हैं कि हमारे बच्चों को दिया जाने वाला दूध उनके लिए विष का कार्य करेगा? इसके मद्देनजर मिलावट के व्यापार में लिप्त हर व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी को उम्र कैद की सजा हो, साथ ही खाद्य पदार्थों की उचित जांच के मानक लागू किए जाएं। अफसोस की बात है कि हमारे देश में खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए कानून बने तो हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता।

● *मंगलेश सोनी, मनावर, जिला धार*

नई फिल्म

- मिशन मंगल
- बटला हाउस

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
हॉब्स एंड शॉ	46.25 करोड़
सुपर 30	136.9 करोड़
जजमेंटल है क्या	30.55 करोड़
कबीर सिंह	273.2 करोड़

• 7 अगस्त तक की कमाई

जन्मदिन

- सुनील शेट्टी 11 अगस्त
- जैकलीन फर्नांडीज 11 अगस्त
- सारा अली खान 12 अगस्त
- सैफ अली खान 16 अगस्त

रिश्तों की अहमियत वाले हम

आरती सक्सेना

कई सालों बाद ऐसा संयोग आया है जब 15 अगस्त और रक्षाबंधन का पर्व एक ही दिन मनाया जाएगा। जहां देश आजादी की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है वहीं बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध उनकी सलामती की दुआ मांग रही हैं। भारतीय फिल्में समाज का आईना रही हैं। इसलिए अपने यहां देश प्रेम से ओत-प्रोत और भाई-बहन के प्रेम वाली फिल्मों की कोई कमी नहीं है। पर्दे पर देशभक्ति दिखाते ये सितारे देश को लेकर क्या सोचते हैं, उनके हिसाब से भारत कैसा होना चाहिए साथ ही इन सितारों को अपने भाई-बहनों की कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बुरी, खासियत क्या है इस रिश्ते की जैसे तमामों सवालों के जबाव जानने की कोशिश की 15 अगस्त और रक्षाबंधन परिचर्चा के दौरान...

15 अगस्त

दीपिका पादुकोण

आजादी के 72 साल बाद देश ने काफी तरक्की कर ली है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं। मेरी कल्पना ऐसे भारत की है जहां कोई भूखा न न सोए, गरीबी की वजह से कोई आत्महत्या न करें, बेटियां सुरक्षित हो और सभी चैन की सांस लें। मालूम नहीं ये सपना कब सच होगा।

आमिर खान

मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां पर लोगों के चेहरे पर सुकून नजर आए। देश में शांति और समृद्धि हो। मुझे अपने देश से प्यार है इसलिए इसकी समस्या मुझे अपनी समस्याएं लगती हैं। यही वजह है कि मैं अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र के छोटे-छोटे गांवों में जाकर लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता हूं।

अजय देवगन

मुझे खुशी है कि मेरा जन्म भारत में हुआ है। जो बात अपने देश में है वह बात किसी भी दूसरे देश में नहीं। यहां प्यार है, सम्मान है, एक-दूसरे के प्रति सद्भाव है। आजादी के कई साल बीत जाने के बाद भी देश की शिक्षा प्रणाली और कानून में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। मेरे ख्याल से इसमें बदलाव लाना बेहद आवश्यक है।

विद्या बालन

हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे देश के वासी हैं जहां रिश्तों की अहमियत होती है। मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करती हूं जो तरक्की में अमेरिका और लंदन से भी बहुत आगे हो। हम हमारे बच्चो को पढ़ाई-लिखाई और पैसा कमाने के लिए दूर न भेजना पड़े। हमारे देश में ही इतनी सहुलियतें हो कि बाहर के देश के लोग का सपना हो भारत। विदेशी यहां आए पैसे लगाएं और शिक्षा ग्रहण करें।

रक्षाबंधन

सोनाक्षी सिन्हा

मेरे दो भाई हैं और दोनों ही मुझे बहुत प्यारे हैं। रक्षाबंधन पर मैं अपने दोनों भाइयों लव और कुश को पूरे रीति-रिवाज से राखी बांधती हूं। उनकी मनपसंद मिठाई खिलाती हूं, माथे पर तिलक लगाती हूं और उनकी आरती भी उतारती हूं। वे भी मेरे लिए तोहफे लेकर आते हैं। मुझे अपने भाइयो में जो बात सबसे अच्छी लगती है कि वे मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं हमेशा।

तुषार कपूर

मेरी एक ही बहन है एकता कपूर, जो दस पर भारी है। बचपन में हम लड़ते थे लेकिन अब वक्त नहीं मिलता। मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वह दिल में कुछ भी नहीं रखती, बोल देती है। हां, रक्षाबंधन पर कुछ देर के लिए शरीफ बन जाती है और अच्छे बच्चों की तरह मुझे राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। लेकिन जैसी ही यह

अक्षय कुमार

मेरी बहन अलका कपूर मेरी सबसे बड़ी आलोचक है और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। मेरी बहन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है लेकिन मेरी गलतियों पर मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। आज भी वह मुझे ऐसे डांटती है जैसे वह मेरी बहन नहीं मां हो। लेकिन मैं उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है।

रणबीर कपूर

मैं अपनी बहन रिद्धिमा को बहुत याद करता हूं। उसकी शादी से पहले हम दोनों में छोटी-छोटी बातों को लेकर खूब लड़ाइयां होती थी। राखी वाले दिन शूटिंग की वजह से बाहर होने के कारण राखी नहीं बंधवा पाता हूं तो वह गुस्सा नहीं होती और मेरी राखी संभाल कर रखती है और जब भी मैं उससे मिलने जाता हूं वह मुझे राखी बांध देती है। वह मुझे बहुत प्यार करती है।

प्रचार

बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी आगामी फिल्म 'मिशन मंगल' के प्रचार के दौरान मुंबई में कुछ इस अंदाज में नजर आईं।

शिव और पार्वती की सुंदर नृत्य प्रस्तुति

शशिप्रभा तिवारी

नृत्योत्सव

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जगत में वाग्येकार आचार्य बृहस्पति का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और उर्दू में बंदिशों की रचना की। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य के शास्त्र पक्ष का विशद विवेचन किया। उनकी समग्र रचनाओं का संकलन भारतीय कला की अनुपम धरोहर है। यह वर्ष उनका शताब्दी वर्ष है। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षा कार्यक्रम श्रृंखला के तहत यह समारोह था।

दो दिवसीय समारोह के दौरान आचार्य बृहस्पति की रचनाओं का गायन और उनके विषय में संवाद रखा गया। आचार्य बृहस्पति का आल इंडिया रेडियो में योगदान, पर्वतीलास्यम का काव्य सौंदर्य और उनकी यादों के बारे में कला जगत के मनीषियों ने अपने विचारों को व्यक्त किया। इस अवसर पर उनकी कृति पार्वतीलास्यम की नृत्य परिकल्पना पेश की गई। भरतनाट्यम नृत्य शैली में विद्या राव ने परिकल्पित किया था।

रावण ने शिव तांडवस्त्रोत की रचना की थी। इसमें शिव के रौद्र रूप का विवेचन है, जिसे अक्सर कलाकार गाते और नृत्य में पेश करते हैं। आचार्य बृहस्पति ने पार्वती की कोमलता यानि लास्य अंग को पार्वतीलास्यम में छंदों के माध्यम से शब्दांकित किया था। इसमें शिव स्वर हैं और ताल शक्ति हैं। इसी अवधारणा को पार्वतीलास्यम में नृत्यांगनाओं ने पेश किया। उन्होंने नृत्य प्रस्तुति के लिए 12 चरणों में से चार चरण का चयन किया था।

फाइल फोटो

नृत्य प्रस्तुति के आरंभ में नृत्यांगनाओं ने लयात्मक गणेश वंदना पेश किया। यहां नृत्यांगनाओं ने भरतनाट्यम की जतीस का सुंदर सुयोग के साथ पार्वती के अवतरण को दर्शाया। शिव और पार्वती के सौंदर्य का सुंदर वर्णन पेश किया। इसके लिए 'शशांकम शेखरोज्जवला स्मितां महेशमोहिनी महेश्वरी' के बोलों पर पार्वती के रूप का मोहक चित्रण नृत्यांगनाओं ने किया। पार्वती और अप्सराओं का शिव के प्रति भावों और अनुभावों का विवेचन भी आंगिका अभिनय के जरिए पेश किया गया। 'गिरिशनंदिनी सुहासिनी मधुकर गंजिता' नृत्य के माध्यम से शिव के प्रति पार्वती के समर्पण भाव का विवेचन मार्मिक था। नृत्यांगनाओं ने संचारी भावों के जरिए बहुत ही संक्षिप्त रूप में रती-कामदेव प्रसंग को भी निरूपित किया। इसके साथ ही, पार्वती के लास्य नृत्य और नुपूर की झंकार का वर्णन उन्होंने अगले अंश में पेश किया।

छंद 'हरित्सुवर्ण कुंडल लसत' में लास्य नृत्य का लयात्मक नर्तन लासानी था। नृत्यांगनाओं का एक-एक आंगिक दोलन और चेष्टा मनोहारी थी। उन्होंने नायिका की कोमलता को बहुत ही धीरता और लयात्मकता से दर्शाया। पार्वती के लास्य नृत्य की पराकाष्ठा 'स्वरानुवर्तिणीगिरींद्र' में दिखी। जब शिव और पार्वती आनंद मग्न और एकाकार होकर परमानंद में लीन हो जाते हैं। यह नृत्य रचना एक अनूठी पहल कही जा सकती है क्योंकि आमतौर पर भरतनाट्यम में नवाचार कम देखने को मिलता है। इस प्रयास के लिए अदिति, गौरी सागर, मयूरी, सुप्रिया और स्नेहा नारायण सभी नृत्यांगनाओं को सराहा जाना चाहिए।

सरस्वती देवी (1912- 9 अगस्त,1980)

बॉम्बे टॉकीज की सशक्त स्तंभ

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

'कोई हमदम न रहा...' (झुमरू) और 'एक चतुर नार बड़ी होशियार...' (पड़ोसन) गाने 1961 में किशोर कुमार ने गाए थे। मगर दो दशक पहले यही गीत उनके बड़े भाई अशोक कुमार क्रमशः 'जीवन नैया' (1936) और 'झूला' (1941) में गा चुके थे। अशोक कुमार से ये दोनों ही गीत गवाए थे संगीतकार सरस्वती देवी ने। सरस्वती देवी बॉम्बे टॉकीज की एक सशक्त स्तंभ रही थीं। आज उनकी 39वीं पुण्यतिथि है।

सन 1853 में मुंबई में पारसी कारोबारियों ने पहली थियेटर कंपनी खोली। हुनर का यह कारोबार पारसियों को इतना रास आया कि देखते ही देखते 20 पारसी थियेटर कंपनियां खड़ी हो गईं। संगीत के क्षेत्र में उन दिनों दो पारसी बहनों का काफी नाम था। एक थी खुर्शीद और दूसरी थी मानेक। दोनों ही ऑल इंडिया रेडियो पर संगीत-प्रस्तुतियां देती थीं और लोग उन्हें होमजी सिस्टर्स के नाम से जानते थे। उनकी संगीत-प्रस्तुतियां श्रोताओं में खूब लोकप्रिय थी। एक दिन इन दोनों बहनों का कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने सुना। वह चाहते थे कि उनकी कंपनी में दोनों बहनें आ जाएं। खासतौर पर खुर्शीद उनकी फिल्मों के संगीत विभाग की जिम्मेदारी स्वीकार कर लें।

वह दौर ऐसा था कि फिल्मों में काम करना हैसियत गिराने वाला काम माना जाता था। इसे तवायफों और वेश्याओं के काम के बराबर माना जाता था, इसलिए फिल्मों में काम करने के लिए कलाकारों का मिलना मुश्किल हो गया था। कई नामी गिरामी कंपनियां उन दिनों लोगों से आह्वान कर रही थीं कि पढ़े-लिखे घरानों से लोग फिल्मों में आए, ताकि इस कारोबार की प्रतिष्ठा बढ़े। देश की पहली फिल्म अभिनेत्री कमला बाई गोखले ने जब दादा साहेब फालके की फिल्मों में काम किया तो समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया था। यहां तक कि खुद दादा साहेब फालके का बहिष्कार भी इसलिए कर दिया था कि वह फिल्म निर्माण सीखने इंग्लैंड गए थे और इसके लिए उन्होंने पानी के जहाज से समुद्र उलांघा था।

इसलिए जब दोनों बहनों को बॉम्बे टॉकीज में काम मिला, तो पारसी समुदाय को यह पसंद नहीं आया। प्रतिष्ठित पारसियों का एक प्रतिनिधिमंडल हिमांशु राय से मिला और कहा कि अगर पारसी लड़कियां फिल्मों में काम करेंगी, तो उनके समाज की हेठी होगी। राय ने समझाया कि अब जमाना बदल रहा है। मगर बात प्रतिनिधिमंडल के गले नहीं उतरी। आखिर दोनों पक्षों ने मिल बैठकर एक फैसला किया कि दोनों बहनों के नाम बदल दिए जाएं। इस तरह से खुर्शीद बन गई सरस्वती देवी और मानेक का नाम प्रभावती कर दिया गया। यह विसंगति ही थी कि देश की पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' बनाने वाले पारसी आर्देशीर ईरानी को समाज में प्रतिष्ठा मिल रही थी, लेकिन खुर्शीद और मानेक को अपना नाम बदलना पड़ रहा था।

1935 में 'जवानी की हवा' से सरस्वती देवी ने फिल्मों में संगीत देना शुरू किया। उनसे पहले नरगिस की मां जद्दन बाई फिल्मों में संगीत दे रही थीं। अगले ही साल अशोक कुमार और देविका रानी की 'अछूत कन्या' में दिया सरस्वती देवी का संगीत खूब लोकप्रिय हुआ। खासकर इसका गाना मैं 'वन की चिड़ियां बन के वन वन बोलूं रे...'। इसी साल सरस्वती देवी का बनाया 'जन्मभूमि' का गाना 'जय जय जननी जन्मभूमि...' के एक टुकड़े को बीबीसी ने अपने भारत से जुड़े कार्यक्रम की सिग्नेचर ट्यून बनाया। एक तरह से सरस्वती देवी बॉम्बे टॉकीज की एक सशक्त स्तंभ बन गई थीं।

1943 में बॉम्बे टॉकीज से शशधर मुखर्जी और अशोक कुमार ने निकल कर फिल्मिस्तान स्टूडियो बनाया। ऐसी स्थिति में सरस्वती देवी को बाहर की छिटपुट फिल्मों में काम करना पड़ा। स्टूडियो सिस्टम ढहने लगा था। कलाकार फ्रीलासिंग करने लगे थे और संगीत में भी तेजी से बदलाव आ रहा था। सरस्वती देवी के शास्त्रीय संगीत की मांग कम होने लगी थी। आखिर सरस्वती देवी ने 1961 में राजस्थानी फिल्म 'बाबासा री लाड़ली' के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया और संगीत ट्यूशन देने लगीं। मानेक भी फिल्मों से दूर होकर लाइब्रेरियन बन गई। बावजूद इसके बॉम्बे टॉकीज के इतिहास में सरस्वती देवी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

खबर कोना

'निकम्मा' से शिल्पा करेंगी बड़े पर्दे पर वापसी

लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर रही बॉलीवुड अदाकार शिल्पा शेट्टी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही हैं। वे एक्शन फिल्म 'निक्कमा' से वापसी कर रही हैं। इस फिल्म को सब्बीर खान निर्देशित कर रहे हैं। शिल्पा के साथ अभिनेता अभिमन्यु दसानी भी होंगे। शिल्पा ने कहा, ' मैं बहुत खुश हूं, मैं दोबारा अभिनय के क्षेत्र में प्रवेश करने और बड़े स्क्रीन पर दिखने को तैयार हूं। मैं सब्बीर के साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं। इस फिल्म में मेरा किरदार बहुत प्यारा है, जिसे पहले मैंने कभी नहीं किया है। दर्शकों द्वारा मेरे नए अवतार को देखने के लिए इंतजार करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं 'हीरोपंती' और 'बागी' जैसी फिल्मों से चर्चा में आए फिल्म निर्देशक सब्बीर ने कहा, 'शिल्पा प्रत्येक घर में लोकप्रिय नाम है। वे इस बारे में स्पष्ट थीं कि वे उपयुक्त किरदार मिलने पर ही वापसी करेंगी। मैं शिल्पा के साथ काम करके और उनकी कमी महसूस कर रहे दर्शकों के लिए उन्हें वापस लाकर खुश हूं।'

'क्वाथा' से होगी कैट की बहन इसाबेल की एंट्री

बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ फिल्म 'क्वाथा' से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। 'क्वाथा' में वह अभिनेता आयुष शर्मा के साथ नजर आएंगी। आयुष फिल्म में एक सेना अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। 'क्वाथा' फिल्म का निर्देशन करण ललित बुटानी करेंगे। बताया जा रहा है कि यह फिल्म भारतीय सेना की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। फिल्म के कलाकारों के संबंध में घोषणा करते हुए फिल्म के निर्देशक बुटानी ने कहा, 'हम आयुष शर्मा और इसाबेल कैफ को 'क्वाथा' की मुख्य भूमिका के रूप में लिए जाने की घोषणा करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। क्वाथा भारत और म्यामां की सीमा पर बसा एक गांव है। मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जबकि कथानक अपरंपरागत है, इस तरह की फिल्म के लिए आयुष और इसाबेल जैसे कलाकार परफेक्ट हैं।'

अभिनेता के लिए रचनात्मक चुनौती जरूरी : पंकज त्रिपाठी

अभिनेता पंकज त्रिपाठी की गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में होने लगी है। उन्हें किसी एक भूमिका में बंध कर रहना नहीं आता इसलिए वे अपने किरदारों के साथ नए-नए प्रयोग करते रहते हैं। उनका कहना है कि एक कलाकार को अभिनेता के रूप में खुद का वजूद बचाए रखने के लिए हमेशा रचनात्मक चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। पंकज त्रिपाठी 'सेक्रेड गेम्स' के दूसरे सीजन में वे रहस्यमय गुरुजी की भूमिका में है। उन्होंने कहा, 'अगर किसी अभिनेता को खुद का वजूद बचाए रखना है तो उसे रचनात्मक चुनौती की जरूरत है। यह भूमिका मेरे रमे रमाये ढर्रे से अलग थी, जो मेरी रचनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अगर आप चुनौती लेते हैं तो आपको मजा आता है।' नेटफ्लिक्स पर प्रसारित 'सेक्रेड गेम्स' के पहले संस्करण का निर्देशन अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवानी ने किया था। इसमें सैफ और नवाजुद्दीन की मुख्य भूमिका थी।

दमदार ब्रिटिश पुलिसकर्मी की भूमिका में कीर्ति

फिल्म 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' में नजर आई अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी की आगामी फिल्म 'मिशन मंगल' 15 अगस्त को सिनेमाघरो में रिलीज होगी। वहीं खबर है कि कीर्ति हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ' द गर्ल ऑन द ट्रेन' की रीमेक में भी होंगी। इस फिल्म में वह एक दमदार ब्रिटिश पुलिसकर्मी की भूमिका में दिखेंगी। कीर्ति का कहना है ह्यरिभु दासगुप्ता के साथ काम काम करने को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं क्योंकि इससे पहले भी वे नेटफ्लिक्स की ऑरिजिनल सीरिज 'बार्ड ऑफ द ब्लड' में इस निर्देशक के साथ काम कर चुकी हैं। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा का अहम किरदार होगा। वे फिल्म में शराब के नशे में रहनेवाली एक ऐसी तलाकशुदा महिला का किरदार निभाएंगी, जो एक लापता व्यक्ति की जांच में शामिल होती है।

कश्मीर में सुनसान राजमार्गों पर लोगों को 'लिफ्ट' का सहारा

श्रीनगर, 8 अगस्त (भाषा)।

कश्मीर की अनिश्चित और अशांत स्थिति के कारण सार्वजनिक वाहन सड़कों से दूर हैं। ऐसे में घाटी के लोगों के पास सुनसान राजमार्गों पर गुजरने वाली निजी गाड़ियों से 'लिफ्ट' मांगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अपने घर लौटने या अपने बच्चों से मिलने के लिए नजदीकी शहर या गांव जाने वाले लोग सड़कों के किनारे कोई भी यातायात का साधन मिलने का इंतजार करते देखे जा सकते हैं। कई स्थानों पर ऐसे लोग दो या तीन की संख्या में घूमते दिख जाते हैं।

केंद्र ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके साथ ही राज्य को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो केंद्रशासित क्षेत्रों में विभाजित करने का भी प्रस्ताव किया था। उसके एक दिन पहले से ही घाटी में वस्तुतः संचार व्यवस्था ठप है और कुछ ही फोन काम कर रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं भी ठप हैं। निषेधाज्ञा लागू है लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। समय के साथ लोगों की हताशा बढ़ रही है और उनका कहना है कि वे फंसे हुए हैं और हमेशा ही घर के अंदर रहना संभव नहीं है।

श्रीनगर के बाहरी इलाके में नरबल रोड पर किसी गाड़ी की बेचैनी से उम्मीद कर रहे लोगों में निघट नसीर भी शामिल थीं। उन्होंने कहा, 'मुझे बारामूला (करीब 60 किमी दूर) पहुंचना है और अपने बच्चों से मिलना है।' वे श्रीनगर स्थित अपने घर से पैदल चलकर नरबल रोड पहुंचे जो वहां से 17 किलोमीटर दूर है। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक एम्बुलेंस मिली जिससे उन्होंने आधी दूरी तय की। अब, श्रीनगर के बाहरी इलाके बेमिना के एक अस्पताल में भर्ती मोहम्मद रमजान ने लिफ्ट मिलने का इंतजार नहीं किया।

श्रीनगर के लाल बाजार इलाके के निवासी रमजान को रविवार की रात अपनी बेटी का फोन मिला जिसमें उसके मुसीबत में होने की बात की गई थी। रमजान सोमवार को तड़के ही अपने घर से निकल गए। उन्हें 35 किलोमीटर दूर जाना था। उन्हें कोई बस या टैक्सी नहीं मिली और वह पैदल ही चल पड़े। 12 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़े। बेमिना अस्पताल के डा शफकत भट्ट ने कहा कि सुरक्षा बलों की गाड़ी से लाकर रमजान को यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसी कई घटनाएं हैं।

मोहम्मद शहीम ने कहा कि उन्होंने दक्षिण कश्मीर में खरयू से श्रीनगर तक की 65 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए तीन अलग-अलग लोगों से लिफ्ट ली। शहीम ने अर्धसैनिक बल के एक जवान से पूछा, 'क्या कोई कर्फ्यू है? हम कहीं क्यों नहीं जा सकते? हम कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे, फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं।' एक निजी फैक्टरी में काम करने वाले शहीम ने कहा कि तीन अलग-अलग लोगों से लिफ्ट लेने के बाद 65 किलोमीटर की दूरी तय की लेकिन अब सुरक्षाकर्मी उन्हें अपने इलाके में नहीं जाने दे रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद शहीम को जाने की अनुमति दी गई।

मुखर्जी, देशमुख व भूपेन हजारिका को प्रदान किया गया भारत रत्न

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के दिवंगत नेता नानाजी देशमुख और दिवंगत गायक भूपेन हजारिका को गुरुवार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में मुखर्जी, हजारिका के बेटे तेज और नानाजी देशमुख के करीबी रिश्तेदार विरेंद्रजीत सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया। हजारिका और देशमुख को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है।

राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस नेता अधीर रंजन, अहमद पटेल, सुशील शिंदे, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समारोह में नहीं दिखे।

भारत रत्न पुरस्कार चार साल बाद दिया गया है। इससे पहले 2015 में यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। मुखर्जी, जिन्हें लोग प्यार से 'प्रणब दा' कहते हैं, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पांचवें राष्ट्रपति हैं। वे 2012 से 2017 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे।

मुखर्जी (83) इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपतियों राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरि के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो गए, जिन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। मुखर्जी 1982 में 47 वर्ष की आयु में भारत के सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री बने। 2004 से उन्होंने तीन महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों- विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रालय को संभाला और 2012 में राष्ट्र के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए।

पिछले साल, मुखर्जी ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक समारोह में भाग लेकर सबको चौंकाया था। नानाजी देशमुख 1928 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। उनका निधन 2010 में 94 वर्ष की आयु में मध्य प्रदेश के सतना में हुआ और उन्हें पूरे भारत में आरएसएस से प्रेरित विद्यालयों की एक श्रृंखला शुरू करने के लिए जाना जाता है। वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। उन्हें 1975 में आपातकाल के खिलाफ जय प्रकाश नारायण के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वालों में शुमार किया जाता है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी।

1926 में असम में जन्मे हजारिका एक महान गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्मकार थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1987), पद्म श्री (1977), दादा साहेब फाल्के पुरस्कार (1992), पद्म भूषण (2001) और पद्म विभूषण (2012-मरणोपरांत) से सम्मानित किया जा चुका है। हजारिका ने 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। 2011 में उनका निधन हो गया। हजारिका ने राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा था और 2004 में भाजपा के टिकट पर गुवाहाटी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन असफल रहे थे। वे 1967-72 के दौरान असम के निर्दलीय विधायक रहे। हजारिका ने कई प्रतिष्ठित बॉलीवुड फिल्मों रुदाली, दरमियां, गज गामिनी, दमन और कई लोकप्रिय असमी फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें पुरस्कार विजेता फिल्म 'चमेली मेमसाब' भी शामिल है।

नए कानून से स्त्री-पुरुष का भेदभाव खत्म होना स्वागतयोग्य : कर्ण सिंह

पेज 1 का बाकी

कि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि संसद में तेजी से लिए गए निर्णयों से हम सभी हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि इस बहुत बड़े कदम को जम्मू और लद्दाख सहित पूरे देश में भरपूर समर्थन मिला है। मैंने इस हालात को लेकर बहुत सोच-विचार किया है।

उन्होंने कहा कि निजी तौर पर मैं इस घटनाक्रम की पूरी तरह निंदा किए जाने से सहमत नहीं हूं। इसमें कई सकारात्मक बिंदु हैं। लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का निर्णय स्वागत योग्य है। दरअसल, सद्र-ए-रियासत रहते हुए मैंने 1965 में इसका सुझाव दिया था। सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 35 ए में स्त्री-पुरुष का भेदभाव था उसे दूर किए जाने की जरूरत थी और साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को मतदान का अधिकार मिलना और अनुसूचित जाति को आरक्षण की पुरानी मांग का पूरा होना स्वागत योग्य है।

उन्होंने कहा कि जहां तक कश्मीर की बात है तो वहां के लोग इस निर्णय से अपमानित महसूस कर रहे होंगे। मेरा मानना है कि इस संदर्भ में राजनीतिक संवाद जारी रहना जरूरी है। जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले महाराजा हरि सिंह के पुत्र कर्ण सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यधारा की दो प्रमुख पार्टियों नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी को 'राष्ट्र विरोधी' कह कर खारिज कर देना सही नहीं है क्योंकि उनके नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बहुत कुर्बानी दी हैं और ये दोनों पार्टियां समय-समय पर केंद्र व राज्य में राष्ट्रीय पार्टियों की सहयोगी भी रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर की मुख्यधारा की पार्टियों के नेताओं को जल्द से जल्द से रिहा किया जाना चाहिए और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने का प्रयास भी होना चाहिए।

रोडरेज में सेल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, दो धरे गए

पेज 1 का बाकी

दृष्टिकोण से छानबीन की जा रही है। हालांकि, लूटपाट की घटना से पुलिस ने इनकार किया है।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने बताया कि बुधवार रात हाइवे पर गश्त करने वाली पुलिस की टीम मोटरसाइकिल से गश्त कर रही थी। पुलिस टीम गश्त करते हुई देर रात करीब 10:50 बजे अगस्त क्रांति मार्ग पर असंल प्लाजा से कुछ दूरी पर हुड्को प्लेस इलाके में पहुंची। टीम ने पाया कि दो-तीन युवक एक शख्स की पिटाई कर रहे हैं। वहीं, चौथे युवक ने एक व्यक्ति की गर्दन पकड़ रखी है। दोनों पुलिसकर्मियों को आते देख दो युवक तो फरार होने में कामयाब हो गए पर पुलिस ने दो युवकों को पकड़ लिया। वहीं, घायल के बारे में पुलिस को पता चला कि वह सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी हैं। उन्हें तुरंत एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। उपायुक्त ने बताया कि उनके पैर और गर्दन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया है। उपचार के बाद उन्हें एम्स ट्रामा सेंटर से छुट्टी मिल गई थी।

अनिल चौधरी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह दफ्तर की कार से चालक के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान अगस्त क्रांति मार्ग पर एक अन्य कार सवार चार युवकों से उनकी कार छू गई थी। युवकों ने ओवरटेक कर उनकी कार रुकवा ली और चालक को बाहर निकाल कर एक युवक उसके साथ गाली-गलौच और मारपीट करने लगा। एक युवक ने चालक की गर्दन पकड़ ली और बाकी युवक चेयरमैन के साथ कहासुनी करने लगे। उन्होंने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच इलाके में गश्त कर रही मोटरसाइकिल सवार दो पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपियों में से दो को दबोच लिया। आरोपियों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि अमरदीप उत्तम नगर का रहने वाला है, जबकि ललित द्वारका का रहने वाला है। हालांकि, इन दोनों में से कोई वाहन नहीं चला रहा था।

उपायुक्त ने बताया कि अनिल चौधरी ने दिए बयान में कहा है कि लूटपाट नहीं हुई है। आरोपियों के पास से एक पेपर कटर मिला है। शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस रोडरेज का मामला मान कर चल रही है। आरोपी घटना के समय शराब के नशे में थे। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। हमला जिस लोहे की रॉड से की गई थी। उसे बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके खिलाफ क्या कोई अपराधिक मामले दर्ज हैं।

राजनयिक संबंध सीमित करने के फैसले की समीक्षा करे पाक : विदेश मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की ओर से भारत के राजनयिक स्तर में कटौती करने सहित अन्य कदमों को दुनिया के सामने द्विपक्षीय संबंधों की चिंताजनक तस्वीर पेश करने का प्रयास करार दिया। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 से जुड़ा, हाल का संपूर्ण घटनाक्रम पूरी तरह से भारत का आतंरिक मामला है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का संविधान हमेशा से संप्रभु मामला रहा है और आगे भी रहेगा। इस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर क्षेत्र की चिंताजनक तस्वीर पेश करने की चाल कभी सफल नहीं होगी। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, 'भारत सरकार गुरुवार को पाकिस्तान द्वारा घोषित कदमों की निंदा करती है और उस देश से इसकी समीक्षा करने को कहती है ताकि सामान्य राजनयिक चैनल को बनाए रखा जा सके।'

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने उन खबरों को देखा है, जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कुछ एकतरफा फैसला किया है। इसमें हमारे राजनयिक संबंधों के स्तर में कटौती करना शामिल है। पाकिस्तान की ओर से उठाए गए इन कदमों का मकसद स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश करना है। पाकिस्तान ने जो कारण बताए हैं, वे जमीनी हकीकत के साथ मेल नहीं खाते।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार और देश की संसद द्वारा हाल में लिए गए फैसले जम्मू कश्मीर में विकास के लिए अवसर सृजित करने की प्रतिबद्धता से जुड़े हैं, जिनमें पहले संविधान का एक अस्थायी प्रावधान आड़े आ रहा था। इस फैसले के मद्देनजर लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक भेदभाव को दूर किया जा सकेगा और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की आजीविका की संभावनाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े ऐसे घटनाक्रम को पाकिस्तान में नकारात्मक नजरिए से देखा जाता है और इन भावनाओं को सीमा पार से जारी आतंकवाद को उचित ठहराने के लिए किया जाता है।

बताते चलें कि भारत के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों को कमतर करने का फैसला करने के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया था। पाकिस्तान ने यह कदम प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में यहां हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक के बाद उठाया है, जिसमें भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को तोड़ने और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का भी फैसला लिया गया।

दूसरी ओर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को कहा कि भारत यदि कश्मीर पर अपने कदमों पर पुनर्विचार को राजी हो तो पाक-भारत के खिलाफ अपने निर्णयों की समीक्षा को तैयार है। कुरैशी की यह टिप्पणी पाकिस्तान द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित किए जाने के एक दिन बाद आई है। कुरैशी ने कहा, 'क्या वे अपने निर्णयों की समीक्षा को तैयार हैं? यदि वे करें तो, हम भी अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं। समीक्षा दोनों ओर से होगी।

मलाला बोलीं, निकाला जाए शांतिपूर्ण हल

पेज 1 का बाकी

को कमतर करने का फैसला किया था। उसने भारत के कदम को 'एकतरफा और अवैध' बताया था। मलाला ने ट्वीट किया, 'जब मैं बच्ची थी, जब मेरी मां और मेरे पिता बच्चे थे, जब मेरे दादा-दादी, नाना-नानी युवा थे, कश्मीर के लोग तभी से संघर्ष की स्थिति में जी रहे हैं।' सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली मलाला (22) ने कहा कि वह कश्मीर की फिक्र करती हैं क्योंकि 'दक्षिण एशिया मेरा घर है, एक ऐसा घर जिसे मैं कश्मीरियों समेत 1.8 अरब लोगों के साथ साझा करती हूं।' मलाला ने कहा कि यह क्षेत्र विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, व्यंजनों और परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करता है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि 'हम सभी शांति के साथ रह सकते हैं।' मलाला ने कहा, 'इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम पीड़ा सहें और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं।' उन्होंने कहा कि उन्हें कश्मीर में मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों की चिंता है क्योंकि उन्हें 'हिंसा का आसानी से शिकार बनाया जा सकता है और इस संघर्ष में उन्हें ही सर्वाधिक नुकसान होने की आशंका है।' उन्होंने सभी दक्षिण एशियाई देशों, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और प्राधिकारियों से उनकी पीड़ा पर प्रतिक्रिया देने की अपील की। मलाला ने कहा, 'हमारे बीच कोई भी मतभेद क्यों न हो... हमें कश्मीर में सात दशक पुराने संघर्ष को शांतिपूर्वक सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।'

370 रद्द करने के खिलाफ दायर अर्जियों पर जल्द सुनवाई नहीं

पेज 1 का बाकी

दिया है। इस पर शर्मा ने कहा कि उन्होंने आपत्तियों को दूर कर दिया है और रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को नंबर दे दिया है। शर्मा ने याचिका शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार और कुछ कश्मीरी लोगों ने कहा है कि वे अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे। इस पर पीठ ने सवाल किया- यदि वे संयुक्त राष्ट्र जाएंगे तो क्या संयुक्त राष्ट्र भारत के संविधान संशोधन पर रोक लगा सकता है? पीठ ने शर्मा से कहा-आप अपनी ऊर्जा इस मामले में बहस के लिए बचा कर रखें।

शर्मा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राष्ट्रपति का आदेश गैरकानूनी है क्योंकि इसे जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बगैर ही पारित किया गया है। पूनावाला के वकील ने कहा कि राज्य की जनता अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क स्थापित करना चाहती है और उन्हें वहां की मौजूदा स्थिति में अपने परिजनों की कुशलक्षेम जानने का अधिकार है। याचिका में पूनावाला ने नजरबंद पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को रिहा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसके साथ उन्होंने राज्य की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग गठित करने का भी अनुरोध किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले से संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होता है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने का फैसला लिए जाने के बाद से राज्य में राजनीतिक दलों के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 370 के उन प्रावधानों को समाप्त घोषित कर दिया था। जिनसे जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला था।

भाजपा शासित सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने और इस सीमावर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त करने के लिए मंगलवार को संसद से मंजूरी प्राप्त की थी। इसके बाद, राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मुहर लगाई थी।

370 का हथियार की तरह इस्तेमाल किया

पेज 1 का बाकी

समेत तमाम परियोजनाओं के काम में तेजी आई है।' उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध /इ /इहोंगे। केंद्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'ईद का त्योहार नजदीक है, मेरी ओर से ईद की शुभकामनाएं। सरकार यह कोशिश कर रही है कि ईद के दौरान जम्मू-कश्मीर को लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। कुछ मुट्ठी भर लोग हालात बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं। वहां के लोगों की तकलीफ से हम अलग नहीं हैं। अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है। ऐहतियातन कुछ कदम उठाए गए हैं, इसका मुकाबला भी वहां के लोग ही कर रहे हैं।

पाक ने वाघा पर छोड़ी समझौता एक्सप्रेस, कहा सेवा निलंबित

पेज 1 का बाकी

पाकिस्तानी अधिकारियों ने उधर से आने वाली ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड की भारत में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए उन्हें वाघा सीमा पार करने से रोक दिया। इसके बाद उत्तरी रेलवे ने विदेश मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया। उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार के मुताबिक, भारत की तरफ सब कुछ सामान्य रहा। हमने वाघा से ट्रेन को लाने के लिए अपना इंजन और रेलवे चालक दल भेजा। उन्होंने पाकिस्तान सरकार की ओर से किए गए इस दावे को गलत बताया कि ट्रेन रद्द हो गई है। सीपीआरओ के मुताबिक, इधर भी 70 लोग पाकिस्तान जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यह कहना कि ट्रेन रद्द हो गई है, सही नहीं होगा।

दरअसल, पाकिस्तान के चालक दल और गार्ड ने ट्रेन को बाघा पर खड़ी कर दी। पाकिस्तान ने सुरक्षा कारणों से ट्रेन को अटारी लाने में असमर्थता जताई। भारत की ओर से रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। लेकिन, पाकिस्तानी ड्राइवर ने कहा कि वह अपनी तरफ से आश्वस्त होने के बाद ही ट्रेन अटारी तक ले जाएंगे, नहीं तो वहां से भारतीय दल को ही भारत की सीमा में लाना पड़ेगा। दरअसल, भारत के साथ पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाने की घोषणा के एक दिन बाद पाक के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने इस्लामाबाद में ऐलान किया कि उनके देश ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि, भारतीय अधिकारियों ने बार-बार कहा कि इस ट्रेन की सेवाएं निलंबित नहीं की गई हैं।

दिल्ली वालों को मुफ्त वाईफाई

पेज 1 का बाकी

कराने के लिए कैबिनेट ने 11 हजार हॉट स्पॉट लगाने का फैसला किया है। 'आप' ने चुनाव से पहले यह वादा किया था। यह सुविधा जनता को आगामी तीन से चार माह में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने वाली दिल्ली पहली सरकार है। इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली में 1.40 लाख और कैमरे लगाने का भी फैसला किया है।

हॉट स्पॉट लगाने के लिए दिल्ली सरकार सबसे पहले सार्वजनिक स्थलों पर अपनी योजना को केंद्रित करेगी। 'आप' ने 2015 में अपने घोषणापत्र के 70 सूत्री कार्यक्रम में इस योजना की घोषणा की थी।

जन्म स्थान को कैसे बनाया जा सकता है पक्षकार

पेज 1 का बाकी

अदालत ने इस मामले में रिसीवर नियुक्त करके निषेधात्मक आदेश दिया था। जन्म स्थान के महत्त्व को इंगित करते हुए परासरन ने संस्कृत के श्लोक 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी' का वाचन किया और कहा कि जन्म स्थान स्वर्ग से भी महान है। इससे पहले, एक मुसलिम पक्षकार की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि 'राम लला विराजमान' और 'निर्मोही अखाड़ा' द्वारा दायर दो अलग-अलग वाद एक दूसरे के खिलाफ हैं और यदि एक जीतता है तो दूसरा स्वतः ही खत्म हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि मुसलिम पक्ष को किसी भी एक वाद में बहस शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि कानूनी रूप से सिर्फ इसकी ही अनुमति दी जा सकती है। इस बीच, नियमित मामलों की सुनवाई के लिए बनी परंपरा से हटते हुए सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को भी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई करेगा।

बांग्लादेश के गृह मंत्री से मिले प्रधानमंत्री मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

दोनों देशों ने प्रगति और समृद्धि में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बांग्लादेश के गृह मंत्री असद-उज-जमां खान कमाल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने प्रगति और समृद्धि में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के ट्वीट में कहा गया, 'बांग्लादेश के गृह मंत्री असद-उज-जमां खान कमाल ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कमाल सातवें गृह मंत्री स्तर की बैठक में हिस्सा लेने भारत आए हुए हैं।' बैठक के दौरान बांग्लादेश के गृह मंत्री ने दोनों देशों के बीच आगे बढ़ते संबंधों, सीमा प्रबंधन और आधारभूत ढांचा क्षेत्र सहित भारत के समर्थन के लिए आभार जताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रगति और समृद्धि में मजबूत सहयोग की भारत की प्रतिबद्धता दोहराया। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के दूरदर्शी नेतृत्व में बांग्लादेश ने पूरी दुनिया में लोकतंत्र और विकास का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बांग्लादेश के गृह मंत्री ने वहां की प्रधानमंत्री की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन पर शोक प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के गृह मंत्री की भावनाओं के प्रति आभार जताया। गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश के गृह मंत्री असद-उज-जमां खान के साथ बैठक की थी। शाह ने बांग्लादेश से पूर्वोत्तर में हो रही अवैध घुसपैठ पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया था।

विंग कमांडर अभिनंदन को वीर चक्र की सिफारिश की वायुसेना ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

बालाकोट हमले के हीरो रहे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र दिया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने उन्हें यह सम्मान दिए जाने की सिफारिश की है। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हवाई हमले के बाद पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण किए जाने के दौरान वायुसेना की कार्रवाई में उनके साथी रहे पांच अन्य पायलटों को वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जा सकता है।

बालाकोट की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारत के हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण किया था, जिसको भारतीय वायुसेना ने असफल कर दिया था। भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान के 24 लड़ाकू विमान आए थे, लेकिन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान और उनके साथियों ने उन सभी को मार भगाया। भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के मुताबिक, वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की अंतिम सूची को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14 अगस्त को औपचारिक तौर पर मंजूरी देंगे। पाकिस्तान ने अत्याधुनिक एफ-16 विमानों से भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। विंग कमांडर अभिनंदन मिग-21 से पाकिस्तान का जवाब दे रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के एफ-16 विमान को गिरा दिया था, लेकिन उनका विमान हादसे का शिकार हो गया।

पाकिस्तान जाएगा भारतीय शिष्टमंडल

पेज 1 का बाकी

संबंध कमतर करने के पाकिस्तान के फैसले पर चिंता जताई है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि इस कदम से करतारपुर गलियारे के निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंह ने पड़ोसी देश के कदम को बिना सोचे समझे उठाया गया और अनावश्यक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक सोच का असर सिखों की धार्मिक भावनाओं पर नहीं पड़ने देना चाहिए। सिखों के लिए करतारपुर गलियारा श्रद्धा का प्रतीक है।

दूसरी तरफ, पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि भारत के साथ राजनयिक संबंध कमतर करने के बावजूद वह करतारपुर कॉरिडोर पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान के करतारपुर स्थित दरबार साहिब को गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने 1522 में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की स्थापना की थी। इस गलियारे के बनने पर भारतीय सिख श्रद्धालु बिना वीजा के करतारपुर साहिब का दर्शन कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए सिर्फ परमिट हासिल करने की जरूरत होगी।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से कहा, 'करतारपुर पहल जारी रहेगी।' विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर का काम जारी रहेगा और हाल की घटनाओं का इसपर असर नहीं पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का 90 फीसद काम पूरा हो चुका है। पाकिस्तान ने जीरो लाइन से गुरुद्वारा साहिब तक मुख्य सड़क, पुल और इमारतों के निर्माण का काम पूरा कर लिया है।

epaper jansatta com

सुखोई विमान तेजपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित

तेजपुर/नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

भारतीय वायुसेना का एक सुखोई लड़ाकू विमान गुरुवार रात असम में तेजपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे ने बताया कि विमान के दोनों पायलट विमान से निकलने में कामयाब रहे और उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। उन्होंने बताया कि इनमें से एक पायलट की टांग में चोट लगी है।

पांडे ने बताया कि सुखोई-30 एमकेआइ लड़ाकू विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था। यह रात करीब 8:30 बजे मिलनपुर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर धान के एक खेत में गिर गया और उसमें आग लग गई। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय लोगों ने दोनों पायलटों को तेजपुर स्थित सेना के बेस अस्पताल पहुंचाया। अग्निशमन विभाग ने कहा कि आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं।

सेंगर ने पीड़िता के पिता को फंसाया था : सीबीआइ

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

सीबीआइ ने गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता से मारपीट की थी। सीबीआइ ने कहा कि तीन पुलिस अधिकारियों और पांच अन्य के साथ मिलकर विधायक ने पिता को हथियार कानून मामले में फंसा दिया था।

जांच एजंसी ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा को बताया कि विधायक और उसके सहयोगियों ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें पीड़िता के पिता पर पिस्तौल और पांच कारतूस रखने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया कि पीड़िता के पिता ने विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य से गाली गलौच की। सीबीआइ अधिवक्ता अशोक भारतेंदु ने अदालत को बताया कि तीन पुलिस अधिकारी पीड़िता के पिता के साथ मारपीट के आरोपी हैं। इनमें माखी के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद और कांस्टेबल आमिर खान शामिल हैं। भदौरिया और प्रसाद जमानत पर हैं। वहीं आमिर को गुरुवार अदालत ने गिरफ्तारी से राहत दी है। सीबीआइ के अनुसार, 13 जुलाई 2018 को दायर आरोपपत्र में कहा गया कि पीड़िता के पिता और उसके सहयोगी अपने गांव लौट रहे थे। उन्होंने शशि प्रताप सिंह से उन्हें गांव तक लिफ्ट देने के लिए कहा। सिंह ने लिफ्ट देने से मना कर दिया जिससे दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद विधायक का भाई अतुल सिंह सेंगर अन्य के साथ मौके पर पहुंचा और पीड़िता के पिता और उसके सहयोगी की पिटाई कर दी। पीड़िता के पिता को पुलिस थाने ले जाया गया और उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

दिग्गज संगीतकार खय्याम की तबीयत खराब, आइसीयू में भर्ती

मुंबई, 8 अगस्त (भाषा)।

दिग्गज संगीतकार और 'कभी-कभी' तथा 'उमराव जान' के संगीत के लिए मशहूर खय्याम को फेफड़ों में संक्रमण के चलते शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह गहन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) में हैं। पारिवारिक सूत्रों ने कहा कि खय्याम (92) को रविवार को सुजय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

संगीतकार के पारिवारिक मित्र गजल गायक तलत अजीज ने कहा कि वे फिलहाल आइसीयू में हैं। उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है।

डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि उन्हें अस्पताल से कब छुट्टी दी जाएगी। हम सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। खय्याम को 'त्रिशूल', 'नूरी' तथा 'शोला और शबनम' जैसी फिल्मों में शानदार संगीत के लिए जाना जाता है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है।

NOIDA MEDICARE CENTRE LIMITED

Regd. Office: E-485, 2nd Floor, Near Old Police Station, Opposite Punit Apartment, New Ashok Nagar, Delhi-110096
CIN: L24239DL1988PLC031972

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

Sl No	PARTICULARS	QUARTER ENDED Unaudited 30.06.2019	31.03.2019	30.06.2018	YEAR ENDED Audited 31.03.2019
1.	Total income from operations	381.02	470.98	384.18	1757.92
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional and /or extraordinary items)	(234.45)	467.62	(224.41)	(285.94)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(234.45)	467.62	(224.41)	(285.94)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(234.45)	486.00	(224.41)	(285.94)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(234.45)	486.00	(224.41)	(285.94)
6.	Equity Share Capital	1445.85	1445.85	1445.85	1445.85
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				(3631.27)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	- Basic	(1.62)	3.36	(1.55)	(1.98)
	- Diluted	(1.62)	3.36	(1.55)	(1.98)

NOTES:
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 8th August 2019.
2. The above is an Extract of the detail format of quarterly financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other disclosure requirements) regulations, 2015.
3. The full format of the quarterly financial results are available on the website of the Company.
4. The company operates in a single segment viz. Hospital service industry. As such reporting is done on a single segment basis.
5. Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.

By order of the Board
For Noida Medicare Centre Limited
Sd/-
(Dr. Naveen Chaudhri)
Managing Director

Place : Noida (U.P.)
Dated : 08.08.2019

फार्म नं. आईएनसी-25ए

सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तन करने के लिए समाचार-पत्र में विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014, के नियम 41 के मामले में
और
मै. ग्रोहाई लिसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड,
जिसका पंजीकृत कार्यालय फार्म नं-14, सी-3 लेन, खानपुर सैनिक फार्मस, नई दिल्ली-110062 पर स्थित है, के मामले में (आवेदक)

इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत कंपनी केन्द्र सरकार को एक आवेदन करती है, [illegible] कि कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने की इच्छुक है और कंपनी को सक्षम बनाने हेतु कंपनी द्वारा **बुधवार, 07 अगस्त, 2019** को आयोजित एक असाधारण आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

कंपनी के इस प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की आशंका है, तो वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए सम्बंधित क्षेत्रीय निदेशक, को एक शपथ-पत्र, लगाकर अपनी याचिका क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशित होने के 14 दिवस की अवधि के मध्य भेज सकता है, और याचिका की एक प्रति कंपनी को पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भेजें-

कृते ग्रोहाई लिसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता. /
हिमांशु गुप्ता
DIN:00228105
दिनांक 09.08.2019
स्थान: नई दिल्ली
पंजीकृत कार्यालय का पता: फार्म नं-14, सी-3 लेन, खानपुर सैनिक फार्मस, नई दिल्ली-110062

AMTL — ADVANCE METERING TECHNOLOGY LIMITED

Regd. Off.: LGF, E-8/1, Malviya Nagar, Near Geeta Bhawan Mandir, New Delhi-110017
Corporate Office.: 6th Floor, Plot No-19 and 20, Sector-142, Noida-201304, Uttar Pradesh
Tel: 0120 4531400, Email: corporate@pkrgroup.in, Web: www.pkrgroup.in, CIN # L31401DL2011PLC271394

Unaudited standalone & consolidated Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2019 (₹ in '000)

Particulars	Standalone Quarter Ended Jun-19 (Unaudited)	Standalone Quarter Ended Jun-18 (Unaudited)	Standalone Quarter Ended Mar-19 (Audited)	Standalone Year Ended Mar-19 (Audited)	Consolidated Quarter Ended Jun-19 (Unaudited)	Consolidated Quarter Ended Jun-18 (Unaudited)	Consolidated Quarter Ended Mar-19 (Unaudited)	Consolidated Year Ended Mar-19 (Audited)
Total income from operations (net)	91,736.74	175,892.36	136,511.24	914,896.95	91,496.26	175,992.75	135,720.52	913,713.90
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	(33,429.78)	507.71	(11,489.55)	11,801.21	(36,713.67)	358.94	(16,565.21)	4,869.43
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	(33,429.78)	507.71	(11,489.55)	11,801.21	(36,713.67)	358.94	(16,565.21)	4,869.43
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after exceptional and/or extra ordinary item)	(33,429.78)	507.71	(11,489.55)	11,801.21	(36,713.67)	358.94	(16,565.21)	4,869.43
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(33,429.78)	507.71	(12,642.33)	10,648.43	(36,543.08)	445.81	(17,287.23)	3,249.84
Equity Share Capital	80,287.33	80,287.33	80,287.33	80,287.33	80,287.33	80,287.33	80,287.33	80,287.33
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				1,224,492.89				1,179,381.36
Earnings Per Share (Face value of Rs.5/- each) Basic:	(2.08)	0.03	(0.72)	0.73	(2.29)	0.02	(1.03)	0.30
Diluted:	(2.08)	0.03	(0.72)	0.73	(2.29)	0.02	(1.03)	0.30

Notes: (1) The above standalone & consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 8th August, 2019. (2) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. Beginning April 1, 2017 Company has for the first time adopted Ind AS. (3) The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.pkrgroup.in). (4) Earlier the company had a practice to publish its quarterly results in lacs and decimals thereof. In order to maintain uniformity with the financials results published in annual report, the company has presented these results in thousands and decimals thereof and accordingly all the comparative figures has been presented in thousands and decimals thereof. (5) The figures of the previous period / year have been regrouped / recast wherever considered necessary.

For & on behalf of the Board
Advance Metering Technology Limited
Sd/-
(P.K. Ranade)
Chairman-cum-Managing Director
DIN-00005359

Place:- Noida
Date:- 8th Aug, 2019

शुद्धिपत्र

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सत्कार ट्रेडर्स एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिये फाइनांसियल एक्सप्रैस तथा जनसत्ता में प्रकाशित तिथि 20 अप्रैल, 2019 को वर्णित विषय में उल्लिखित " दिल्ली राज्य" को "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" पढ़ें तथा पता "क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, 2 रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003" को "कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली" के पास अपील पढ़ें।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना सं. IZN/PAY AND USE/LKU/19-20-1 दिनांक 07.08.2019

अधोलिखित कार्य के लिए ई-निविदाएँ भारत के राष्ट्रपति की ओर से, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर द्वारा आमंत्रित की जाती हैं।

सिरियल नं. : 1, कार्यों का विवरण : मेन्टीनेन्स आफ लालकुआँ रेलवे स्टेशन पर पे एण्ड यूज शौचालय। अनुमानित लागत रु. में : 1,11,000/-, बयाना राशि रु. में : 2,200/-, निविदा प्रपत्र का जी.एस.टी. सहित मूल्य रु. में : 1,180.00.

• ई-निविदाएँ जमा करने की आखिरी तिथि एवं समय : दिनांक 03.09.2019 को 15.00 बजे तक। • ई-निविदाएँ स्वीकार/प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय : दिनांक 20.08.2019 को 15.00 बजे से प्रारंभ। • कार्य समापन अवधि : 60 माह। • निविदा की वैधता : 45 दिन। • इस निविदा के लिए किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। • पूर्ण विवरण वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए इसे देखें। • निविदादाता के पास क्लास-III डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और IREPS पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए। • केवल पंजीकृत निविदादाता ई-टेंडरिंग में भाग ले सकते हैं। • निविदा में निहित सभी आवश्यक दस्तावेज ई-निविदा में भाग लेने के समय में अपलोड किये जाने चाहियें।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबन्धक,
मुजाधि/वा.-79 पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

यात्री सुविधा सम्बन्धित शिकायत हेतु मो. 09794845955 पर SMS करें

ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें

FRUITION VENTURE LIMITED

CIN- L74899DL1994PLC058824
Regd. Off:- 21-A, III Floor Mukherjee Nagar,Commercial Complex, Delhi-110009
Tel No. +91-11-47027878, Fax No. +91-11-47561818, Web: www.fvl.co.in, Email: csfruitionventure@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30.06.2019

(Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2019 (Un-Audited)	Quarter ended 31.03.2019 (Audited)	Quarter ended 30.06.2018 (Un-Audited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Year ended 31.03.2018 (Audited)
1	Total income from operations	30.50	3.91	433.20	465.60	1,790.56
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-15.95	-24.96	-23.77	-133.10	175.76
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-15.95	-24.96	-23.77	-133.10	175.76
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-36.37	2.98	-5.77	-40.48	162.31
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	-58.63	3.49	44.64	-57.62	63.24
6	Equity Share Capital	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	251.74	270.97	283.23	270.97	328.59
8	Earning per share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations)- (a) Basic :	-1.47	0.09	1.12	-1.44	1.58
	(b) Diluted:	-1.47	0.09	1.12	-1.44	1.58

Note:
a) The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. www.bseindia.com
b) There is no exceptional or extra-ordinary items during the reporting period.

By order of the Board
For Fruition Venture Limited
Sd/-
Narendar Nath Jain
Director
DIN: 00227948

Place: New Delhi
Date: 08.08.2019

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171
वसूली अधिकारी - II, डीआरटी, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत

विक्रय घोषणा निश्चित करने हेतु नोटिस
(आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची का नियम 53 देखें)

आर सी सं. 326/2018 दिनांकित : 12/07/2019

कार्पोरेशन बैंक बनाम मैसर्स ऑल इंडिया ठाकुर महावीर सिंह मेमोरियल ऐजुकेशनल सोसायटी एवं अन्य

सेवा में
सीडी.1 मैसर्स ऑल इंडिया ठाकुर महावीर सिंह मेमोरियल ऐजुकेशनल सोसायटी, पंजीकृत कार्यालय एच-341, हरि नगर एक्सटेंशन, जैतपुर रोड, बदरपुर, नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष / महासचिव / प्रबंधक द्वारा
सीडी.2 राम भूल सिंह पुत्र चंद्र रूप सिंह, निवासी- इंडियन पब्लिक स्कूल, 27 वाँ के. एम., सरसावा देहरादून रोड, डीआईपी- सदौली कदीम, जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
सीडी.3 श्रीमती सुमन चौहान, पति श्री राम भूल सिंह, निवासी 1389 ए / 5, इनडेन गैस गोदाम के सामने, मोहन नगर, वशिष्ठ कॉलोनी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा
सीडी.4 हरीश राणा पिता राम भूल सिंह, निवासी हाउस सं. 2312, सेक्टर-3, यू.ई. कुरुक्षेत्र, हरियाणा
सीडी.5 कुमारी अर्चना चौहान पिता श्री राम भूल सिंह, निवासी एच-341, हरि नगर एक्सटेंशन, जैतपुर रोड, बदरपुर, नई दिल्ली।

पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून द्वारा निर्गत किए गए वसूली प्रमाणपत्र सं. 326 / 2018 (टीए संख्या 561 / 2016 में) दिनांकित 29.09.2018 के निष्पादन हेतु अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित अचल संपत्ति के विक्रय करने की घोषणा की है।

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है दिनांक 06 सितंबर, 2019 को बिक्री एवं उससे संबंधित शर्तों की घोषणा निर्धारित की गयी है। आपसे अनुरोध है कि यदि उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति या उसके हिस्से पर कोई ऋणभार, प्रभार, दावा या देयता है तो उसके बारे में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं। उत्तर न देने पर आपकी सूचना को शून्य समझा जाएगा।

संपत्ति का ब्यौरा

संपत्ति सं.-1 श्रीमती सुमन चौहान के नाम पर स्थित, ग्राम सधौली कदीम, परगना, फैजाबाद, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर के खाता सं.46 में खसरा सं. 452 एम से संबंधित 0.433 हेक्टर की भूमि, जिसकी भौतिक चौहद्दी निम्नवत है:
पूर्व: ईद गाह और रास्ता, **पश्चिम:** श्री चैन सिंह की जमीन, **उत्तर:** धरमपाल सिंह की जमीन, **दक्षिण:** दाऊद और ताहिर का ग्राव यार्ड
विलेख के अनुसार चौहद्दी
पूर्व: कब्रिस्तान की जमीन, **पश्चिम:** श्री चैन सिंह की जमीन, **उत्तर:** टीआरएस पब्लिक स्कूल **दक्षिण:** दाऊद और ताहिर का ग्रेव यार्ड
संपत्ति सं.-2 श्री राम भूल सिंह के नाम पर ग्राम घघरौली, परगना फैजाबाद, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर स्थित खाता सं. 67 की खसरा सं. 110 से संबंधित 0.079 हेक्टर की भूमि, जिसकी विलेख के अनुसार चौहद्दी निम्नवत् है:
पूर्व: रोड, **पश्चिम:** गूल, **उत्तर:** खरीददार की जमीन, **दक्षिण:** अब्दुल कयूम की जमीन

इसे मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मोहर के साथ **दिनांक 12 जुलाई, 2019** को जारी किया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश से
समीर कुमार सक्सेना
वसूली अधिकारी- II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

नेहरू प्लेस शाखा
55, मधुबन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (अधिनियम), 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 27.2.2019 जारी कर ऋणधारकों- मै. थीम एक्स्पोर्ट्स प्रा.लि. (द्वारा प्रबंध निदेशक- श्रीमती नंदिनी सिंह, पत्नी श्री वीरेन्दर सिंह), एफ-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली एवं साथ ही: श्रीमती नंदिनी सिंह, पत्नी श्री वीरेन्दर सिंह (प्रबंध निदेशक-मै. थीम एक्स्पोर्ट्स प्रा.लि.), एफ-105, सोम विहार, अपार्ट्, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022 तथा गारन्टरों-श्रीमती रत्ना सिंह, पत्नी श्री बृजेन्दर सिंह एवं श्री बृजेन्दर सिंह, दोनों: जे-601, सोम विहार अपार्ट्, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022 तथा श्रीमती नंदिनी सिंह, पत्नी श्री विरेन्दर सिंह, एफ-105, सोम विहार अपार्ट., आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 26,12,42,865.29 (रु. छब्बीस करोड़ बारह लाख बयालिस हजार आठ सौ पैंसठ एवं पैसे उन्नतीस मात्र) 31.1.2019 को तथा उसके साथ भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 5 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 26,12,42,865.29 (रुपये छब्बीस करोड़ बारह लाख बयालिस हजार आठ सौ पैंसठ एवं पैसे उन्तीस मात्र) 31.1.2019 को तथा भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर उस पर आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा, नेहरू प्लेस शाखा, 55, मधुवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के चार्ज के अधीन होगा।

[ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।]

अचल/चल सम्पत्ति का विवरण

क) मै. थीम एक्स्पोर्ट्स प्रा.लि. (ऋणधारक कम्पनी) के नाम में एफ-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली, माप 1276 वर्ग यार्ड्स में स्थित इक्विटैबल मार्टगैज रखी गई फैक्ट्री भूमि एवं भवन का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: सम्पत्ति सं. 24/5, दक्षिण: सर्विस लेन, पश्चिम: सम्पत्ति सं. 25/2, उत्तर: 80 फीट रोड।
ख) कम्पनी की सभी चालू परिसम्पत्तियों तथा चल एवं अचल परिसम्पत्तियों पर 1ला प्रभार।

तिथि: 5.8.2019
स्थान: नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली

कम्पनी याचिका सं. सीएए-54 (एनडी) / 2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के मामले में
तथा

नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -1 / आवेदक कम्पनी -1
तथा
केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -2 / आवेदक कम्पनी -2
तथा
सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -3 / आवेदक कम्पनी -3
तथा
गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -4 / आवेदक कम्पनी -4
तथा
सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -5 / आवेदक कम्पनी -5
तथा
केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -6 / आवेदक कम्पनी -6
तथा
ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरिती कम्पनी -7 / आवेदक कम्पनी -7
तथा
उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के समामेलन की स्कीम के मामले में

सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अधिमान शेयरहोल्डर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक की सूचना का नोटिस और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली ("एनसीएलटी") ने आदेश दिनांकित 17-07-2019 द्वारा निदेशित किया है कि आवेदक कम्पनी 5 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अधिमान शेयरहोल्डर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी -1"), केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी -2"), सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी -3"), गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी -4"), सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी -5"), केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी -6") तथा ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी -7") और उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम ("स्कीम") में दी गई व्यवस्था पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाए, संशोधन के साथ अथवा उसके बिना, अनुमोदन के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसाकि उसमें निदेशित किया गया है, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि :

(i) आवेदक कम्पनी 5 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक 414 / 1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2019 को पूर्वा. 10.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है ;
(ii) आवेदक कम्पनी 5 के डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक 414 / 1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2019 को पूर्वा. 11.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें डिबेन्चर होल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
(iii) आवेदक कम्पनी 5 के अधिमान शेयरहोल्डर्स की बैठक 414 / 1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2019 को मध्या. 12.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें अधिमान शेयरहोल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के अधीन उक्त स्कीम और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां तथा परोक्षी का फार्म आवेदक कम्पनी 5 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अधिमान शेयरहोल्डर्स एवं डिबेन्चर होल्डर्स द्वारा उसके लिए बनाया गया मांग पत्र प्रस्तुत कर आवेदक कम्पनी 5 के पंजीकृत कार्यालय से एक (1) दिन के भीतर (सिवाय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि परोक्षी संबंधी सभी फार्म आवेदक कम्पनी 5 के 414 / 1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 स्थित पंजीकृत कार्यालय में उक्त बैठकों के आरंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पूर्व जमा कर दिए जाने चाहिए।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैठकों के लिए श्री इंद्रजीत सिंह को अध्यक्ष तथा सुश्री फराह हाशमी को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त स्कीम यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता / -
इंद्रजीत सिंह
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 08 अगस्त, 2019

प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L27109HR1980PLC010724
पंजी. कार्यालय: 15 कि.मी. स्टोन, दिल्ली रोड, हिसार-125044 (हरियाणा)

कम्पनी सूचना

कम्पनी का दावा-रहित लाभांश तथा इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरण

एतद्द्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान घोषित अंतिम लाभांश जो लगातार सात वर्षों की अवधि से दावा-रहित रहा है, को 7 नवम्बर, 2019 को आईईपीएफ में क्रेडिट किया जायेगा। तत्स्थानीय शेयरों जिस पर लगातार सात वर्षों से लाभांश दावा-रहित रहा है, को भी नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जायेगा।

कम्पनी ऐसे शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण नहीं करेगी जहाँ ऐसे शेयरों पर किसी भी अंतरण के लिये न्यायालय/अधिकरण के विशिष्ट आदेश द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है अथवा जहाँ शेयर्स डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 के अंतर्गत हाइपोथेकेटेड/गिरवी रखे गये हैं।

नियमावली के अनुपालन में कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया है तथा आईईपीएफ में अंतरित किये जाने के लिये नियत ऐसे शेयरों के विवरण हमारी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गयी है। संबंधित शेयरधारक अपने अनएन्कैस्ड लाभांश तथा अंतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरणों की जाँच के लिये वेबलिंक www.prakash.com/IEPF देखें।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि इससे पहले कि उसे आईईपीएफ में अंतरित की जाये, वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान घोषित अंतिम लाभांश का अपना दावा प्रस्तुत करें।

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे संबंधित शेयर धारकों जिनके शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जायेगा, यह ध्यान रखें कि आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी उनके द्वारा धारित मूल शेयरों की जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी तथा इस प्रकार जारी किये जाने के उपरांत डीमैट पद्धति में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को रुपांतरित करने तथा आईईपीएफ में अंतरण के लिये कार्पोरेट कार्रवाई के द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर धारकों के नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः, निरस्त हो जाएंगे तथा उसे अविचारणीय माना जायेगा। डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयर धारक यह ध्यान रखें कि कम्पनी आईईपीएफ की डीमैट खाता के पक्ष में शेयरों के अंतरण के लिये कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणों को आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

यदि 21 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व कम्पनी संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं करती है तो नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसरण करने के उद्देश्य से कम्पनी नियत तिथि अर्थात् 7 नवम्बर, 2019 तक आईईपीएफ में लाभांश का अंतरण कर देगी।

ऐसे तत्स्थानीय शेयरों जिस पर लगातार सात वर्षों से लाभांश दावा-रहित रहा है, को भी बिना किसी अग्रिम सूचना के अंतरित किया जाएगा।

कृपया ध्यान रहे कि आईईपीएत में अंतरिम की गई दावा-रहित लाभांश राशि तथा शेयरों के संदर्भ में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जाएगी। शेयरधारक नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरणों से यदि कोई हो, ऐसी शेयरों पर उपचयित सभी लाभों सहित आईईपीएफ में अंतरित की गई लाभांश तथा तत्स्थानीय शेयरों को वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं।

उपरोक्त विषय पर किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि कम्पनी की इमेल: investorshelpline@prakash.com तथा सम्पर्क नं. 11-25305800 पर संपर्क करें।

प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
अश्विनी कुमार
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 8.8.2019

हॉवर्ड होटल्स लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 20, मौर्या कॉम्प्लैक्स, बी-28, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली-110092
कॉर्पोरेट कार्या.: होटल हॉवर्ड प्लाजा, फतेहाबाद रोड, आगरा-282001 (उ.प्र.), भारत
CIN: L74899DL1989PLC038622; **फोन:** 0562-404-8600, **फैक्स:** 0562-404-8666
ई-मेल: cs@howardhotelsltd.com, **वेबसाईट:** www.howardhotelsltd.com

30वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

कम्पनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण सभा गुरुवार, 5 सितम्बर, 2019 को एक्जीक्यूटिव क्लब, सी/ओ डॉली फार्म्स एंड रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, 439, ग्राम शहूरपुर, पी.ओ. फतेहपुरबेरी, नई दिल्ली-74 में 10.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी प्रपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के साथ ई-वोटिंग के लिए निर्देश सहित व्याख्यात्मक विवरण के साथ 30वें एजीएम की सूचना ऐसे सभी सदस्यों को इलेक्ट्रानिक पद्धति से भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टीसिपैन्ट्स के पास दर्ज हैं तथा उसकी भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को 8 अगस्त, 2019 तक स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार विवरण यहां नीचे दिए गए हैं:

क) अभिलिखित तिथि अर्थात् 29 अगस्त, 2019 को भौतिक या डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयरधारित करने वाले कम्पनी के सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
ख) जिन व्यक्तियों ने सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हों तथा कम्पनी का सदस्य बने हों, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
ग) सभा में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने पहले मतदान नहीं किए हों, एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिए सक्षम होंगे।
घ) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बावजूद भी सदस्य साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सभा में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ङ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि (29.8.2019) को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही साथ साधारण सभा में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
च) ई-वोटिंग अवधि 2 सितम्बर, 2019 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा 4 सितम्बर, 2019 (5.00 बजे अप. आईएसटी) में बंद होगी तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
छ) एजीएम की सूचना की एक प्रति कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.howardhotelsltd.com, सीडीएसएल की वेबसाईट अर्थात् www.evotingindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
ज) ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ के लिए आप 'HELP' सेक्शन के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध FAQ's तथा ई-वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिखें अथवा 18002005533 पर कॉल करें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से संबंधित किसी अन्य प्रश्नों के लिए मै. लिंकइन्टाइम इंडिया प्रा. लि.- श्री भारत भूषण (एवीपी) से 011-41410542 से सम्पर्क करें या delhi@linkintime.co.in को लिखें।

पुनः, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में शेयर अंतरण पुस्तकें तथा सदस्यों के रजिस्टर शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 से गुरुवार, 5 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक कम्पनी की 30वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से
हॉवर्ड होटल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
दिशा अग्रवाल
(कम्पनी सचिव)

तिथि: 8.8.2019
स्थान: आगरा

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों के विरोध के बीच गुरुवार को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने एनएमसी को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक अधिनियम करार दिया है।

डा हर्षवर्धन ने प्रेस वार्ता में कहा कि इससे चिकित्सा शिक्षा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और देश की चिकित्सा सेवा मजबूत होगी। इस बीच एम्स के चिकित्सकों ने एक वीडियो जारी कर विधेयक पर सवाल उठाए हैं। एम्स सहित तमाम अस्पतालों के चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों का कहना है कि आयोग से जुड़े मसौदे को तैयार करने में सरकार ने डॉक्टरों की भागीदारी की बात कही है। देखना होगा कि मसौदा किस तरह का तैयार होता है। तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही विधेयक अब कानून बन गया है। डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि आने वाले समय में यह कानून चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री की सराहना की।

डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि इस कानून से चिकित्सा शिक्षा के छात्रों पर दबाव कम होगा। उन्होने दावा किया कि इससे चिकि त्सा शिक्षा में सीटें बढ़ेंगी और आसान और कम शुल्क में डॉक्टरी की पढ़ाई की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि एनएमसी बेहद अहम संस्था होगी जो नीतियां बनाएगी और चार स्वशासी बोर्ड की गतिविधियों में समन्वय करेगी। यह बोर्ड स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग और आचार और चिकित्सा पंजीकरण का काम देखेगा। इसमें देशभर के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समान प्रवेश परीक्षा (नीट) और समान काउंसलिंग प्रक्रिया की व्यवस्था है।

उन्होंने बताया कि मौजूदा प्रणाली में हर विद्यार्थी को अंतिम वर्ष की परीक्षा देनी पड़ती है। एनएमसी अधिनियम के अंतर्गत अंतिम वर्ष की परीक्षा देशव्यापी होगी। यह परीक्षा डॉक्टरी का लाइसेंस, एमबीबीएस की डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सुविधा देगी। स्तनातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी समान काउंसलिंग का प्रावधान है। विद्यार्थी सभी मेडिकल कॉलेजों और एम्स, पीजीआइ चंडीगढ़ और जिपमेर जैसे संस्थानों में प्रवेश पा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि आइएमसी अधिनियम, 1956 में फीस के नियमन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप कुछ राज्य कॉलेज प्रबंधन के साथ समझौता ज्ञापन करने निजी मेडिकल कॉलेजों में कुछ सीटों की फीस का नियमन करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतरिम व्यवस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत हाईकोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समितियों का गठन किया है।

'समग्र शिक्षा–जल सुरक्षा' अभियान की आज शुरुआत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' शुक्रवार को 'समग्र शिक्षा–जल सुरक्षा' अभियान शुरू करेंगे। देश भर के स्कूली विद्यार्थियों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए दिल्ली छावनी में केंद्रीय विद्यालय संख्या–2 स्थित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में इस अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों प्रत्येक दिन एक लीटर पानी की बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

जल संचय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन पर भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है। यह एक समयबद्ध अभियान है, जिसमें मिशन की तरह काम किया जा रहा है। जल संरक्षण की यह संकल्पना विद्यार्थियों को समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे पानी के महत्त्व को समझ सकें और इससे किस प्रकार उनके जीवन को अर्थपूर्ण दिशा मिलती है।

मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा स्कूल विद्यार्थियों के बीच जल संरक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'समग्र शिक्षा–जल सुरक्षा' अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि वे देश के एक सामर्थ्यवान, और प्रतिबद्ध जल नागरिक बन सकें। इसके लिए विभाग ने एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की है।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

क्षेत्रीय दबावग्रस्त ऑस्ति वसूली शाखा, सी–1/101, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन्दरा नगर कॉलोनी, देहरादून–248001 (उत्तराखंड), फोन नं0: 8477000402, 8477000405/406
sardeh@bankofbaroda.co.in

विक्रय नोटिस

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ऑन लाईन एवं प्राधिकृत अधिकारी (ऑनलाईन) ईएमडी एवं डोक्युमेंटस जमा करने की अन्तिम तिथि व समय 09/09/2019 को सांय 5.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नं. 54/2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की बिक्री। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा SARFAESI अधिनियम के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किया गया तथा उसके बाद निम्नांकित तथा उसके बाद निम्नांकित प्रभारित/बन्धक सम्पत्ति को उक्त अधिनियम के तहत सम्पत्ति का कब्जा ले लिया गया था और यहां नीचे दर्शायी गयी सम्पत्ति की बिक्री हेतु जहां है जैसी है" के आधार पर उक्त अधिनियम में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net द्वारा करायी जायेगी।

ऋणी/गारन्टर के नाम व पता	(अ) मांग नोटिस की तिथि (ब) कब्जा नोटिस की तिथि (स) बकाया राशि	सम्पत्ति का विवरण	रिजर्व मूल्य / अर्नेस्ट मूल्य	ई–नीलामी की तिथि व समय / बढ़ी हुई बोली राशि
ऋणी: मैसर्स वीएसएम इंडस्ट्रीज प्लॉट नं0 जे-59, गंगा विहार कॉलोनी, जमालपुर खुर्द, बहादराबाद, हरिद्वार, प्रोपराइटर श्री राजीव कश्यप पुत्र श्री श्याम लाल, प्लॉट नं0 जे-59, गंगा विहार कॉलोनी, जमालपुर खुर्द, बहादराबाद, हरिद्वार। गारन्टर्स: 1. दिनेश कुमार पुत्र अछपाल सिंह, ग्राम जमालपुर खुर्द, परगना ज्वालापुर, हरिद्वार 2. अनुज कश्यप पुत्र श्री श्याम लाल कश्यप C/o मैसर्स केशव इंडस्ट्रीज खसरा नं0 90, जमालपुर खुर्द, बहादराबाद, हरिद्वार 3. संजीव कश्यप पुत्र श्री श्याम लाल कश्यप, ग्राम जमालपुर खुर्द, बहादराबाद, हरिद्वार	(अ) 23.07.2012 (ब) 21.06.2013 (स) रू0 12,67,280.25 (रू0 बारह लाख सड़सठ हजार दो सौ अस्सी एवं पच्चीस पैसा मात्र) + ब्याज व अन्य खर्चे	बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं0 4 का भाग, खसरा नं0 90 एम, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट अर्थात 92.93 वर्ग मीटर सम्पत्ति स्वामी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री अछपाल सिंह, विक्रय विलेख संख्या 2144 दिनांक 23.03.2004, स्थित ग्राम जमालपुर खुर्द, परगना ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार। सीमायें:-पूर्व: प्लॉट नं0 4 का शेष भाग एवं प्लॉट नं0 5, पश्चिम: प्लॉट नं0 3, उत्तर: रास्ता 27 फीट चौड़ा, दक्षिण: अछपाल सिंह की भूमि	(अ) रु. 8,30,000/- (रू0 आठ लाख तीस हजार मात्र) (ब) रु. 83,000/- (रू0 तिरासी हजार मात्र)	(अ) दिनांक 11.09.2019 दोपहर 01.00 बजे से अपराहन 03.00 बजे तक (ब) रु. 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र)

नियम व शर्ते : ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है तथा जहां है जो भी है के आधार पर" आयोजित की जा रही है। (1) प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी तथा सूचना के अनुसार किसी सम्पत्ति का कोई ऋणभार नही है। यद्यपि इच्छुक बिडरो को अपनी बिड प्रस्तुति से पहले सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले ऋण भार, नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति/यो/के टाईटिल तथा दावेअधिकार/बकाया के संबंध में अपनी स्वतंत्र जाँच करवानी चाहिये। ई-नीलामी का विज्ञापन बैंक के लिए कोई प्रतिबद्धता को नहीं स्थापित करता है तथा न ही स्थापित करेगा। सम्पत्ति बैंक के समस्त वर्तमान तथा भविष्य के जाने-अनजाने ऋण भार सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रैडिटर तीसरी पार्टी के दावे/अधिकार/बकायों के लिये किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। (2) यह बिडर्स की जिम्मेदारी होगी कि बिड प्रस्तुति से पूर्व एसेट्स तथा स्पेसीफिकेशन के बारे में स्वयं जांच करें तथा संतुष्ट हों। नीलाम की जाने वाली सम्पत्तियों की इच्छुक बिडर द्वारा साईट पर कार्यालय के कार्यदिवस पर निरीक्षण की अनुमति होगी। (3) इच्छुक बिडर्स लॉगिइन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से अपनी ईएमडी एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्न एकाउंट खाता सं0 - 59900015181219, खाते का नाम: न्यू इन्टरमीडिएट्री एकाउंट, बेनिफीसयरी का नाम: बैंक ऑफ बड़ौदा, आईएफएससी कोड: BARB0SARDEH, कृपया नोट करें कि ईएमडी राशि के रूप में चेक्स/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (4) बिडर द्वारा वेब पोर्टल में पंजीकरण के बाद इच्छुक बिडर/क्रेता को बिड(स) प्रस्तुति की अंतिम तिथि से पूर्व वेब पोर्टल में अपलोड किये गये निम्न प्रश्नों की प्रतियां प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे (1) एनईएफटी/आरटीजीएस चालान की कॉपी (2) पैनकार्ड की कॉपी (3) परिचय प्रमाण (केवाईसी) जैसे : वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट इत्यादि की स्वप्रमाणित कॉपी (4) पते के प्रमाण की कॉपी : जिसके बिना बिड निरस्त योग्य है। विधिवत भरे तथा हस्ताक्षर के बाद परिशिष्ट-2 एवं 3 (वेब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net से डाउनलोड कर सकते हैं।) की स्कैन की हुई कॉपी की अपलोडिंग अनिवार्य है। (5) इच्छुक बिडर्स जिन्हें लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग, बिड प्रस्तुति ई-बिडिंग प्रक्रिया इत्यादि में प्रशिक्षण सहायता की आवश्यकता हो मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजी लिमिटेड, बी-704-5, वॉल स्ट्रीट-II, ओरियंट क्लब, एन आर गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति: श्री जय चौधरी - 07961200595, श्री सचिन शर्मा-9988137576, ई-मेल uttarakhand@auctiontiger.net, sachin.sharma@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net, हैल्पलाईन ई-मेल आईडी: support@auctiontiger.net से सम्पर्क करते हैं तथा प्रापर्टी से सम्बन्धित कोई जानकारी हेतु प्राधिकृत अधिकारी–श्री के.डी. नौटियाल, मोब: 91–8477000402/405/406, e-mail ID: sardeh@bankofbaroda.com पर सोमवार से शनिवार मे कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं। (6) वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक तथा एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी भुगतान की पुष्टि करने वाले क्रेता ही ई-नीलामी प्रक्रिया मे भाग लेने के पात्र होंगे। (7) इच्छुक बोलीदाताओं को अपने बोली दस्तावेजों को (आरक्षित मूल्य से कम नही) एवं समस्त डोक्युमेंटस (जैसे क्रमांक 4 मे दिया है) 09.09.2019 सांय 5.00 बजे से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना है इच्छुक बिडर्स जो अपने डोक्युमेंटस प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा नही करा सकते अपने डोक्युमेंटस ऑनलाईन (जो वेब पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर इस विज्ञापन के प्रकाशित होने की तिथि से उपलब्ध है।) 09.09.2019 सांय 5.00 बजे तक जमा करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद तथा वैध यूजर आईडी/पासवर्ड धारक क्रेता ही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। (8) ऑनलाइन मोड के माध्यम से आरक्षित मूल्य से नीचे नही की अपनी ईएमडी जमा कर चुके इच्छुक बिडर्स ई-बिडिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। उपरोक्त सम्पत्तियो की ई-नीलामी बिडर्स के मध्य परस्पर बिडिंग के द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति के सापेक्ष वर्णितानुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर संचालित की जायेगी। बिडर प्रत्येक सम्पत्ति के सापेक्ष बिड इन्क्रीज अमाउन्ट कॉलम के तहत वर्णित राशि के गुणांक में अपने ऑफर प्रस्तुत करेंगे। ई-नीलामी के अंतिम समय के आखिरी 5 मिनट में बिड रखे जाने की स्थिति में अंतिम समय 5 मिनट (असीमित विस्तार) के लिये स्वत: ही बढ़ जाएगा। ई-नीलामी प्रक्रिया की सम्पत्ति पर उच्चतम बिड राशि (आरक्षित मूल्य से कम नही) जमा करने वाले बिडर को सफल बिडर घोषित किया जायेगा तथा इस बात का एक पत्राचार इलैक्ट्रोनिक मोड से जारी किया जायेगा जो प्राधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा अनुमोदन की शर्त पर होगा। (9) सफल बिडर की जमा धरोहर धनराशि (ईएमडी) बिक्री के विचारार्थ रखी जावेगी तथा असफल बिडर्स की ईएमडी वापिस कर दी जावेगी। जमा धरोहर धनराशि पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा। सफल बिडर को स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा बिड प्राईस की स्वीकृति के समय पहले जमा ईएमडी के समायोजन करके बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा तथा बिक्री मूल्य शेष 75 प्रतिशत बिक्री की पन्द्रहवें दिन अथवा उसके अंदर जमा करना होगा, ऐसी विस्तारित अवधि प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगी। सफल बिडर द्वारा भुगतान में असफल पर ऑफर के साथ पूर्व में जमा राशि जब्त हो जायेगी तथा सम्पत्ति पुनः नीलामी में रखी जायेगी तथा असफल क्रेता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा नहीं करेगा। (10) भावी सफल बिडर्स ई-नीलामी की तिथि के पहले मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजी लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है। न तो प्राधिकृत अधिकार/बैंक न ही मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजी लिमिटेड किसी इन्टरनेट नेटवर्क समस्या हेतु उत्तरदायी होगा तथ इच्छुक बिडर्स को आश्वत होना होगा कि वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु टैक्नीकली रूप में पूर्णतया तैयार है। (11) क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटीज/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/ट्रांसफर चार्जेस शुल्क आदि तथा समस्त विधिक/गैर विधिक देय, टैक्सेज दरें, एसेसमेण्ड चार्जेस फीस आदि किसी भी व्यक्ति के कारण भी वहन करने होंगे। (12) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम ऑफर स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताये किसी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार अथवा निरस्त करने तथा ई-नीलामी को टालने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। (13) अपनी बिडस जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व बिडर्स को मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजी लिमिटेड के वेब https://bob.auctiontiger.net पोर्टल पर उपलब्ध ई-नीलामी की विस्तृत नियम एवं शर्ते। देखने की सलाह दी जाती है। (14) विशेष निर्देश:- अन्तिम समय में बिड ना करे। बैंक ना ही सर्विस प्रदाता कम्पनी किसी टैकनिकल समस्या पावर फेल या इंटरनेट फेल के लिये जिम्मेदार होंगे। इन समस्या से बचने के लिये बिडर इन बातो का ध्यान रखे कि इन सुविधाओं से युक्त हो, जिससे वह नीलामी प्रक्रिया को पूरा कर सके।

सरफेसी एक्ट, 2002 के तहत विधिक 30 दिनों का सेल नोटिस

दिनांक: 07.08.2019 स्थान – देहरादून प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

सिंडिकेटबैंक
SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

Branch- SF-17, Shastri Nagar, Ghaziabad.

सेवा में, कर्जदारगण: दिनांक: 30.07.2019

नाम	पता
श्रीमति मंजीत कौर पत्नि स्व. जगदीश सिंह के0ऑफ सनोटरा रिपेयरिंग वर्क्स	294, सी, बॉनजेर पटेल मार्ग, गाजियाबाद।
श्री माखन सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह के0ऑफ सनोटरा रिपेयरिंग वर्क्स	294, सी, बॉनजेर पटेल मार्ग, गाजियाबाद।
श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह के0ऑफ सनोटरा रिपेयरिंग वर्क्स	294, सी, बॉनजेर पटेल मार्ग, गाजियाबाद।
जमानती:–	
विजय कुमार सहगल	एफ–40, पटेल नगर–1, गाजियाबाद।
श्री माखन सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह के0ऑफ सनोटरा रिपेयरिंग वर्क्स	294, सी, बॉनजेर पटेल मार्ग, गाजियाबाद।
श्री बलबीर सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह के0ऑफ सनोटरा रिपेयरिंग वर्क्स	294, सी, बॉनजेर पटेल मार्ग, गाजियाबाद।

प्रिय महोदय/महोदया,
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना
(1) हमने, आपके अनुरोध पर, कर्जदार/रों को कुल योग राशि रू. 4,00,000/– दिनांक 06.01.2012 हेतु क्रेडिट लिमिट्स मंजूर की है तथा हम हमारे द्वारा प्रदान की गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का पूर्ण विवरण यहां नीचे दे रहे हैं :

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार/ खाता संख्या	Limit/Loan Amount (Rs.)	Outstanding Liability (Rs.)
1.	SOD LIMIT 88901250000200	4,00,000	5,89,030.30
	Total	4,00,000	5,89,030.30

(2) चूंकि आपने देय राशियां चुकाने में चूक की है, हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 31.03.2014 निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपका खाता को अनार्जक आस्ति के रूप में सूचीबद्ध किया है।

(3) ऋण दस्तावेज की सहमत शर्तों के अनुसार भुगतान में लगातार चूक के दृष्टिगत, पूरी राशि देय हो चुकी है। अत: अब रू. 5,89,030.30 (रू. पांच लाख नवासी हजार तीस और तीस पैसे मात्र) की राशि दिनांक 01–03–2019 से ब्याज और लागतों इत्यादि सहित बकाया है।

(4) हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमारी पूरी बकाया राशि के भुगतान हेतु बारम्बार सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद, आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।

(5) आपको विदित है कि हमारे द्वारा मंजूर की गई लिमिट द्वारा स्वाधिकृत निम्नलिखित आस्तियों (प्रतिभूत आस्तियों) द्वारा प्रत्याभूत है मालिक स्व0. जगदीश सिंह।

100 स्क्वेयर यार्ड, मकान नं0. 294सी, जिसकी माप 100 स्क्वेयर यार्ड, बोंझा, लोनी, गाजियाबाद।

चौहद्दी :– उत्तर : रोड़, दक्षिण : बीना हण्डा की सम्पत्ति, पूर्व : अन्य मालिक, पश्चिम : विकास हण्डा की सम्पत्ति।

(6) उपरिवर्णित कारणों के आधार पर, हम एतद्द्वारा आपसे हमारी पूरी बकाया राशि इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग करते हैं, जिसमें असफल रहने पर, हम उपरिवर्णित प्रत्याभूत आस्तियों के विरूद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अधीन हमको प्राप्त शक्तियों में अन्य के साथ
(प) कर्जदार की प्रत्याभूत आस्ति का कब्जा प्राप्त करना, जिसमें प्रत्याभूत आस्ति के नकदीकरण हेतु पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण, (पप) व्यवसाय का प्रबंधन अधिग्रहीत करना, जिसमें पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण का अधिकार तथा प्रत्याभूत ऋण की वसूली शामिल है तथा हमारे द्वारा किए गए प्रत्याभूत आस्ति के अंतरण से अंतरित प्रत्याभूत आस्ति के संबंध में सभी अधिकार अंतरिती को इस प्रकार प्रकार प्राप्त हो जाएगे जैसाकि आपके द्वारा किए गए अंतरण से प्राप्त होते।

(7) उपरिवर्णित शक्तियो के प्रयोग से प्राप्त होने वाली राशि सर्वप्रथम उन सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों हेतु प्रयुक्त की जाएगी, जो कानून की दृष्टि में हमारे द्वारा समुचित उपगत किए गए हैं अथवा उनके अनुषगी हैं और द्वितीयत: हमारी उपरिवर्णित बकाया राशि, इस सूचना की तिथि से वास्तविक वसूली तक संविदात्मक दर पर ब्याज चुकाने हेतु प्रयुक्त की जाएगी, तथा शेष राशि, यदि कोई होगी, आपको अदा कर दी जाएगी।

(8) कृपया नोट करें कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद, आप इस सूचना में संदर्भित किसी भी प्रत्याभूत आस्ति का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरण, बैंक (प्रत्याभूत लेनदार) की लिखित सहमति के बिना नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया तो यह अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

(9) आपका का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

(10) कृपया यह भी नोट करें कि यह सूचना पूरी बकाया राशि अथवा उसके किसी अंश की वसूली, उसकी वसूली की तिथि तक देय ब्याज एवं लागतों के साथ करने के लिए आपके विरूद्ध डीआरटी/सक्षम न्यायालय में कार्यवाही आरंभ करने के बैंक के अधिकार को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगी।

दिनांक– 30.07.2019 स्थान–शास्त्री नगर, गाजियाबाद। प्राधिकृत अधिकारी

Art Culture & Languages DELHI GOVERNMENT

मैथिली–भोजपुरी अकादमी, दिल्ली

(कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार)
7–9, आपूर्ति भवन, आराम बाग लेन, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055

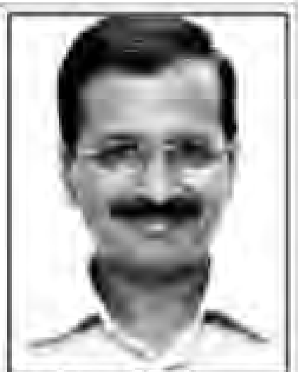

अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन

मुख्य अतिथि
श्री कैलाश गहलोत
माननीय परिवहन, पर्यावरण, कानून, राजस्व एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री, दिल्ली सरकार

विशिष्ठ अतिथि
श्री दिलीप पाण्डेय
साहित्यकार, समाजसेवी, चिंतक

प्रवेश निःशुल्क

दिल्ली सरकार

अतिथि
श्री दुर्गेश पाठक
समाजसेवी

अध्यक्षता
प्रो. देवशंकर नवीन
जनप्रिय–मानल कवि एवं साहित्यकार

सान्निध्य
श्री नीरज पाठक
उपाध्यक्ष, मैथिली–भोजपुरी अकादमी, दिल्ली

रविवार, 11 अगस्त, 2019.............. सायं 5.00 बजे
हिन्दी भवन सभागार, विष्णु दिगम्बर मार्ग (निकट बाल भवन, आई.टी.ओ. मैट्रो स्टेशन) नई दिल्ली–110002

आमंत्रित कविगण

मैथिली: सुश्री जयंती झा, श्री नीतिश कर्ण, श्री मैथिल प्रशांत, सुश्री मुन्नी कामत, श्री रमन कुमार सिंह, श्री राजशेखर सुश्री रोमिशा झा, श्री शंकर मधुपारा, श्री सदरे आलम गौहर, श्री सुधीर कुमार, सुश्री स्वाति शाकांभरी

भोजपुरी: सुश्री अकिला पंडित, डॉ. अनुपमा, श्रीमती इन्दु उपाध्याय श्री जियाउल हक, श्री ध्रुव गुप्त, डॉ. प्रमोद कुमार पुरी श्री मनीष कुमार मिश्र, सुश्री शिप्रा किरण श्री संजय कुमार सिंह, श्री संतोष पटेल, डॉ. सागर

संचालन
डॉ. मुन्ना कुमार पाण्डेय

अपने सादर आमंत्रित छी। रउवाँ सादर आमंत्रित बानीं।

गुरभेज सिंह गुराया
सचिव

दूरभाष : 23629681, 23629682 नोट : अधिक जानकारी के लिए अकादमी कार्यालय में संपर्क करें।

DIP/Shabdarth/0499/19-20

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ–III, नई दिल्ली

कम्पनी याचिका सं. सीएए–54 (एनडी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के मामले में
तथा
नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –1/आवेदक कम्पनी –1
तथा
केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –2/आवेदक कम्पनी –2
तथा
सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –3/आवेदक कम्पनी –3
तथा
गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –4/आवेदक कम्पनी –4
तथा
सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –5/आवेदक कम्पनी –5
तथा
केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –6/आवेदक कम्पनी –6
तथा
ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरिती कम्पनी –7/आवेदक कम्पनी –7
तथा
उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के समामेलन की स्कीम के मामले में

नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरहोल्डर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक की सूचना का नोटिस और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ–III, नई दिल्ली ("एनसीएलटी") ने आदेश दिनांकित 17–07–2019 द्वारा निदेशित किया है कि आवेदक कम्पनी 1 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी –1"), केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी–2"), सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी –3"), गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी –4"), सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी –5"), केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी –6") तथा ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी–7") और उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम ("स्कीम") में दी गई व्यवस्था पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाए, संशोधन के साथ अथवा उसके बिना, अनुमोदन के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसाकि उसमें निदेशित किया गया है, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि:

(i) आवेदक कम्पनी 1 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को पूर्वा. 10.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है;

(ii) आवेदक कम्पनी 1 के डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को पूर्वा. 11.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें डिबेन्चर होल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के अधीन उक्त स्कीम और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां तथा परोक्षी का फार्म आवेदक कम्पनी 1 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स एवं डिबेन्चर होल्डर्स द्वारा उसके लिए बनाया गया मांग पत्र प्रस्तुत कर आवेदक कम्पनी 1 के पंजीकृत कार्यालय से एक (1) दिन के भीतर (सिवाय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि परोक्षी संबंधी सभी फार्म आवेदक कम्पनी 1 के 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 स्थित पंजीकृत कार्यालय में उक्त बैठकों के आरंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पूर्व जमा कर दिए जाने चाहिए।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैठकों के लिए एडवोकेट वैभव सिंह को अध्यक्ष तथा एडवोकेट शिवानी गुप्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त स्कीम यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता./–
वैभव सिंह
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 08 अगस्त, 2019

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ–III, नई दिल्ली

कम्पनी याचिका सं. सीएए–54 (एनडी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के मामले में
तथा
नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –1/आवेदक कम्पनी –1
तथा
केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –2/आवेदक कम्पनी –2
तथा
सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –3/आवेदक कम्पनी –3
तथा
गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –4/आवेदक कम्पनी –4
तथा
सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –5/आवेदक कम्पनी –5
तथा
केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी –6/आवेदक कम्पनी –6
तथा
ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरिती कम्पनी –7/आवेदक कम्पनी –7
तथा
उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के समामेलन की स्कीम के मामले में

ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अप्रत्याभूत क्रेडिटर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक की सूचना का नोटिस और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ–III, नई दिल्ली ("एनसीएलटी") ने आदेश दिनांकित 17–07–2019 द्वारा निदेशित किया है कि आवेदक कम्पनी 7 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अप्रत्याभूत क्रेडिटर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी –1"), केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी –2"), सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी –3"), गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी –4"), सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी –5"), केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी –6") तथा ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी –7") और उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम ("स्कीम") में दी गई व्यवस्था पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाए, संशोधन के साथ अथवा उसके बिना, अनुमोदन के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसाकि उसमें निदेशित किया गया है, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि:

(i) आवेदक कम्पनी 7 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2019 को अप. 02.30 बजे आयोजित होगी, जिसमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है;

(ii) आवेदक कम्पनी 7 के डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2019 को अप. 03.30 बजे आयोजित होगी, जिसमें डिबेन्चर होल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

(iii) आवेदक कम्पनी 7 के अप्रत्याभूत क्रेडिटर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 में बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2019 को अप. 04.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें अप्रत्याभूत क्रेडिटर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के अधीन उक्त स्कीम और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां तथा परोक्षी का फार्म आवेदक कम्पनी 7 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स, अधिमान शेयरहोल्डर्स एवं डिबेन्चर होल्डर्स द्वारा उसके लिए बनाया गया मांग पत्र प्रस्तुत कर आवेदक कम्पनी 7 के पंजीकृत कार्यालय से एक (1) दिन के भीतर (सिवाय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि परोक्षी संबंधी सभी फार्म आवेदक कम्पनी 7 के 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 स्थित पंजीकृत कार्यालय में उक्त बैठकों के आरंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पूर्व जमा कर दिए जाने चाहिए।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैठकों के लिए श्री इंद्रजीत सिंह को अध्यक्ष तथा सुश्री फराह हाशमी को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त स्कीम यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता./–
इंद्रजीत सिंह
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 08 अगस्त, 2019

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: 1993, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली-110040

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **01/06/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स आजाद ट्रेडिंग कं. मालिक- श्री आजाद प्रकाश, 2031, नरेला मण्डी, नरेला, दिल्ली-110040,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 31,10,057/- (इकत्तीस लाख दस हजार सतावन रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 03.08.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.31,10,057/- (इकत्तीस लाख दस हजार सतावन रूपये मात्र) और उस ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे रोड, नरेला, दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा। **ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।**

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री आजाद प्रकाश पुत्र रामानंद के नाम पर साम्यिक बंधक आवासीय भूमि/भवन, एक मंजिला सम्पत्ति सं. 2382/टी-29 पर निर्मित, एरिया परिमाप 20.90 वर्ग मीटर (25 वर्ग यार्ड) कुल भूमि परिमाप 50 वर्ग यार्ड का भाग, खसरा न. 257 मिनि. का भाग, आबादी को नरेला मंडी एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है, गांव ममूरपुर, नरेला, दिल्ली-110040 में उप जिला एवं जिला पंजीकरण के साथ सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से

जो घिरी है: **उत्तर:** डॉ. रंजन गुप्ता का भाग
दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति **पूर्व:** गली 10 फीट
पश्चिम: उत्तर रेलवे खुली भूमि

स्थान: नरेला, दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथि: 03.08.2019 — **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

अपोलो पाइप्स लिमिटेड
(पूर्वत "अमूल्य लीजिंग ऐंड फाइनेंस लिमिटेड")
सीआईएन : L65999DL1985PLC022723
37, हरगोबिन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
ई-मेल आईडी : compliance@apollopipes.com
वेब : www.apollopipes.com
फोन नंबर : 011-43334000/ 0120-4633333

मूल पट्टा विलेख (ओरिजिनल लीज डीड) खोने के बारे में सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि प्लॉट नंबर ए-140, सेक्टर-136, नोएडा-201301 में अवस्थित सम्पत्ति का मूल पट्टा विलेख (ओरिजिनल लीज डीड) दिनांकित 28-02-2011 जो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी (नोएडा) (पट्टादाता) और मैसर्स सरनीमल एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (पट्टाप्राप्तकर्ता) के बीच निष्पादित किया गया था, कहीं खो गया/गुम हो गया है। एतदद्वारा समस्त जन को सूचना दी जाती है कि उक्त गुम दस्तावेज के आधार पर किसी के भी साथ कोई संव्यवहार नहीं करें। यदि कोई ऐसा पहले ही कर चुका है अथवा कर रहा है, कृपया अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में निम्नवर्णित पते पर इस सूचना से 7 दिन के भीतर सूचित करें।

वास्ते अपोलो पाइप्स लिमिटेड
हस्ता./-
मनहर अवस्थी
महाप्रबंधक (एचआर)
स्थान : गाजियाबाद
तिथि : 08-08-2019
पंजी. कार्यालय पता : 37, हरगोबिन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
मोबाइल +91-8130145089

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

CAPITALINDIA

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में भीलवाड़ा टेक्स-फिन लिमिटेड के रूप में प्रख्यात)
पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, डी एल एफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन नं. 011-49546000 कॉर्पोरेट कार्यालय: ए-1402 वन बी के सी, 14वां तल, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई-400051, फोन नं. 022-45036000
वेबसाइट: www.capitalindia.com, ईमेल आईडी: secretarial@capitalindia.com
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सी आई एन): L74899DL1994PLC128577

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी सूचीबद्ध अधिनियम, 2015 (सूचीबद्ध प्रतिज्ञापत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) व अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में भीलवाड़ा टेक्स-फिन लिमिटेड के रूप में प्रख्यात) के बोर्ड डायरेक्टर्स की बैठक बुधवार, अगस्त 14, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर निम्नलिखित पर विचार तथा स्वीकृति के लिए आयोजित की जाएगी:
(क) 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित तथा स्वाश्रयी वित्तीय परिणाम और
(ख) 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनअंकेक्षित तथा समेकित वित्तीय परिणाम
इस संबंध में और जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड
(पूर्व में भीलवाड़ा टेक्स-फिन लिमिटेड के रूप में प्रख्यात)
हस्ता/-
रचित मलहोत्रा
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं A39894
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: अगस्त 08, 2019

---

unitech
UNITECH LIMITED
CIN: L74899DL1971PLC009720
Regd. Office: Basement, 6, Community Centre, Saket, New Delhi-110 017
Tel. / Fax: 011-26857338
E-mail: share.dept@unitechgroup.com Web: www.unitechgroup.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the under mentioned Share Certificate(s) of the Company bearing face value of Rs. 2/-- each has been reported as lost / stolen / misplaced and the registered holder(s)/claimant(s) of the Share Certificate(s) has/have applied to the Company for issuance of duplicate Share Certificate(s):

Name of Shareholder(s)	No. of Shares	Share Certificate No.	Folio No.	Distinctive Nos.
Sitabai Rupchand Gajria Chandrakant Rupchand Gajria	6500 6500	2690 10282	2690	6256421-6256920 137514541-137520540 885364281-885370780
Savitri Khandge Ashok khandge	10400	973	973	535061-535860 68856221-68867820

The public is hereby advised/cautioned not to deal in any way with the aforesaid share certificates. Any person(s) who has/have any claim, in respect of the above mentioned share certificate(s), should communicate to the undersigned within fifteen days from the date hereof with supporting of his/her claim. Claim(s) received after 15 days hereof and/or without any supporting shall not be entertained by the Company. The Company will proceed to issue/release the duplicate and/or post-split Share Certificate(s) (including bonus), as the case may be, after the expiry of fifteen days.

FOR UNITECH LIMITED
sd/-
(Rishi Dev)
Company Secretary
Place: New Delhi
Dated: 8th August, 2019

सर्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि सेक्टर-25, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित सम्पत्ति सं. 102 के साथ संबंधित निम्नलिखित दस्तावेज खो गए/गुम हो गए हैं:
(1) मूल आबंटन पत्र दिनांकित 19 अक्टूबर, 1969, हुडा (HUDA) द्वारा जारी किया गया; (2) मूल पुनर्-आबंटन पत्र मेमो सं. 28857-59 दिनांकित 05 अक्टूबर, 1987; (3) हुडा (HUDA) तथा ओ पी उप्पल द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया गया मूल हस्तांतरण विलेख (कन्वेयंस डीड) दिनांकित 22 दिसम्बर, 1989; (4) ओ पी उप्पल तथा मैसर्स ऑटोटेक इंटरनैशनल (इसके पार्टनर एम.पी. पिलानी के माध्यम से) द्वारा और उनके बीच निष्पादित किया गया मूल विक्रय विलेख (सेल डीड) दिनांकित 08 फरवरी, 1990; (5) हुडा (HUDA) द्वारा जारी किया गया मूल अंतरण अनुमति पत्र दिनांकित 24 मार्च, 1993, प्लॉट व्यक्तियों के पक्ष में अंतरित करने की अनुमति नामतः (i) सुहाग रानी; (ii) कलावती; (iii) आशा रानी; (iv) शीला रानी; (v) राम कुमार; तथा (vi) प्रवीण रानी; (6) मूल विक्रय विलेख (सेल डीड) दिनांकित 23 अप्रैल, 1991, निम्नलिखित के मध्य निष्पादित: ऑटोटेक इंटरनैशनल विक्रेता तथा (i) सुहाग रानी; (ii) कलावती; (iii) आशा रानी; (iv) शीला रानी; (v) राम कुमार; तथा (vi) प्रवीण रानी; (7) मूल पुनर्-आबंटन पत्र सं. एसएएनजीआरएनआर (पीबी) 1064-68 दिनांकित 21 मई, 1993 निम्नलिखित के पक्ष में जारी किया गया था: (i) सुहाग रानी; (ii) कलावती; (iii) आशा रानी; (iv) शीला रानी; (v) राम कुमार; तथा (vi) प्रवीण रानी। यदि मिले, तो अधोहस्ताक्षरी के पते पर लौटाने का अनुरोध किया जाता है।
सेक्टर-55, फरीदाबाद, हरियाण में एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है जिसकी शिकायत सं. 13225066071800005 दिनांकित 08-01-2018 है। एतद्द्वारा सभी व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि उपरोक्त गुमशुदा दस्तावेजों के आधार पर किसी के भी साथ कोई संव्यवहार अथवा लेन-देन नहीं करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पहले ही कर चुका है अथवा कर रहा है, कृपया अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में निम्नवर्णित पते पर इस सूचना के 10 दिन के भीतर सूचित करें।

भारत भूषण शर्मा
पार्टनर
सी/ओ. जे. सागर ऐण्ड एसोसिएट्स
सैंडस्टोन क्रेस्ट, पार्क प्लाजा होटल के सामने, सुशांतलोक फेज-1, गुरुग्राम - 122 009
स्थान : गुरूग्राम
तिथि : 08-08-2019

केन फिन होम्स लि.
पहला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019
CIN No.-L85110KA1987PLC0008699, फोन: 7625079108, 011-26435815, 26430236, ईमेल: delhi@canfinhomes.com

(देखें नियम 8 (1)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 15.5.2019 जारी कर ऋणधारकों: 1) श्री अनिल कुमार पुत्र भूपेन्द्र सिंह, 2) श्री उदय राज सिंह, पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 19,84,971/- (रुपये उन्नीस लाख चौड़ासी हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक 15.5.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 19,84,971/- तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये सीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

मकान सं. 15-बी, खसरा नं.-1054, ब्लॉक-सी3, महेन्द्र एन्क्लेव, शास्त्री नगर, जिला-गाजियाबाद, उ.प्र., पिन-201002
उत्तरः प्लॉट नं.-15 सी — पूर्वः अन्य प्लॉट
पश्चिमः 25 फीट चौड़ी सड़क — दक्षिणः प्लॉट नं. 15-ए

तिथि: 6.8.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली — केन फिन होम्स लि.

इंडियन बैंक सेवा शाखा
Indian Bank — आपका अपना बैंक ● YOUR OWN BANK
जी-41, कनॉट सर्कस, 3 रा तल, मद्रास होटल के सामने, कनॉट सर्कस टेली.: 011-233242320

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 5.3.2019 जारी कर ऋणधारक श्री सुमित चन्द हाण्डा, मै. बजरंग एण्टर प्राईजेज के प्रॉप्राईटर, खाता नं. 6566666803 तथा मार्टगैजर/गारन्टर, श्रीमती विनोद हाण्डा जिनका हमारी विवेक विहार शाखा में खाता है, को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 20,73272/- (रुपये बीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ बहत्तर मात्र) तथा 31.07.2019 से पुनर्भुगतान की तिथि तक ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 7.8.2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज लागत, चार्जेज, आदि के साथ 31.07.2019 को रु. 20,73,272/- (रुपये बीस लाख तिहत्तर हजार दो सौ बहत्तर मात्र) के लिये इंडियन बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरणः 1/6729, ईस्ट रोहताश नगर, दिल्ली-110032, चौहद्दीः उत्तर-सम्पत्ति सं. 1/6728, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 1/6730, पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः प्रवेश।

तिथि: 07.08.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली — इंडियन बैंक

शान्तनु इन्वेस्टमेन्ट्स (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालय: डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017
CIN: L65993DL01973PLC006795
ई-मेल: cs@greatvalueindia.com
वेबसाईट: www.shantnuinvestments.com
(फोन नं.: 011-41349613-14)

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 14 अगस्त, 2019 को 4.00 बजे अप. में डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार, अनुमोदन किए जाएंगे।
अधिक विवरणों के लिए कृपया वेबसाईट www.shantnuinvestments.com तथा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.msei.in देखें।

शान्तनु इन्वेस्टमेन्ट्स (इंडिया) लि. के लिए
हस्ता./-
प्रीति शर्मा
कम्पनी सचिव
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 8.8.2019

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) — Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)
बीओ.: सी-440, गुरुद्वारा चौक चावला कॉलोनी, सेक्टर-4, बल्लभगढ़-121004

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 केअधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 31 जनवरी, 2019 जारी कर ऋणधारक मै. नैमो फोर्जिंग्स प्रा.लि. द्वारा उसके निदेशक श्री नरेन्दर अग्रवाल, पुत्र श्री राम अग्रवाल तथा श्रीमती इन्दिरा अग्रवाल, पत्नी श्री नरेन्दर अग्रवाल को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 2,92,16,581.26 (रुपये दो करोड़ बानवे लाख सोलह हजार पाँच सौ इक्यासी एवं पैसे छब्बीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
उपरोक्त ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 2,92,16,581.26 (रुपये दो करोड़ बानवे लाख सोलह हजार पाँच सौ इक्यासी एवं पैसे छब्बीस मात्र) तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1) प्लॉट नं. 86, कसरा, माप 533 वर्ग यार्ड्स, रेक्ट नं. 44, किल्ला नं. 12/2(2-3), 13(8-0), 14(8-0), 18(8-0), 19(8-0), 22(8-0), 23(8-0) रेक्ट नं. 44 किल्ला नं. 23(8-0), गौंची, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में फैक्ट्री भूमि एवं भवन का ईएमडी, टाइटल धारक का नामः श्री नरेन्दर अग्रवाल
2) मौजा गौंची, संजय कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद में स्थित प्लॉट नं. 87, माप 250 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 44, किल्ला नं. 12/2(2-3) 13(8-0), 14(8-0), 18(8-0), 19(8-0), 22(8-0), 23(8-0) तथा एक प्लॉट माप 419 वर्ग यार्ड्स, रेक्ट नं. 49, किल्ला नं. 3(7-18), 4(8-0) के भाग में फैक्ट्री भूमि एवं भवन का ईएमटी। टाइटल धारक का नामः श्री नरेन्दर अग्रवाल

तिथि: 9.8.2019, स्थान: बल्लभगढ़ — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

Fullerton India
फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट क. लि.
बी-45/47, 3 रा तल, पीवीआर प्लाजा के निकट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत मै. फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स, 3रा तल, ओल्ड नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई, तमिलनाडु में है तथा शाखा कर्यालय बी 45/47, 3रा तल, पीवीआर प्लाजा के निकट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 14.10.2016 जारी कर आप ऋणधारकों श्री चरणजीत सिंह एवं सुश्री हरप्रीत कौर को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना में वर्णित राशि रु.1,58,29,500/- (रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख उन्नतीस हजार पांच सौ मात्र) का निर्देश दिया था।
उपरोक्त ऋणधारक इस राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 3.8.2019 को प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से यहां ऊपर वर्णित ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा उक्त सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,58,29,500/- (रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख उन्नतीस हजार पांच सौ मात्र) तथा भुगतान तक उस पर ब्याज की राशि के लिये मै. फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 20बी/105, ए बी तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 (क्षेत्रफल माप 100 वर्ग यार्ड्स पर निर्मित सम्पत्ति के प्रथम तल का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दीः
उत्तरः रोड — दक्षिणः सर्विस लेन
पूर्वः प्लॉट का भाग — पश्चिमः प्लॉट नं. 104

तिथि: 7.8.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली — फ्यूलर्टन इंडिया होम फाइनांस कं. लि.

एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि. (अर्सिल)
Arcil
मै. व्हाइट मेटल्स लिमिटेड से संबंधित वित्तीय परिसम्पत्तियों के संदर्भ में स्थापित ट्रस्ट (टों) के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत
अर्सिल कार्यालयः द रुबि, 10वाँ तल, 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई-400028
वेबसाईटः www.arcil.co.in

बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2) 8 (6) एवं 9 (1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की व्हाइट मेटल्स लिमिटेड तथा श्री रणजीत कुमार कपूर, श्री राकेश कपूर, श्री शब्बीर अहमद खान, श्री किरण के कपूर, श्रीमती बबीता कपूर, श्रीमती मंजरी कपूर, श्रीमती वीणा कपूर तथा मै. किरणजीत मैन्युफैक्चरिंग (पी) लि.- गारन्टर (रों) से एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये 31 अक्टूबर 2012 को रु. 1296207256.15 (रुपये एक सौ उन्नतीस करोड़ बासठ लाख सात हजार दो सौ छप्पन तथा पैसे पन्द्रह मात्र) तथा 01 नवम्बर, 2012 से आगे के ब्याज एवं खर्चे की वसूली के लिये 10 सितम्बर, 2019 को 3.00 बजे अप. में ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। लॉट के लिये आरक्षित मूल्य रु. 5.50 करोड़ (रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र) है। लॉट के लिये धरोहर राशि भुगतान रु. 55,00,000/- (रुपये पचपन लाख मात्र) होगा।

सम्पत्ति का विवरण	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) (10%)	आरक्षित मूल्य* रु.
लॉटः व्हाइट मेटल्स (व्हाइट मेटल्स इंडस्ट्रीज पी.लि. का प्रभाग) के स्वामित्व में फ्रीहोल्ड व्यावसायिक सम्पत्ति, माप 1500 वर्ग फीट (भू तल), 1000 वर्ग फीट (प्रथम तल अग्र भाग) तथा 2250 वर्ग फीट (प्रथम तल रीअर पोर्शन) जो 9009-11 डी.बी. गुप्ता रोड, पहारगंज, नई दिल्ली में स्थित है।	55,00,000/- (रुपये पचपन लाख मात्र)	55000000/-(रुपये पांच करोड़ पचास लाख मात्र)

* आरक्षित मूल्य में कर तथा अन्य चार्जेज शामिल नहीं हैं जिसका भुगतान/ वसूली क्रेता से की जायेगी। अर्सिल को ज्ञात अधिभार) इस समय ज्ञात नहीं। सभी ज्ञात तथा अज्ञात देयताओं का वहन क्रेता को ही करना होगा।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड-प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् http://www.arcil.co.in में दी गई लिंक देखें अथवा अर्सिल के अधिकारियों जैसे श्री कमल मिश्रा (022-66248654/ 09819820760)/ श्री आकाश दीप (022-66248623/ 8800455332) से सम्पर्क करें।

स्थानः मुम्बई — प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 9 अगस्त, 2019 — एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि.

R.R CORPORATE SECURITIES LIMITED
Regd Off.: ADMINISTRATIVE BLOCK, METRO WALK, SECTOR - 10 ROHINI, NEAR RITHALA METRO STATION NEW DELHI -110085
CIN: L67120DL1986PLC026187
Email: rrcsecurities@gmail.com

NOTICE

NoNotice is hereby given that pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, August 14th, 2019, inter alia, to consider and take on record the unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30th, 2019.
The said information is also available on the website of the company at www.rrcsl.com and may also be available on stock exchange website at www.msei.in.

For R. R Corporate Securities Limited
Sd/-
Robin Vijeshwar
Place: New Delhi
Date: 07/08/2019

SyndicateBank सिंडिकेटबैंक
विश्वसनीय. मैत्रीपूर्ण Faithful. Friendly — भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking
एसएसआई फरीदाबाद आईएफ/20, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा
फोनः 0129-2410661, ई-मेलः br8238@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये) [अधिनियम के अंतर्गत परिशिष्ट IV- नियमावली 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे सूचना में वर्णित जारी कर ऋणधारक को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 5 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के लागत, ब्याज आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिए सिंडिकेट बैंक (एसएसआई फरीदाबाद आईएफ/20, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टर का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः मै. ए वन ट्रेड लिंक्स द्वारा उसके प्रॉपराईटर श्री करण कुमार भाटिया गारन्टरः 1) श्रीमती निकिता भाटिया	करण कुमार भाटिया के स्वामित्व में प्लॉट नं. 5ई/22, बी.पी. एनएच-5, एनआईटी डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद पर बंगला के पूर्वी भाग में 266.66 वर्ग यार्ड्स के प्लॉट पर भूतल पर कार्यालय यूनिट तथा प्रथम तल पर आवासीय यूनिट के साथ गोदाम से युक्त दो मंजिला भवन का भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः मकान सं. 5-ई/21 बीपी, पश्चिमः मकान सं. 5-ई/22 (पश्चिमी भाग), उत्तरः रोड, दक्षिणः रास्ता	रु. 19970603.02 (रुपए एक करोड़ निन्यानवे लाख सत्तर हजार छह सौ तीन तथा पैसे दो मात्र) के साथ उस पर आगे की लागत, ब्याज तथा खर्चे आदि।	2.5.2019 कब्जा सूचना की तिथि 5.8.2019

तिथि: 9.8.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: फरीदाबाद — सिंडिकेट बैंक

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली

कम्पनी याचिका सं. सीएए-54 (एनडी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के मामले में
तथा
नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -1/आवेदक कम्पनी -1
तथा
केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -2/आवेदक कम्पनी -2
तथा
सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -3/आवेदक कम्पनी -3
तथा
गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -4/आवेदक कम्पनी -4
तथा
सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -5/आवेदक कम्पनी -5
तथा
केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -6/आवेदक कम्पनी -6
तथा
ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरिती कम्पनी -7/आवेदक कम्पनी -7
तथा
उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के समामेलन की स्कीम के मामले में

केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक की सूचना का नोटिस और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली ("एनसीएलटी") ने आदेश दिनांकित 17-07-2019 द्वारा निदेशित किया है कि आवेदक कम्पनी 6 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी -1"), केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी -2"), सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी -3"), गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी -4"), सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, ("आवेदक कम्पनी -5"), केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी -6") तथा ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक कम्पनी -7") और उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम ("स्कीम") में दी गई व्यवस्था पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाए, संशोधन के साथ अथवा उसके बिना, अनुमोदन के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसाकि उसमें निदेशित किया गया है, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि आवेदक कम्पनी 6 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में बुधवार, 12 सितम्बर, 2019 को अप. 01.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के अधीन उक्त स्कीम और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां तथा परोक्षी का फार्म आवेदक कम्पनी 6 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स द्वारा उसके लिए बनाया गया मांग पत्र प्रस्तुत कर आवेदक कम्पनी 6 के पंजीकृत कार्यालय से एक (1) दिन के भीतर (सिवाय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि परोक्षी संबंधी सभी फार्म आवेदक कम्पनी 6 के 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 स्थित पंजीकृत कार्यालय में उक्त बैठकों के आरंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पूर्व जमा कर दिए जाने चाहिए।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैठकों के लिए इंद्रजीत सिंह को अध्यक्ष तथा सुश्री फराह हाशमी को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त स्कीम यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता./-
इंद्रजीत सिंह
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 08 अगस्त, 2019

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
मुख्य शाखा, घंटाघर सहारनपुर-247001 (3090) INDIA Emanil:- iob0434@iob.in Tele- :0132-2760217

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे उनके नामों के समक्ष वर्णित तिथि को जारी कर अधोलिखित ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुबंधित दर पर उस पर आगे के बकाया ब्याज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक/गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय अनुबंधित दर पर विनिर्दिष्ट तिथि से उस पर आगे के ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत चार्जेज आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं.	ऋणधारक/गारन्टर का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा की तिथि	(धारा 13(4) के अंतर्गत सूचना में वर्णित) बकाया राशि
1.	1. (ऋणधारक): मै. मीनल एण्टरप्राईजेज (प्रॉप-श्री सुधीर सिंह), प्रकाश मार्केट, राईवाला, सहारणपुर-247001, उ.प्र. 2. (मार्टगैजर) श्री सुधीर सिंह, पुत्र श्री सुखपाल सिंह, ई-5, हकीकत नगर, सहारणपुर-247001, उ.प्र. 3. (गारन्टर/मार्टगैजर) श्री अनिल सिंह, पुत्र श्री सुखपाल सिंह, ई-5, हकीकत नगर, सहारणपुर-247001, उ.प्र. 4. (गारन्टर) श्रीमती नीलम, पत्नी श्री सुधीर सिंह, ई-5, हकीकत नगर, सहारणपुर-247001, उ.प्र. 5. (गारन्टर/मार्टगैजर) श्रीमती माया देवी, पत्नी श्री प्रभु दयाल, मकान सं.-84ए, झिझोली, महमूदपुर, सहारणपुर-247001, उ.प्र.	1. मै. सर्वोदय एसोसिएट्स (इंजी. अश्वनी गुप्ता) द्वारा बीआर तिथिः 2.8.2019 के अनुसार रु. 40.00 लाख पर मूल्यांकित श्री सुधीर सिंह, पुत्र श्री सुख पाल सिंह (फर्म के स्वामी) के स्वामित्व में शॉप नं. 36, एमपीएल नं.-8/807-बी/36, प्रकाश मार्केट, वाके मोहल्ला राईवाला, सहारणपुर में सम्पत्ति माप 8.49 वर्ग यार्ड्स का इक्विटैबल मार्टगैज। पूर्वः रास्ता गली, पश्चिमः शॉप नं. 35 अनिल चावला, उत्तरः मार्केट पैसेज 6'0'' चौड़ाई, दक्षिणः पवन नारंग की दुकान। 2. मै. सर्वोदय एसोसिएट्स (इंजी. अश्वनी गुप्ता) द्वारा बीआर तिथिः 2.8.2019 के अनुसार रु. 44.00 लाख पर मूल्यांकित श्री सुधीर सिंह, पुत्र श्री सुख पाल सिंह तथा श्री अनिल सिंह, पुत्र श्री सुख पाल सिंह के स्वामित्व में एमपीएल नं.-2/2171, मोहल्ला हकीकत नगर, सहारणपुर के पश्चिमी भाग में सम्पत्ति, माप 97.50 वर्ग यार्ड्स का इक्विटैवल मार्टगैज। पूर्वः विजय कुमार का मकान, पश्चिमः रास्ता गली 8'0'' चौड़ा, उत्तरः आबचिक एवं उसके बाद अन्य का मकान, दक्षिणः अनिल गुलाटी का मकान। 3. मै. सर्वोदय एसोसिएट्स (इंजी. अश्वनी गुप्ता) द्वारा बीआर तिथिः 2.8.2019 के अनुसार रु. 17.00 लाख पर मूल्यांकित श्रीमती माया देवी, पत्नी श्री प्रभुदयाल के स्वामित्व में प्लॉट पुराना एमपीएल नं.-3/379/87 (नया एमपीएल नं.-3/4885), वाके हिमतनगर, सहारणपुर-247001 में निर्मित दो मंजिला आवासीय मकान, माप 240.00 वर्ग यार्ड्स का इक्विटैवल मार्टगैज। पूर्वः अन्य का मकान, पश्चिमः रेलवे की सम्पत्ति, उत्तरः 9'0'' चौड़ा रास्ता एवं रघुवीर का मकान, दक्षिणः सत्तार का मकान।	2.4.2019	3.8.2019	सूचना के अनुसार 2.4.2019 को रु. 17535052.31 के साथ उस पर अनुबंधित दर एवं रेस्ट्स पर ब्याज, चार्जेज आदि।

तिथि: 03.08.2019, स्थान: सहारणपुर — प्राधिकृत अधिकारी

भीम टांक हत्याकांड : 24 लोगों को आजीवन कारावास

फाजिल्का (पंजाब), 8 अगस्त (भाषा)।

पंजाब के अबोहर में साल 2015 में एक 27 वर्षीय दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने 24 आरोपियों को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा की अदालत ने भीम टांक की नृशंस हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया।

सरकारी वकील वजीर कंबोज ने कहा कि अदालत ने भीम टांक हत्याकांड में 24 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिन अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई उनमें शराब कारोबारी शिव लाल डोडा और उसका भतीजा अमित डोडा शामिल हैं।

कंबोज ने कहा कि उन्हें 302 (हत्या), 120-बी (साजिश) और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्होंने बताया कि कुल 26 आरोपियों में से एक विवेक उर्फ विक्की को चार साल की सजा सुनाई गई, जबकि एक अन्य को बरी कर दिया गया।

फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। बताते चलें कि दिसंबर 2015 में टांक और उसके सहयोगी गुरजंत सिंह पर रामसरा में शिव लाल डोडा के फार्महाउस पर तेज धार वाले हथियारों से हमला किया गया।

वे वहां एक अन्य समूह के साथ झगड़े को सुलझाने के लिए गए थे। दोनों पर डोडा के गुर्गों ने हमला किया था। टांक के हाथ-पैर काट दिए गए और बाद में अमृतसर के एक अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। गुरजंत के अंगों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और घटना में गंभीर चोटें लगी थीं।

पिछली शिअद-भाजपा शासन के दौरान हुई इस घटना से राज्य में आक्रोश फैल गया था और कांग्रेस, जो उस समय विपक्ष में थी, ने तब शिरोमणि अकाली दल पर शिव लाल डोडा को संरक्षण देने का आरोप लगाया था।

बकरीद पर घरों में कुर्बानी पर रोक लगाने के आदेश को संशोधित करने से इनकार

मुंबई, 8 अगस्त (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को निजी फ्लैट या घरों के अंदर इस बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाने के अपने पिछले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने हाउसिंग सोसाइटियों में इस तरह की कुर्बानी के लिए कुछ दिशानिर्देश भी दिए थे। इस मामले में यहां के निवासियों और कुछ निजी संगठनों के एक समूह ने गुरुवार को अदालत का रुख किया और कम से कम इस साल के लिए हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर सार्वजनिक क्षेत्रों में कुर्बानी करने की अनुमति मांगी थी। बताते चलें कि न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जीएस पटेल की खंडपीठ ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को बकरीद के पर्व पर आवासीय फ्लैटों के अंदर पशुओं की कुर्बानी देने की अनुमति देने पर रोक लगा दी थी। हालांकि खंडपीठ ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों और सामुदायिक हॉल के एक किलोमीटर के दायरे के अंदर स्थित आवासीय सोसायटी को बीएमसी निर्देश दे सकता है कि सोसायटी परिसर के बजाए वहां कुर्बानी कर सकते हैं।

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

Kaycee Industries Limited

Corporate Identification Number ("CIN"): L70102MH1942PLC006482
Registered Office: Old Kamani Chambers, 32-Ramjibhai Kamani Marg,Ballard Estate, Mumbai 400 001, Maharashtra, India.
Tel. No. +91-22-41259072, Fax: +91-22-41259001;
Email: complianceofficer@cms-kaycee.co.in, **Web:** www.kayceeindustries.com

This advertisement ("**Corrigendum**") is being issued by Systematix Corporate Services Limited ("**Manager to the Offer**") on behalf of Salzer Electronics Limited ("**Acquirer**") pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended (the "**Takeover Regulations**") in respect of the Open Offer (the "**Offer**") to acquire upto **16,503** fully paid-up equity shares of Rs.10/- each (the "**Equity Shares**") at a price of **Rs. 3475/-** per Equity Share (the "**Offer Price**").

The terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meanings assigned to them in the DPS. The Manager to the Offer has received SEBI Observations Letter dated August 08, 2019 ("**SEBI Observations Letter**") on the DLOF and pursuant to that the Shareholders are requested to note the following in relation to the Open Offer made by the Acquirer vide the PA dated May 24, 2019:

1. The original and the revised schedule of activities are as follows:

ACTIVITY	Original Schedule of Activities (as disclosed in the Draft Letter of Offer)	Revised Schedule of Activities
	Day and Date	Revised Day and Date
Date of the Public Announcement (PA)	Friday, May 24, 2019	Friday, May 24, 2019
Date of the Detailed Public Statement (DPS)	Friday, May 31, 2019	Friday, May 31, 2019
Last date of filing Draft Letter of Offer (DLOF) with SEBI	Monday, June 10, 2019	Monday, June 10, 2019
Last date for a Competitive Bid / Offer*	Monday, June 24, 2019	Monday, June 24, 2019
Identified Date**	Wednesday, July 03, 2019	Tuesday, August 13, 2019
Date by which LOF to be posted to the equity shareholders of the Target Company	Wednesday, July 10, 2019	Wednesday, August 21, 2019
Last date for public announcement by the Independent Directors committee of the Target Company on the Offer	Monday, July 15, 2019	Monday, August 26, 2019
Last date for upward revision of the Offer Price or any increase in the Offer Size	Tuesday, July 16, 2019	Tuesday, August 27, 2019
Offer Opening Public Announcement (Pre-Offer PA)	Tuesday, July 16, 2019	Tuesday, August 27, 2019
Date of Opening of the Tendering Period (TP) / Offer	Wednesday, July 17, 2019	Wednesday, August 28, 2019
Date of Closure of the Tendering Period (TP) / Offer	Tuesday, July 30, 2019	Thursday, September 12, 2019
Last date for communicating the rejection /acceptance; Completion of payment of consideration or refund to the shareholders	Monday, August 05, 2019	Thursday, September 19, 2019
Date of releasing Post-Offer Public Announcement (Post-Offer PA)	Tuesday, August 13, 2019	Friday, October 04, 2019
Submission of Final Report by the Manager to the Offer with SEBI	Wednesday, August 21, 2019	Friday, October 04, 2019

**There was no competing offer to the Acquirer's Offer.*

***The Identified Date is only for the purpose of determining the Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all holders (registered or unregistered) of Equity Shares (except the parties to the SPA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA) are eligible to participate in the Offer any time before the Offer Closing Date.*

2. The Acquirer has acquired 45,899 Equity Shares from the Seller at a price of Rs. 3475/- per Equity Share, representing 72.32% of the Equity Share and Voting Capital pursuant to the SPA, on July 11, 2019, by way of a block deal on BSE.
3. The Acquirer has appointed Mr. D Rajesh Kumar as its nominee on the board of the Target Company. Mr. Jitendra Kantilal Vakharia and Mr.Dileep Keshavrao Gupte are appointed as independent directors on July 29, 2019.
4. As on date of this Corrigendum, to the best of the knowledge of the Acquirer, there are no other pending approvals which are required to implement this Offer. Further, in case of any regulatory or statutory or other approvals being required at a later date, the Offer shall be subject to all such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such approvals.
5. As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI LODR Regulations (notified by the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018) read with the press release dated December 3, 2018 and March 27, 2019 issued by SEBI, effective from April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities of listed companies shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. **Since the Tendering Period for the Offer opens only after April 1, 2019, the Public Shareholders desirous of tendering their Equity Shares held in physical form can do so only after the shares are dematerialized and are advised to approach the concerned depository participant to have their Equity Shares dematerialized.**
6. The Acquirer and its board of directors accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum and also for the obligations of the Acquirer laid down in the Takeover Regulations.
7. A copy of this Corrigendum is expected to be available on the SEBI website at http://www.sebi.gov.in.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

SYSTEMATIX GROUP
Investments Re-defined

Systematix Corporate Services Limited
SEBI Registration No. INM 000004224
The Capital, A-Wing, 6th Floor, No. 603-606,
Plot No. C-70, G-Block, Bandra-Kurla Complex (BKC),
Bandra (East), Mumbai 400 051, Maharashtra, India.
Telephone: +91-22-6704 8000; **Facsimile:** +91-22-6704 8022
Email: ecm@systematixgroup.in; **Website:** www.systematixgroup.in
Contact Person: Mr. Amit Kumar

For and on behalf of the Acquirer
Salzer Electronics Limited
Sd/-
Authorised Signatory
Name: S. Baskarasubramanian
Designation: Director (Corporate Affairs) & Company Secretary
(**DIN**: 00003152 & **FCS**: 4605)

Date: August 8, 2019
Place: Coimbatore.

मदरसों में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की हिदायत

लखनऊ, 8 अगस्त (भाषा)।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने राज्य के सभी मदरसों में स्वाधीनता दिवस का जश्न परंपरागत तौर पर मनाने के आदेश जारी किए हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने बुधवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी उप निदेशकों और सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि वह अपने अपने मंडल और जिलों में स्थित सभी मदरसों को स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाने के निर्देश दें।

पत्र में संबंधित अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे उत्कृष्ट श्रेणी के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित भी करें और उसका विवरण एक हफ्ते के अंदर बोर्ड को उपलब्ध कराएं।

बोर्ड ने मदरसों में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण करने और राष्ट्रगान गाने, शहीदों को श्रद्धांजलि देने, स्वतंत्रता दिवस के महत्त्व पर प्रकाश डालने, मदरसे के छात्र-छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने, स्वतंत्रता दिवस की पृष्ठभूमि और जंग-ए-आजादी में हिस्सा लेने वाले सेनानियों और शहीदों के बारे में जानकारी देने, मदरसों में छात्रों द्वारा पौधारोपण करने, राष्ट्रीय एकता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने को कहा है।

इस बीच, टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश के महासचिव दीवान साहब ज़मां ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। हालांकि पहले बोर्ड की तरफ से इस तरह की हिदायत हर साल जारी नहीं होती थी।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली

कम्पनी याचिका सं. सीएए-54 (एनडी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के मामले में
तथा
नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -1/आवेदक कम्पनी -1
तथा
केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -2/आवेदक कम्पनी -2
तथा
सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -3/आवेदक कम्पनी -3
तथा
गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -4/आवेदक कम्पनी -4
तथा
सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -5/आवेदक कम्पनी -5
तथा
केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -6/आवेदक कम्पनी -6
तथा
ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरिती कम्पनी -7/आवेदक कम्पनी -7
तथा
उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के समामेलन की स्कीम के मामले में

सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक की सूचना का नोटिस और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली ('एनसीएलटी') ने आदेश दिनांकित 17-07-2019 द्वारा निदेशित किया है कि आवेदक कम्पनी 3 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी -1'), केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -2'), सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -3'), गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -4'), सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -5'), केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी -6') तथा ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी -7') और उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम ('स्कीम') में दी गई व्यवस्था पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाए, संशोधन के साथ अथवा उसके बिना, अनुमोदन के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसाकि उसमें निदेशित किया गया है, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि आवेदक कम्पनी 3 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को अप. 02.30 बजे आयोजित होगी, जिसमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के अधीन उक्त स्कीम और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां तथा परोक्षी का फार्म आवेदक कम्पनी 3 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स द्वारा उसके लिए बनाया गया मांग पत्र प्रस्तुत कर आवेदक कम्पनी 3 के पंजीकृत कार्यालय से एक (1) दिन के भीतर (सिवाय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि परोक्षी संबंधी सभी फार्म आवेदक कम्पनी 3 के 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 स्थित पंजीकृत कार्यालय में उक्त बैठकों के आरंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पूर्व जमा कर दिए जाने चाहिए।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैठकों के लिए एडवोकेट वैभव सिंह को अध्यक्ष तथा एडवोकेट शिवानी गुप्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त स्कीम यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता./-
वैभव सिंह
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 08 अगस्त, 2019

दुधमुंही बच्ची के बलात्कारी को मौत की सजा

हैदराबाद, 8 अगस्त (भाषा)।

तेलंगाना की एक अदालत ने वारंगल जिले में दुधमुंही बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या मामले में दोषी को अपराध के दो महीने के भीतर ही मौत की सजा सुना दी। पुलिस ने कहा कि सनसनीखेज मामले में 24 जुलाई को सुनवाई शुरू हुई थी और वारंगल के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के जयकुमार ने दो सप्ताह के भीतर ही सुनवाई पूरी कर गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया।

न्यायाधीश ने गुरुवार को अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें सुनने के बाद पहले तो आरोपी पी प्रवीन को बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया और फिर कुछ समय के स्थगन के बाद उसे मौत की सजा सुना दी। पुलिस ने कहा कि दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 376 के अलावा पॉक्सो अधिनियम के तहत मौत की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अदालत ने उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मां-बेटे की लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या

बलरामपुर (उप्र), 8 अगस्त (भाषा)।

जरवा थानाक्षेत्र में गुरूवार को संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में माँ-बेटे की कथित रूप से लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में परिवार के कुछ लोगों ने फूलमती (45) और उसके पुत्र शैलेश (18) पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों को अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली

कम्पनी याचिका सं. सीएए-54 (एनडी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के मामले में
तथा
नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -1/आवेदक कम्पनी -1
तथा
केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -2/आवेदक कम्पनी -2
तथा
सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -3/आवेदक कम्पनी -3
तथा
गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -4/आवेदक कम्पनी -4
तथा
सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -5/आवेदक कम्पनी -5
तथा
केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -6/आवेदक कम्पनी -6
तथा
ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरिती कम्पनी -7/आवेदक कम्पनी -7
तथा
उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के समामेलन की स्कीम के मामले में

गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरहोल्डर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक की सूचना का नोटिस और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली ('एनसीएलटी') ने आदेश दिनांकित 17-07-2019 द्वारा निदेशित किया है कि आवेदक कम्पनी 4 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी -1'), केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -2'), सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -3'), गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -4'), सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -5'), केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी -6') तथा ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी -7') और उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम ('स्कीम') में दी गई व्यवस्था पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाए, संशोधन के साथ अथवा उसके बिना, अनुमोदन के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसाकि उसमें निदेशित किया गया है, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि :

(i) आवेदक कम्पनी 4 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को अप. 03.30 बजे आयोजित होगी, जिसमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है ;

(ii) आवेदक कम्पनी 4 के डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को अप. 04.30 बजे आयोजित होगी, जिसमें डिबेन्चर होल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के अधीन उक्त स्कीम और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां तथा परोक्षी का फार्म आवेदक कम्पनी 4 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स एवं डिबेन्चर होल्डर्स द्वारा उसके लिए बनाया गया मांग पत्र प्रस्तुत कर आवेदक कम्पनी 4 के पंजीकृत कार्यालय से एक (1) दिन के भीतर (सिवाय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि परोक्षी संबंधी सभी फार्म आवेदक कम्पनी 4 के 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 स्थित पंजीकृत कार्यालय में उक्त बैठकों के आरंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पूर्व जमा कर दिए जाने चाहिए।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैठकों के लिए एडवोकेट वैभव सिंह को अध्यक्ष तथा एडवोकेट शिवानी गुप्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त स्कीम यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता./-
वैभव सिंह
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 08 अगस्त, 2019

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली

कम्पनी याचिका सं. सीएए-54 (एनडी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के मामले में
तथा
नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -1/आवेदक कम्पनी -1
तथा
केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -2/आवेदक कम्पनी -2
तथा
सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -3/आवेदक कम्पनी -3
तथा
गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -4/आवेदक कम्पनी -4
तथा
सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -5/आवेदक कम्पनी -5
तथा
केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरणकर्ता कम्पनी -6/आवेदक कम्पनी -6
तथा
ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड : ....अंतरिती कम्पनी -7/आवेदक कम्पनी -7
तथा
उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के समामेलन की स्कीम के मामले में

केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरहोल्डर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक की सूचना का नोटिस और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली ('एनसीएलटी') ने आदेश दिनांकित 17-07-2019 द्वारा निदेशित किया है कि आवेदक कम्पनी 2 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स तथा डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक नानक कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी -1'), केवलदीप कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -2'), सायुष कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -3'), गंगा कावेरी क्रेडिट ऐंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -4'), सैक्रेड हर्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, ('आवेदक कम्पनी -5'), केनस्टार इन्वेस्टमेंट्स ऐंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी -6') तथा ओशियाटिक कंसल्टैंट्स ऐंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी -7') और उनके संबंधित शेयरहोल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की स्कीम ('स्कीम') में दी गई व्यवस्था पर विचार करने और यदि उपयुक्त विचारित किया जाए, संशोधन के साथ अथवा उसके बिना, अनुमोदन के प्रयोजनार्थ आयोजित की जाए।

उक्त आदेश के अनुसरण में और जैसाकि उसमें निदेशित किया गया है, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि :

(प) आवेदक कम्पनी 2 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को मध्या. 12.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें इक्विटी शेयरहोल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है ;

(पप) आवेदक कम्पनी 2 के डिबेन्चर होल्डर्स की बैठक 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को अप. 01.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें डिबेन्चर होल्डर्स से उक्त समयानुसार भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के अधीन उक्त स्कीम और व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां तथा परोक्षी का फार्म आवेदक कम्पनी 2 के इक्विटी शेयरहोल्डर्स एवं डिबेन्चर होल्डर्स द्वारा उसके लिए बनाया गया मांग पत्र प्रस्तुत कर आवेदक कम्पनी 2 के पंजीकृत कार्यालय से एक (1) दिन के भीतर (सिवाय शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्षी द्वारा मतदान कर सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि परोक्षी संबंधी सभी फार्म आवेदक कम्पनी 2 के 414/1, चतुर्थ तल, डीडीए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 स्थित पंजीकृत कार्यालय में उक्त बैठकों के आरंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पूर्व जमा कर दिए जाने चाहिए।

एनसीएलटी ने उपरोक्त बैठकों के लिए एडवोकेट वैभव सिंह को अध्यक्ष तथा एडवोकेट शिवानी गुप्ता को वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त स्कीम यदि उपरोक्त बैठकों में अनुमोदित की जाती है, एनसीएलटी के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगी।

हस्ता./-
वैभव सिंह
बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 08 अगस्त, 2019

This is an advertisement issued pursuant to Regulation 8(1) of the SEBI (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, as amended, for information purposes only.

TATA

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

Tata Capital Financial Services Limited (TCFSL) was incorporated at Mumbai, Maharashtra on November 19, 2010, as a public limited company, under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing CIN U67100MH2010PLC210201, under the name "Tata Capital Financial Services Limited. TCFSL also received a Certificate for Commencement of Business on December 16, 2010. TCFSL has obtained a Certificate of Registration dated November 4, 2011 bearing Registration No. B-13.02005 issued by the Reserve Bank of India ("RBI") to commence the business of a non-banking financial institution without accepting public deposits under Section 45 IA of the RBI Act, 1934. TCFSL is a Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Financial Company ("NBFC"). For further details regarding changes to the Registered Office of TCFSL, please see the section "History and Main Objects" on page 75 of the Shelf Prospectus.

Corporate Identity Number of TCFSL is U67100MH2010PLC210201; **Registered Office:** 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Maharashtra, India.
Tel: (+91 22) 6606 9000; **Fax:** (+91 22) 6656 2699; **Website:** www.tatacapital.com; **Company Secretary and Compliance Officer:** Ms. Avan Doomasia; **Tel:** (+91 22) 6606 9000; **Fax:** (+91 22) 6656 2699; **Email:** compliance.ncd@tatacapital.com

Our Promoter is Tata Capital Limited. For further details please see the section "Our Promoter" on page 89 of the Shelf Prospectus and on page 42 of the Tranche II Prospectus.

PUBLIC ISSUE BY TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED ("COMPANY" OR THE "ISSUER") OF SECURED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹ 1,000 EACH ("SECURED NCDs") UP TO ₹ 299,790 LAKH AND UNSECURED, SUBORDINATED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES OF FACE VALUE OF ₹ 1,000 EACH ("UNSECURED NCDs") UP TO ₹ 112,810 LAKH, AGGREGATING UP TO ₹ 412,600 LAKH ("TRANCHE II ISSUE"). THE BASE ISSUE SIZE OF TRANCHE II ISSUE IS ₹ 50,000 LAKH WITH AN OPTION TO RETAIN OVER SUBSCRIPTION UPTO ₹ 362,600 LAKH, AGGREGATING UPTO ₹ 412,600 LAKH ("RESIDUAL SHELF LIMIT"). THE SECURED NCDS AND UNSECURED NCDS ARE TOGETHER REFERRED TO AS THE "NCDS". THE TRANCHE II ISSUE IS BEING MADE PURSUANT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS TRANCHE II PROSPECTUS ("TRANCHE II PROSPECTUS"), WHICH SHOULD BE READ TOGETHER WITH THE SHELF PROSPECTUS DATED AUGUST 29, 2018 ("SHELF PROSPECTUS") FILED WITH THE REGISTRAR OF COMPANIES, MAHARASHTRA, MUMBAI ("ROC"), THE STOCK EXCHANGES AND THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") UNDER THE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE AND LISTING OF DEBT SECURITIES) REGULATIONS, 2008 AS AMENDED (THE "SEBI DEBT REGULATIONS") AND THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES MADE THEREUNDER AS AMENDED TO THE EXTENT NOTIFIED.THE SHELF PROSPECTUS AND THIS TRANCHE II PROSPECTUS CONSTITUTES THE PROSPECTUS ("PROSPECTUS"). THE UNSECURED, SUBORDINATED, REDEEMABLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES WILL BE IN THE NATURE OF SUBORDINATED DEBT AND WILL BE ELIGIBLE FOR INCLUSION AS TIER II CAPITAL.

CREDIT RATING: "CRISIL AAA / Stable" and "CARE AAA; Stable"

SPECIFIC TERMS FOR EACH SERIES OF NCDs

Options / Series	I	II	III	IV
Frequency of Interest Payment	Annual	Annual	Annual	Annual
Who can apply	All category of investors can subscribe to all Options of NCDs			
Minimum Application	₹ 10,000 (across all Options collectively)			
In multiples of thereafter	₹ 1,000 (1 NCD)	₹ 1,000 (1 NCD)	₹ 1,000 (1 NCD)	₹ 1,000 (1 NCD)
Face Value of NCDs (₹ / NCD)	₹ 1,000	₹ 1,000	₹ 1,000	₹ 1,000
Issue Price (₹ / NCD)	₹ 1,000	₹ 1,000	₹ 1,000	₹ 1,000
Tenor from Deemed Date of Allotment	3 years	5 years	8 years	10 years
Coupon Rate				
Category I and Category II	8.35%	8.40%	8.55%	8.75%
Category III and Category IV	8.45%	8.50%	8.65%	8.85%
Effective Yield (Per annum)				
Category I and Category II	8.34%	8.39%	8.54%	8.74%
Category III and Category IV	8.44%	8.49%	8.64%	8.84%
Mode of Interest Payment	Through various options available			
Redemption Amount (₹ / NCD)****	₹ 1,000	₹ 1,000	₹ 1,000	₹ 1,000
Maturity Date (From Deemed Date of Allotment)	3 years	5 years	8 years	10 years
Nature of indebtedness	Secured	Secured	Secured	Unsecured Subordinated

Note: Our Company would allot the Option I NCDs, as specified in this Tranche II Prospectus to all valid Applications, wherein the Applicants have not indicated their choice of the relevant Option of NCDs

In case of Option I NCDs, interest would be paid on an annual basis at 8.35% to Category I and Category II investors and on an annual basis at 8.45% to Category III and Category IV investors. Option I NCDs shall be redeemed at the Face Value thereof along with the interest accrued thereon, if any, at the end of 3 years from the Deemed Date of Allotment.
In case of Option II NCDs, interest would be paid on an annual basis at 8.40% to Category I and Category II investors and on an annual basis at 8.50% to Category III and Category IV investors. Option II NCDs shall be redeemed at the Face Value thereof along with the interest accrued thereon, if any, at the end of 5 years from the Deemed Date of Allotment.
In case of Option III NCDs, interest would be paid on an annual basis at 8.55% to Category I and Category II investors and on an annual basis at 8.65% to Category III and Category IV investors. Option III NCDs shall be redeemed at the Face Value thereof along with the interest accrued thereon, if any, at the end of 8 years from the Deemed Date of Allotment.
In case of Option IV NCDs, interest would be paid on an annual basis at 8.75% to Category I and Category II investors and on an annual basis at 8.85% to Category III and Category IV investors. Option IV NCDs shall be redeemed at the Face Value thereof along with the interest accrued thereon, if any, at the end of 10 years from the Deemed Date of Allotment.

If the date of payment of interest does not fall on a Working Day, then the interest payment will be made on a succeeding Working Day; however, the calculation for payment of interest will be only till the originally stipulated Interest Payment Date. The dates of the future interest payments would be as per the originally stipulated schedule. Payment of interest will be subject to the deduction of tax as per Income Tax Act or any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.

In case the Maturity Date (also being the last Interest Payment Date) does not fall on a Working Day, the payment will be made on the immediately preceding Working Day, along with coupon/interest accrued on the NCDs until, but, excluding the date of such payment.

ISSUE PROGRAMME* | Tranche II Issue Opens On **August 13, 2019** | Tranche II Issue Closes On **August 23, 2019****

*For further details refer to section titled "*Issue Related Information*" on page 89 of the Tranche II Prospectus dated August 02, 2019. Allotment in the public issue of debt securities should be made on the basis of date of upload of each application into the electronic book of the stock exchanges. However, in the event of oversubscription, on such date, the allotments would be made to the Applicants on proportionate basis.
The Tranche II Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10:00 a.m. to 5:00 p.m (IST)., during the period indicated above, except that the Tranche II Issue may close on such earlier date or extended date as may be decided by the Board of Directors of TCFSL ("Board**") or the Working Committee, as the case may be. In the event of such an early closure or extension of the Tranche II Issue, TCFSL shall ensure that notice of such early closure or extension is given to the prospective investors through an advertisement in a national daily newspaper with wide circulation on or before such earlier date or initial date of Tranche II Issue closure. Application Forms for the Tranche II issue will be accepted only from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (IST) or such extended time as may be permitted by the Stock Exchanges, on Working Days during the Tranche II Issue Period. On the Tranche II Issue Closing Date, Application Forms will be accepted only between 10:00 a.m. to 3:00 p.m. (IST) and uploaded until 5:00 p.m. (IST) or such extended time as may be permitted by the Stock Exchanges.
Information required under Section 30 of Companies Act, 2013: Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects of our Company, see "HISTORY AND MAIN OBJECTS" on page 75 of the Shelf Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of the Company is a document for inspection in relation to the Tranche II Issue. For further details, see the section titled "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 146 of the Tranche II Prospectus.
Liability of Members: Limited by Shares
Amount of share capital of the Company as at the date of the Prospectus is: The Authorised Share Capital of our Company is ₹ 55,000,000,000 divided into 2,500,000,000 Equity Shares of face value ₹ 10 each and 3,000,000,000 Preference Shares of face value ₹ 10 each. The issued, subscribed and paid up share capital of our Company is ₹ 32,645,616,580 divided into 1,375,561,658 equity shares of ₹ 10 each and 1,889,000,000 preference shares of ₹ 10 each. For further details, see the section titled "Capital Structure" and page 27 of Tranche II Prospectus.
Names of the signatories at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company and the number of shares subscribed for by them at the time of signing the Memorandum of Association: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of our Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of the Company: Tata Capital Limited - 49,994 shares, Mr. Praveen P. Kadle - 1 share, Mr. Shailesh H. Rajadhyaksha - 1 share, Mr. Govind Sankaranarayanan - 1 share, Mr. Kiran Joshi - 1 share, Ms. Avan K. Doomasia - 1 share and Mr. Rakesh Bhatia - 1 share, allotted at the time of incorporation of the Company aggregating 50,000 Equity Shares of face value ₹ 10 each.
LISTING: The NCDs offered through the Tranche II Prospectus are proposed to be listed on BSE Limited ("BSE") and national Stock Exchange of India Limited ("NSE"). For the purposes of the Tranche II Issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange. TCFSL has received 'In - Principle' approval from BSE vide its letter no. DCS/BM/PI-BOND/8/18-19 dated August 27, 2018 and from NSE vide their letter no. NSE/LIST/58508 dated August 27, 2018 and extended vide letter no. NSE/LIST/81132 dated May 14, 2019.
For further details please refer Shelf Prospectus dated August 29, 2018 and Tranche II Prospectus dated August 02, 2019.

ASBA# | **Simple, Safe, Smart way of Application** | #Applications Supported by Blocked Amount ("ASBA") is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For future details, check section on ASBA. **Mandatory in public issues from October 01, 2018. No cheque will be accepted.**

DISCLAIMER: Tata Capital Financial Services Limited, subject to market conditions and other considerations is proposing a public issue of secured and unsecured rated, listed and redeemable non-convertible debentures ("**NCDs**") and has filed the Shelf Prospectus dated August 29, 2018 and the Tranche II Prospectus dated August 02, 2019 (collectively, the "**Prospectus**") with the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai, BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited and SEBI. The Prospectus is available on our website at www.tatacapital.com, on the website of the stock exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com, on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in and the respective websites of the lead managers at www.edelweissfin.com, www.akgroup.co.in and www.axisbank.com. Investors proposing to participate in the public issue of the NCDs, should invest only on the basis of the information contained in the Prospectus. Investors should note that investment in NCDs involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to Prospectus, including the section on "*Risk Factors*" beginning on page 11 of the Shelf Prospectus and on page 23 of the Tranche II Prospectus.
DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in anyway be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of the BSE.
DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF BSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by the BSE to use their network and software of the Online system should not in any way be deemed or construed as compliance with various statutory requirements approved by the Exchange; not does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the compliance with the statutory and other requirements; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Company, its promoters, its management or any scheme or project of this Company.
DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in anyway be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of the NSE.
DISCLAIMER CLAUSE OF USE OF NSE ELECTRONIC PLATFORM: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of NSE.
DISCLAIMER CLAUSE OF CRISIL: A CRISIL rating reflects CRISIL's current opinion on the likelihood of timely payment of the obligations under the rated instrument and does not constitute an audit of the rated entity by CRISIL. CRISIL ratings are based on information provided by the issuer or obtained by CRISIL from sources it considers reliable. CRISIL does not guarantee the completeness or accuracy of the information on which the rating is based. A CRISIL rating is not a recommendation to buy, sell, or hold the rated instrument; it does not comment on the market price or suitability for a particular investor. All CRISIL ratings are under surveillance. Ratings are revised as and when circumstances so warrant. CRISIL is not responsible for any errors and especially states that it has no financial liability whatsoever to the subscribers / users / transmitters / distributors of this product. CRISIL Ratings rating criteria are available without charge to the public on the CRISIL website, www.crisil.com. For the latest rating information on any instrument of any company rated by CRISIL, please contact Customer Service Helpdesk at 1800-267-1301.
DISCLAIMER CLAUSE OF CARE: CARE's ratings are opinions on credit quality and are not recommendations to sanction, renew, disburse or recall the concerned bank facilities or to buy, sell or hold any security. CARE has based its ratings/outlooks on information obtained from sources believed by it to be accurate and reliable. CARE does not, however, guarantee the accuracy, adequacy or completeness of any information and is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of such information. Most entities whose bank facilities/instruments are rated by CARE have paid a credit rating fee, based on the amount and type of bank facilities/instruments. In case of partnerships/proprietary concerns, the rating/outlook assigned by CARE is based on the capital deployed by the partners/proprietor and the financial strength of the firm at present. The rating/outlook may undergo change in case of withdrawal of capital or the unsecured loans brought in by the partners/proprietor in addition to the financial performance and other relevant factors.
DISCLAIMER CLAUSE OF THE RBI: The Company is having a valid certificate of registration dated November 4, 2011 issued by the Reserve Bank of India under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits/ discharge of liability by the company. It is distinctly understood that the Tranche II Prospectus should not in any way be deemed or construed to be approved or vetted by RBI.
CREDIT RATING: The NCDs proposed to be issued under the Tranche II Issue have been rated "CRISIL AAA/ Stable" for an amount of up to ₹ 7,50,000 lakh by CRISIL Limited vide its letter dated August 15, 2018, revalidated vide its letter dated August 27, 2018 and further revalidated by letter dated July 25, 2019 and have been rated "CARE AAA; Stable" for an amount up to ₹ 7,50,000 lakh by CARE Ratings Limited vide its letter dated August 14, 2018, revalidated vide its letter dated August 27, 2018 and further revalidated by letter dated July 26, 2019. The rating provided by CRISIL Limited and CARE Ratings Limited may be suspended, withdrawn or revised at any time by the assigning rating agencies and should be evaluated independently of any other rating. These ratings are not a recommendation to buy, sell or hold securities and investors should take their own decisions. Please refer to Annexures A and B of the Shelf Prospectus and Tranche II Prospectus for rating letters and rationale for the above ratings.
AVAILABILITY OF APPLICATION FORM: Application Forms can be obtained from: **Tata Capital Financial Services Limited, Tel :** (+91 22) 6606 9000; **Fax:** (+91 22) 6656 2699; Lead Managers to the Issue: **Edelweiss Financial Services Limited, Tel:** (+91 22) 4086 3535, **Fax:** (+91 22) 4086 3610, **A. K. Capital Services Limited, Tel:** (+91 22) 6754 6500, **Fax:** (+91 22) 6610 0594 and **Axis Bank Limited, Tel:** (+91 22) 6604 3293, **Fax:** (+91 22) 2425 3800 and offices of Consortium Members, Sub-Consortium Members, Trading Members and Designated Branches of the SCSBs. Application Forms may be downloaded from the websites of the Company, NSE, BSE and Members of the Consortium.
AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Physical copy of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of the Company and the Lead Managers. Full copy of the Prospectus will be available on the website of the Issuer at www.tatacapital.com, of the Lead Managers at www.edelweissfin.com, www.akgroup.co.in and www.axisbank.com, of the Debenture Trustee at www.vistraitcl.com, of NSE at www.nseindia.com, of BSE at www.bseindia.com and of SEBI at www.sebi.gov.in.
PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK AND REFUND BANK: HDFC Bank Limited.

LEAD MANAGERS TO THE ISSUE			REGISTRAR TO THE ISSUE	DEBENTURE TRUSTEE***
Edelweiss	a.k.	AXIS BANK	KARVY FINTECH	VISTRA ITCL
Edelweiss Financial Services Limited Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai – 400 098 **Tel:** (+91 22) 4086 3535 **Fax:** (+91 22) 4086 3610 **Email:** Tcfsl.Ncd@edelweissfin.com **Investor Grievance Email:** customerservice.mb@edelweissfin.com **Website:** www.edelweissfin.com **Contact Person:** Mr. Lokesh Singhi **SEBI Registration No.:** INM0000010650	**A. K. Capital Services Limited** 30-38, Free Press House, 3rd Floor, Free Press Journal Marg 215 Nariman Point, Mumbai 400 021 **Tel:** (+91 22) 6754 6500 **Fax:** (+91 22) 6610 0594 **Email:** Tcfsl.Ncd2018@akgroup.co.in **Investor Grievance Email:** investor.grievance@akgroup.co.in **Website:** www.akgroup.co.in **Contact Person:** Mr. Malay Shah /Mr. Krish Sanghvi **SEBI Registration No.:** INM000010411	**Axis Bank Limited** 'Axis House', C-2, Wadia International Centre Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025 **Tel:** (+91 22) 6604 3293 **Fax:** (+91 22) 2425 3800 **Email:** tcfsl.2018@axisbank.com **Investor Grievance Email:** investor.grievance@axisbank.com **Website:** www.axisbank.com **Contact Person:** Mr. Vikas Shinde **SEBI Registration No.:** INM000006104	**Karvy Fintech Private Limited (formerly known as KCPL Advisory Services Private Limited)** Karvy Selenium Tower-B, Plot 31&32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032 **Tel:** (+91 40) 6716 2222 **Fax:** (+91 40) 2343 1551 **Email:** tcfsl.ncdipo@karvy.com **Investor Grievance Email:** einward.ris@karvy.com **Website:** www.karvyfintech.com **Contact Person:** Mr. M Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221	**Vistra ITCL (India) Limited** The IL&FS Finance Centre, Plot C-22, G Block, Bandra Kurla Complex (Bandra East), Mumbai 400 051 **Tel:** +(91 22) 2659 3333 **Fax:** +(91 22) 2653 3297 **Email:** itclcomplianceofficer@vistra.com **Investor Grievance Email:** investorgrievancesitcl@vistra.com **Website:** vistraitcl.com **Contact Person:** Mr. Jatin Chonani **SEBI Registration No.:** IND000000578

Company Secretary and Compliance Officer: Ms. Avan Doomasia; **Tel:** (+91 22) 6606 9000; **Fax:** (+91 22) 6656 2699; **Email:** compliance.ncd@tatacapital.com

***Vistra ITCL (India) Limited under Regulation 4(4) of the SEBI Debt Regulations has by its letter dated July 12, 2018, given its consent for its appointment as Debenture Trustee to the Issue.

For further details please refer to the Tranche II Prospectus dated August 02, 2019. Allotment shall be made in consultation with the Stock Exchanges. *The Tranche II Issue shall remain open for subscription on Working Days from 10:00 a.m. to 5:00 p.m (IST), during the period indicated above, except that the Tranche II Issue may close on such earlier date or extended date as may be decided by the Board of Directors of TCFSL ("Board") or the Working Committee, as the case may be. In the event of such an early closure or extension of the Tranche II Issue, TCFSL shall ensure that notice of such early closure or extension is given to the prospective investors through an advertisement in a national daily newspaper with wide circulation on or before such earlier date or initial date of Tranche II Issue closure. Application Forms for the Tranche II Issue will be accepted only from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. (IST) or such extended time as may be permitted by the Stock Exchanges, on Working Days during the Issue Period. On the Issue Closing Date, Application Forms will be accepted only between 10:00 a.m. to 3:00 p.m. (IST) and uploaded until 5:00 p.m. (IST) or such extended time as may be permitted by the Stock Exchanges.

Disclaimer: Tata Capital Financial Services Limited, subject to market conditions and other considerations, is proposing a public issue of Secured Redeemable Non-Convertible Debentures and Unsecured Subordinated Redeemable Non-Convertible Debentures eligible for inclusion as Tier II capital ("NCDs") and has filed the Shelf Prospectus dated August 29, 2018 and Tranche II Prospectus dated August 02, 2019 with the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai, BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited and SEBI. The Shelf Prospectus dated August 29, 2018 and Tranche II Prospectus dated August 02, 2019 are available on our website at www.tatacapital.com, on the website of the stock exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the respective websites of the Lead Managers at www.edelweissfin.com, www.akgroup.co.in and www.axisbank.com. Investors proposing to participate in the Issue should invest only on the basis of information contained in the Shelf Prospectus dated August 29, 2018 and Tranche II Prospectus dated August 02, 2019. Investors should note that investment in NCDs involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Shelf Prospectus dated August 29, 2018, including the section 'Risk Factors' beginning on page 11 of the said Shelf Prospectus and the section 'Material Developments' beginning on page 23 of the Tranche II Prospectus dated August 02, 2019.

Place: Mumbai
Date: August 9, 2019

For **Tata Capital Financial Services Limited**
Sd/-
Managing Director

अडाणी एंटरप्राइजेज का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में सात गुना बढ़ा

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

अडाणी एंटरप्राइजेज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सात गुना बढ़कर 570.14 करोड़ रुपए रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को 80.14 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। शेयर बाजार को उपलब्ध कराई जानकारी के मुताबिक समीक्षावधि में कंपनी के शेयरधारकों को मिलने वाला शुद्ध लाभ बढ़कर 601 करोड़ रुपए हो गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 169 करोड़ रुपए था।

धनाढ्यों को कर राहत की चर्चा के बीच सूचकांक ने लगाई छलांग

मुंबई, 8 अगस्त (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार के सूचकांक ने गुरुवार को 637 अंक की लंबी छलांग लगाई जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11,000 अंक के स्तर के पार निकल गया। ऐसी चर्चा है कि सरकार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की आय पर ऊंचे कर-अधिभार के कदम को वापस लेने की घोषणा कर सकती है। इस चर्चा के बीच बाजारों में तेजी आई। कारोबार के अंतिम घंटे में ऊर्जा, तेल एवं गैस, वाहन और आईटी कंपनियों के शेयरों में जोरदार लिवाली देखने को मिली।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक कारोबार के दौरान 750 अंक तक घूमने के बाद अंत में 636.86 अंक या 1.74 फीसद की बढ़त के साथ 37,327.36 अंक पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान इसने 37,405.48 अंक का उच्चस्तर छुआ। यह 36,655.41 अंक तक नीचे भी आया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 176.95 अंक या 1.63 फीसद की बढ़त के साथ 11,032.45 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान निफ्टी 11,058.05 अंक के उच्चस्तर तक गया तथा यह 10,842.95 अंक के निचले स्तर तक भी आया। सूचकांक और निफ्टी में यह 20 मई से एक दिन की सबसे ज्यादा बढ़त है। उस दिन सूचकांक और निफ्टी दोनों ने 3.6 फीसद की छलांग लगाई थी।

कारोबारियों ने कहा कि इस तरह की खबरों के बाद कि सरकार एफपीआई पर ऊंचा अधिभार वापस ले सकती है, से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई। जुलाई में बजट पेश होने के बाद से ही विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इससे पूंजी बाजारों के अलावा रुपया भी दबाव में है। सूचकांक की कंपनियों में एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज आटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, यस बैंक, मारुति, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 6.43 फीसद तक का लाभ रहा। वहीं दूसरी ओर टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक के शेयरों में 3.77 फीसद तक की गिरावट आई।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल व डीजल पर वैट में रियायत खत्म

रायपुर, 8 अगस्त (भाषा)।

छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में दी गई रियायत को हटा दिया है। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम 2.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। हालांकि, राज्य सरकार का दावा है कि वैट रियायत हटने के बाद भी सीमावर्ती राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओड़ीशा की तुलना में छत्तीसगढ़ में वाहन ईंधन अब भी सस्ता है।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि राजस्व का ध्यान रखते हुए डीजल और पेट्रोल पर वैट की दर पर दी गई रियायत को हटाया है। राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। राज्य में पेट्रोल और डीजल की नई दरें गुरुवार (आठ अगस्त) से लागू हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि सात अगस्त को भोपाल में पेट्रोल की कीमत 77.36 रुपए, नागपुर में 78.09 रुपए जबकि रायपुर में 70.85 रुपए प्रति लीटर थी। इसमें 2.25 रुपए की वृद्धि बहुत कम है। सात अगस्त को छत्तीसगढ़ में कर सहित डीजल 69.27 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 70.85 रुपए प्रति लीटर था। इसमें डीजल पर वैट लगभग 12.85 रुपए और पेट्रोल पर वैट लगभग 13.95 रुपए है।

डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने अक्तूबर 2018 में दो रुपए प्रति लीटर की राहत देते हुए राज्यों को भी दो रुपए प्रति लीटर राहत देने को कहा गया था।

सिंगटेल बढ़ा सकती है एयरटेल में प्रवर्तक हिस्सेदारी

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

सिंगापुर की सिंगटेल, देश के प्रमुख दूरसंचार ब्रांड एयरटेल की प्रवर्तक कंपनी भारती एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी 50 फीसद से अधिक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो एयरटेल देश की पहली विदेशी इकाई के तौर पर काम करने वाली निजी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी होगी।

बीएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारती एयरटेल में सबसे अधिक एकल हिस्सेदारी करीब 41 फीसद भारती टेलीकॉम की है। भारती टेलीकॉम में सुनील भारती मित्तल और उनके परिवार की करीब 52 फीसद हिस्सेदारी है।

यूको बैंक को पहली तिमाही में 601 करोड़ रुपए का घाटा

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त तिमाही में 601.45 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। हालांकि, इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में बैंक का घाटा कम हुआ है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक को 633.88 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। डूबे कर्ज के लिए प्रावधान कम होने से बैंक का घाटा नीचे आया है।

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय बढ़कर 4,446.61 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान तिमाही में 4,360.88 करोड़ रुपए रही थी। समीक्षाधीन तिमाही में बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता में कुछ सुधार देखने को मिला। जून में समाप्त तिमाही में बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घटकर 24.85 फीसद रह गईं जो एक साल पहले समान तिमाही में 25.71 फीसद थीं।

बैंक ऑफ इंडिया BOI Bank of India
आंचलिक कार्यालय- स्टार हाउस, 1, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010, फोन- 2721520, 2721513

निविदा सूचना

बैंक के उपरोक्त परिसर में एक नए 400KVA ट्रान्स्फोर्मर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन करने हेतु योग्य विद्युत ठेकेदारों से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी हमारे वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender से प्राप्त की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि **20.08.2019** सायं 3.00 बजे तक एवं उसी दिन सायं 3.30 बजे निविदाएँ खोली जाएंगी।

दिनांक : **09.08.2019** उप आंचलिक प्रबंधक

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
Branch- Vaishali, Ghaziabad, 111-A-1, Near Income Tax Office, Vaishali-201010, Ph.: 0120- 2774858, Mobile: 9868394326

परिशिष्ट - IV- ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रतीकात्मक/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रु. 24,16,770.64 (रु. चौबीस लाख सोलह हजार सात सौ सत्तर और चौंसठ पैसे मात्र) + 01–03–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–09–2019 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ताः– श्री स्वदेश कुमार पुत्र श्री रामजी मिश्रा, प्लॉट नं0. 1029, द्वितीय तल, सैक्टर–3, वैशाली, गाजियाबाद।

जमानतीः– श्री संतोष कुमार दुबे पुत्र श्री हरी शंकर दुबे, प्लॉट नं0. 398, सैक्टर–1, वैशाली, गाजियाबाद।

सुरक्षित मूल्य रू. 22,00,000/– (रू. बाईस लाख मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 2,20,000/– (रू. दो लाख बीस हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

आवासीय फ्लैट द्वितीय तल, प्लॉट नं0. 1029, सैक्टर–3, वैशाली, गाजियाबाद।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांकः 07-08-2019 **प्राधिकृत अधिकारी**

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान-मिनी रत्न)
CIN: U74899DL1999GOI101707

खुली ई-निविदा आमंत्रण सूचना

आईआरसीटीसी–पश्चिम अंचल की ओर से पैंट्री कार के बगैर चिन्हित मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट ट्रेनों में ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) के जरिए ऑन–बोर्ड कैटरिंग सर्विसेज की व्यवस्था हेतु खुली ई–निविदा (दो बोली प्रणाली के जरिए) आमंत्रित हैः

टीएसवी सेक्शन	टीएसवी सेक्शन की संख्या	ई–निविदा प्रपत्र की उपलब्धता	दाखिल करने की अंतिम तिथि
सीएसएमटी–डीडी (वाया पुणे)/सीएसएमटी–रोहा/रोहा–बीएसआर एवं डीडी–केओपी (वाया पुणे)	02	09.08.2019	04.09.2019 को 15.00 बजे तक
एमएमआर–सीएसएमटी, एमएमआर–वाडी/लातुर (वाया डीडी) एवं एमएमआर–बीएसएल	03	16.08.2019	10.09.2019 को 15.00 बजे तक
बीआरसी–एमएमसीटी, बीआरसी–यूजेएन (वाया आरटीएम) एवं बीआरसी–पीएनयू (वाया एडीआई)	03	21.08.2019	13.09.2019 को 15.00 बजे तक
एनजीपी–ईटी, एनजीपी–बीएसएल एवं एनजीपी–बीपीक्यू	03	26.08.2019	17.09.2019 को 15.00 बजे तक
जेबीपी–बीना/जेबीपी–सतना/रेवा, आरटीएम–कोटा एवं आरटीएम–माक्सी	03	29.08.2019	20.09.2019 को 15.00 बजे तक
जेबीपी–ईटी एवं बीना–ईटी	02	18.09.2019	15.10.2019 को 15.00 बजे तक
बीएसएल–ईटी	01	06.11.2019	04.12.2019 को 15.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र की डाउनलोडिंग तथा भाग लेने की प्रक्रिया वेबसाइटः www.tenderwizard.com/irctc पर की जा सकती है।

उपर्युक्त विज्ञापन के संदर्भ में कोई भी शुद्धिपत्र/संयोजन सिर्फ वेबसाइटः www.irctc.com तथा www.tenderwizard.com/irctc पर जारी की जाएगी।

कार्यालय पताः आईआरसीटीसी लिमिटेड, आंचलिक कार्यालय (पश्चिम अंचल), द्वितीय तल, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, डी.एन. रोड, मध्य रेलवे, सीएसएमटी, मुंबई–400001; फोनः 022–22618062/63/64

"अपना भोजन ऑनलाइन बुक करने के लिए कृपया लॉग आन करें- www.ecatering.irctc.co.in अथवा टोलफ्री नं. 1323 पर काल करें।"

SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD, KATRA
Abridged Notice Inviting Tender

For and on behalf of the Chairman, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, sealed tenders are invited on the prescribed format, duly affixed with Revenue Stamps worth Rupees Six only for the Supply of "Food Plates and Food Bowls" from the Manufacturers/ Suppliers for a period of One Year F.O.R. at Non-Engineering Store, Banganga, Katra. The tenders should reach this Office by or before 28.08.2019 upto 3.00 P.M. IST. The Tender Documents containing detailed terms and conditions and Tender Format can be had from the Central Office of the Shrine Board Katra against Cash payment of Rs. 300/- (Non-transferable and non-refundable) on any working day and same can be downloaded from our website: **www.maavaishnodevi.org**.

Sd/- (Amit Vermani) KAS,
Dy. Chief Executive Officer,
Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Katra.

No. CO/Pur/NE/316/5159
Dated: 08.08.2019

केनरा बैंक Canara Bank
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रीमिसस एंड एस्टेट सेक्शन, सर्किल कार्यालय, 7वीं मंजिल, 38–अंसल टॉवर, नेहरू प्लेस नई दिल्ली–110019, फोन नं.: 011–26224497 ई–मेल. pscodel@canarabank.com

केनरा बैंक कार्यालय बिल्डिंग प्लॉट नं. 38, आईटी पार्क, एसआईडीसीयूएल, देहरादून, उत्तराखंड में इंटिरियर फर्निशिंग कार्य के निविदा आमंत्रण सूचना।

केनरा बैंक कार्यालय बिल्डिंग प्लॉट नं. 38, आईटी पार्क, एसआईडीसीयूएल, देहरादून, उत्तराखंड में इंटिरियर फर्निशिंग कार्यों के लिए निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित हैं।

अधिक विवरण के लिए कृपया देखें। निविदाएं विधिवत पूर्ण उक्त कार्यालय में **27.08.2019 को दोपहर 3.00 बजे** मे जमा की जानी चाहिए। **निविदा दस्तावेज प्रीमिसस सेक्शन, केनरा बैंक सर्किल कार्यालय, 38, 7वीं मंजिल, अंसल टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से एकत्र किए जा सकते हैं।**

बैंक को उस पर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 07.08.2019 हस्ता. /– सहायक महा प्रबंधक

शुद्धिपत्र

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्टेगर कंसल्टैन्सी सर्विसेस एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिये फाइनांसियल एक्सप्रैस तथा जनसत्ता में प्रकाशित तिथि 20 अप्रैल, 2019 को वर्णित विषय में उल्लिखित "दिल्ली राज्य" को "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" पढ़ें तथा पता "क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2, विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003" को "कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली" के पास अपील पढ़ें।

Seal

MOHIT PAPER MILLS LIMITED
CIN:L21093DL1992PLC116600
Regd. Office : 15A/13, Upper Ground Floor, East Patel Nagar, New Delhi - 110 008
Website : mohitpaper.in,
Email :mohit.paper@rediffmail.com

Extract of Statement of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th June,2019

₹ in Lacs

Particulars	Quarter Ended 30.06.2019 Un-Audited	Quarter Ended 31.03.2019 Audited	Quarter Ended 30.06.2018 Un-Audited	Year Ended 31.03.2019 Audited
Revenue from Operations	3758.87	4091.11	3670.72	15599.42
Net Profit/Loss for the period (before Tax, exceptional items and/or extraordinary items)	128.91	119.93	42.23	295.11
Net Profit/Loss for the period before Tax, (after exceptional items and /or extraordinary items)	128.91	119.93	42.23	295.11
Net Profit/Loss for the period after Tax, (after exceptional items and /or extraordinary items)	92.86	78.01	29.79	205.42
Total comprehensive income for the period(Comprising profit/loss for the period(after tax) and other comprehensive income (after tax)	92.86	78.01	29.79	205.42
Paid up Equity Share Capital Equity shares of ₹ 10/- each	1400	1400	1400	1400
Earnings per share (of ₹ 10/- each)from continuing operations and discontinued operations)				
Basic	0.66	0.56	0.21	1.47
Diluted	0.66	0.56	0.21	1.47

Note : The above results is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended 30.06.2019 under regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations 2015. The full format are avialable on BSE web-site (www. bseindia.com). The same is also filed with the stock exchange available on company's website(mohitpaper.in) under the investors section.

By Order of the Board
For Mohit Paper Mills Limited
Sd/-
Sandeep Jain
Managing Director
(DIN No.00458048)

Place : New Delhi
Dated : 08/08/2019

CAREER POINT LIMITED
Registered & Corporate Office: CP Tower-1, Road No.1, IPIA, Kota-324005 (Raj.)
CIN-L72200RJ2000PLC016272 | Ph: **+91-744-3040000** | website: **www.cpil.in** | E-mail: **investors@cpil.in**

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE 2019

(₹ in Lakhs Except Per Share Data)

PARTICULARS	Quarter Ended (30/06/2019) (Unaudited)	Year Ended (31/03/2019) (Audited)	Corresponding Quarter Ended (30/06/2018) (Unaudited)
Total Income from Operations (net)	2,536.56	10,053.33	2638.61
Net Profit from Ordinary Activities after tax before Minority Interest	849.95	2,412.85	625.85
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	850.06	2,413.97	626.07
Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,816.29	1,816.29	1816.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance sheet of previous year	-	40,998.22	-
Earnings Per Share (EPS)			
Basic & Diluted EPS	4.68	13.29	3.45

Notes :

1. Summarised Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2019 is as under:

(₹ in Lakhs Except Per Share Data)

PARTICULARS	Quarter Ended (30/06/2019) (Unaudited)	Year Ended (31/03/2019) (Audited)	Corresponding Quarter Ended (30/06/2018) (Unaudited)
Total Income from Operations (net)	1,653.43	6,872.20	1973.69
Net Profit from Ordinary Activities after tax before Minority Interest	483.72	1,015.25	352.89
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	483.72	1,015.25	352.89
Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,816.29	1,816.29	1816.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance sheet of previous year	-	-	-
Earnings Per Share (EPS)			
Basic & Diluted EPS	2.66	7.16	1.94

2. Interim Dividend for the Financial Year 2019-20 at ₹ I/- per equity share i.e. 10% on the face value of ₹ 10/- per share. The said Interim Dividend will be paid on or before Friday, September 06, 2019
3. The above results, duly reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on August 08, 2019
4. The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind-AS) w.e.f 01.04.2017 as notified by the Ministry of Corporate Affairs and accordingly these financial results for the Quarter ended June 30, 2019 are in compliance with Ind AS.
5. The above is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019 filled with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website i.e. www.cpil.in and Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR CAREER POINT LIMITED

PRAMOD MAHESHWARI
Chairman, Managing Director and CEO
DIN-00185711

Place: Kota (Rajasthan)
Date : August 08,2019

www.lemontreehotels.com

lemon tree HOTELS

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019

(₹ In Lakhs, except per share data)

Particulars	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2019 (Audited)	Quarter ended June 30, 2018 (Unaudited)	Year Ended March 31, 2019 (Audited)
Total Income	14,219.48	15,307.99	12,714.31	55,943.79
Net profit/(Loss) before tax	(139.53)	1,425.20	427.56	4,526.74
Net profit/(Loss) after taxes and Non-controlling interest	(166.97)	3,245.56	228.70	5,287.83
Total comprehensive Income/ (loss) after Non-controlling interest	(168.71)	3,235.15	228.72	5,277.15
Paid-up equity share capital (face value ₹10 per share)	78,997.29	78,929.55	78,639.32	78,929.55
Other equity (as shown in the Audited Balance Sheet)				51,791.27
Earning per share (of ₹ 10 each) (EPS for quarter ended periods is not annualised)				
(A) Basic	(0.02)	0.41	0.03	0.67
(B) Diluted	(0.02)	0.41	0.03	0.67

Notes:

1. The results for the first quarter are not indicative of a full year's working due to the seasonal nature of the Indian Hotel Industry.
2. The consolidated unaudited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meetings held on August 07, 2019. The statutory auditors have carried out a limited review of the above Financial Results.
3. Key standalone Financial Results Information: (₹ In Lakhs)

Particulars	Quarter ended June 30, 2019 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2019 (Audited)	Quarter ended June 30, 2018 (Unaudited)	Year Ended March 31, 2019 (Audited)
Total Income	6,548.09	7,577.75	6,366.92	28,264.25
Profit before tax	438.87	1,652.54	618.53	4,844.90
Net profit after tax	311.23	3,786.52	496.33	6,324.30
Total comprehensive income	306.81	3,767.42	496.79	6,306.58

4. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited results is available on the Stock exchanges websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.lemontreehotels.com.

By order of the Board
for Lemon Tree Hotels Limited
Sd/-
Patanjali G. Keswani
(Chairman & Managing Director)
DIN NO: 00002974

Place : New Delhi
Dated: August 7, 2019

Lemon Tree Hotels Limited
(CIN:L74899DL1992PLC049022)
Regd. Off.: Asset No. 6, Aerocity Hospitality District New Delhi -110037 | Tel.: +91-11-4605 0101
Fax: +91-11-4605 0110 | Email: sectdept@lemontreehotels.com

Our Brands
lemon tree PREMIER · lemon tree HOTELS · redfox · AURIKA

दक्षिण मध्य रेलवे
Follow us on @SCRailwayIndia
द. म. रेलवे की निविदा सूचनाओं का विवरण हमारी वेबसाईटः www.scr.indianrailways.gov.in पर देखें।

माह सितम्बर एवं अक्टूबर –2019 के लिये नीलामी बिक्री कार्यक्रम

PUB/0935

सितम्बर ई–नीलामी–2019

तिथि	मंडल/डिपो
03.09.19	रायणापाडु
04.09.19	गुन्टाकाल, नांदेड़
05.09.19	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
06.09.19	विजयवाड़ा
09.09.19	हैदराबाद, तिरुपति
11.09.19	लल्लागुडा
12.09.19	रायणापाडु
13.09.19	गुन्टाकाल, नांदेड़
16.09.19	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
17.09.19	विजयवाड़ा
18.09.19	हैदराबाद, तिरुपति
19.09.19	लल्लागुडा
20.09.19	रायणापाडु
23.09.19	गुन्टाकाल, नांदेड़
24.09.19	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
25.09.19	विजयवाड़ा
26.09.19	हैदराबाद, तिरुपति
27.09.19	लल्लागुडा
30.09.19	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुन्टाकाल, गुन्टूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रामयणापाडु, तिरुपति

अक्टूबर ई–नीलामी–2019

तिथि	मंडल/डिपो
01.10.19	रायणापाडु
03.10.19	गुन्टाकाल, नांदेड़
04.10.19	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
09.10.19	विजयवाड़ा
10.10.19	हैदराबाद, तिरुपति
11.10.19	लल्लागुडा
14.10.19	रायणापाडु
15.10.19	गुन्टाकाल, नांदेड़
16.10.19	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
17.10.19	विजयवाड़ा
18.10.19	हैदराबाद, तिरुपति
21.10.19	लल्लागुडा
22.10.19	रायणापाडु
23.10.19	गुन्टाकाल, नांदेड़
24.10.19	सिकन्दराबाद, गुन्टूर
25.10.19	विजयवाड़ा
28.10.19	हैदराबाद, तिरुपति
29.10.19	लल्लागुडा
30.10.19	रायणापाडु
31.10.19	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुन्टाकाल, गुन्टूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रायणापाडु, तिरुपति

A 1317 **मुख्य सामग्री प्रबंधक प्रबंधक/सिकन्दराबाद**

निविदा की विस्तृत शर्तें/विवरणों तथा निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए कृपया वेबसाईटः http://www.ireps.gov.in या www.scr.indianrailways.gov.in देखें।

एनआरसी का काम 31 अगस्त तक पूरा करना ही होगा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) की कवायद को लेकर असम विधानसभा के भीतर और बाहर की गई आलोचना और बयानों को दरकिनार करते हुए गुरुवार को कहा कि वह चाहता है कि इस काम को पूरा करने के लिए निर्धारित 31 अगस्त की समय सीमा का पालन हो। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन के पीठ ने असम नागरिक पंजिका के समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने असम विधानसभा में इस बारे में जानकारी लीक होने और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के कानूनी सलाहकार सांतानु भराली के बयानों का उल्लेख किया है।

पीठ ने कहा कि उसका ऐसे बयानों से कोई सरोकार नहीं है और वह सिर्फ यह देख रही है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजिका बनाने की सारी कवायद 31 अगस्त की समय सीमा के भीतर पूरी हो। पीठ ने कहा, 'आपने (हजेला) विधानसभा में जानकारी का खुलासा करने के संबंध में प्रतिपक्ष के नेता के बयानों और आंकड़ों की गोपनीयता के बारे में सांतानु भराली के प्रेस बयान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जहां तक प्रतिपक्ष के नेता के बयान का संबंध है, हमें इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। जब न्यायाधीश या न्यायालय कोई आदेश पारित करता है तो कुछ लोग उसकी आलोचना करते ही हैं। न्यायालय ने कहा कि हमारे आदेश और हमारी कार्रवाई हर क्षण बहस और आलोचना का विषय होती हैं।

देहरादून के उद्यमियों ने निकाली तिरंगा यात्रा

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 8 अगस्त ।

सिडकुल इंट्राप्रेन्यॉर वेलफेयर एसोसिएशन (सेवा) हरिलार से जुड़े उद्यमियों ने भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर पर हालिया फैसले के समर्थन में तिरंगा यात्रा और विजय जुलूस निकाला। सिडकुल के मुख्य मार्ग से होती हुई तिरंगा यात्रा सेवा पार्क में समाप्त हुई।

इस दौरान 'भारत माता की जय, वंदे मातरम और कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है' के नारे लगे। उद्यमी हाथों में राष्ट्रध्वज लेकर चल रहे थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष हिमेश कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एक झटके में देश का इतिहास बदल दिया है। 70 सालों से लोगों को इसका इंतजार था।

बाढ़ से प्रभावित कर्नाटक में नौ की मौत, 43 हजार लोगों को बचाया

बंगलुरु, 8 अगस्त (भाषा)।

कर्नाटक के बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों से अभी तक करीब 43,000 लोगों को बचाया गया है। यहां बारिश के प्रकोप के कारण नौ लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सबसे अधिक प्रभावित बेलगावी जिले से 40,180 लोगों को बचाया गया है। जिले में छह लोगों की मौत हो चुकी है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर कन्नड़ जिले में बारिश से संबंधित घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। यहां से अभी तक 3,088 लोगों को बाहर निकाला गया है। करीब 17 हजार लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बेलगावी में रुके हुए हैं और राहत और बचाव अभियान पर नजर रख रहे हैं।

उन्होंने गुरुवार को बेलगावी के बारिश से प्रभावित शिवाजीनगर और गांधीनगर इलाकों का दौरा किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'जलाशयों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया अच्छी तरह से समन्वित है और प्रोटोकॉल के अनुसार है ताकि निचले इलाकों को डूबने से बचाया जा सके। बड़ी मात्रा में पानी छोड़ने से प्रभावित होने वाले गांवों की पहचान कर ली गई और आवश्यक एहतियात बरता जा रहा है।' आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दमकल और आपात विभाग, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सेना की संयुक्त बचाव टीमों ने उत्तरी, तटीय और मलनाड क्षेत्र में प्रभावित जिलों से अभी तक कुल 43,858 लोगों को बाहर निकाला है।

बयान में कहा गया है कि जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है और जलाशयों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से पैदा होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

इसमें कहा गया है, 'बाढ़ के हालात नियंत्रण में हैं।' इस बीच, दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने पुणे मंडल पर पचापुर, गोकक और कुछ अन्य स्थानों पर मूसलाधार बारिश के कारण पटरियां जलमग्न होने के कारण बृहस्पतिवार को 18 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की। उसने बताया कि पटरियों पर जल भराव के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

हैदराबाद के श्रद्धालु ने तिरुमला मंदिर को 1.11 करोड़ रुपए दान में दिए

तिरुपति, 8 अगस्त (भाषा)।

हैदराबाद के एक श्रद्धालु ने गुरुवार को तिरुमला के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर को 1.11 करोड़ रुपए दान करते हुए अनुरोध किया कि इस धन का उपयोग मंदिर द्वारा संचालित तीर्थयात्री मुफ्त भोजन ट्रस्ट के लिए किया जाए। मंदिर के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालु युगमति रामी रेड्डी ने अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा-अर्जना के बाद मंदिर का प्रबंधन देख रहे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीडीपी) बोर्ड चेयरमेन वाई वी सुब्बा रेड्डी को 1.11 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालु ने चेयरमैन से अनुरोध किया कि इस राशि का उपयोग बोर्ड संचालित श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रासादम ट्रस्ट के लिए किया जाए।

ASSOCIATED FINMAN LIMITED

Regd. Office: 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments New Rohtak Road New Delhi-110005
Email Id: rkked@yahoo.co.in; Tel No. : +91 1132953621
CIN: L65910DL1984PLC018871, Website: www.associates.net.in

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 14th, 2019 at 11:00 A.M. inter-alia to Consider and approve the Unaudited Financial Results along with Limited Review Report of the Company for the Quarter ended as on June 30th, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at *http://www.associates.net.in* and may also be accessed on the Stock Exchange websites at *https://www.msei.in* Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" would continue till the end of 48 hours after the results are made public on August 14th, 2019.

For **Associated Finman Limited**
Sd/-
(Dhiraj Gupta)
Managing Director
DIN:- 02322266
Place: Delhi
Date: 08.08.2019
Add:- B-167, Shastri Nagar Ashok Vihar Delhi 110052

NEWAGE MARKETING LIMITED

Regd. Office: 59/17, Ground Floor, Bahubali Apartments New Rohtak Road New Delhi-110005
Email Id: rkked@yahoo.co.in; Tel No. : +91 11-28711851
CIN: L51909DL1984PLC018695, Website: www.newagemarketing.in

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday 14th August 2019 at 02.00 pm inter-alia to Consider and approve the unaudited Financial Results along with the limited review report of the Company for the Quarter ended June 30, 2019 and to consider any other business with the permission of the chair which is incidental and ancillary to the business.

The said Notice may be accessed on the Company's website at *http://www.newagemarketing.in* and may also be accessed on the Stock Exchange websites at *https://www.msei.in* Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" would continue till the end of 48 hours after the results are made public on August 14, 2019.

For **Newage Marketing Limited**
Sd/-
(Manish Arora)
Managing Director & Compliance Officer
Place: Delhi
Date: 08.08.2019

(प्रपत्र सं आइएनसी 26)
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार / प्रादेशिक निदेशक
के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
हुक्स एंड स्ट्राइप्स प्राइवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 220 राम नगर, गाजियाबाद, नॉर्थ दिल्ली, यूपी–201001 में स्थित है
......याचिकाकर्ता

सूचना

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य से पश्चिम बंगाल राज्य में स्थानान्तरित करने के लिए तारीख 17 जून, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

हुक्स एंड स्ट्राइप्स प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 220 राम नगर, गाजियाबाद, नॉर्थ दिल्ली, यूपी–201001
के लिए और निदेशक मंडल की ओर से
हुक्स एंड स्ट्राइप्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अजय दुबे
निदेशक
डीआईएन : 01150003
तिथि : 08.08.2019
स्थान : गाजियाबाद

ADITYA BIRLA CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

Aditya Birla Finance Limited

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात- 362266
CIN No.: U65990GJ1991PLC064603

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका आदित्य बिरला फाइनांस लिमिटेड, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की कैप्को एण्टरप्राईजेज, श्रीमती अनीता कपूर, श्री आरोहण कपूर, श्री विकाना कपूर, श्री विरेन्दर कपूर, से आदित्य बिरला फाइनांस लिमिटेड, प्रतिभूत क्रेडीटर को देय रु. 6,61,95,276/- (रुपये छः करोड़ इकसठ लाख पंचानवे हजार दो सौ छिहत्तर मात्र) की वसूली के लिये 11 सितम्बर, 2019 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 6,83,03,100/- (रुपये छः करोड़ तिरासी लाख तीन हजार एक सौ मात्र) होगा।

अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

श्री वीरेन्दर कपूर तथा श्रीमती अनीता कपूर के स्वामित्व में ग्रीन वुड्स सिटी के नाम से विदित आवासीय कॉलोनी, ग्राम कन्हाई एवं झरसा में तथा उसके आस-पास, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा-122003 में स्थित सम्पूर्ण निर्मित आवासीय सम्पत्ति, प्लॉट नं. 46, ब्लॉक ए, क्षेत्रफल माप 420 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः दक्षिण-पूर्वः रोड, दक्षिण-पश्चिमः प्लॉट नं. ए-47, उत्तर-पूर्वः प्लॉट नं. ए-45, उत्तर पश्चिमः प्लॉट नं. ए-37

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात www.adityabirlafinance.com में दी गई लिंक देखें।

तरुण शर्मा
फोन नं.: 9540178178
प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिरला फाइनांस लिमिटेड
स्थानः दिल्ली
तिथिः 09/08/2019

SBI

भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II,
एसबीआई हाउस, चौथा तल, 18/4, आर्या समाज रोड, करोल बाग, दिल्ली-110005, ईमेल : sbi.51521@sbi.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत भारतीय स्टेट बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता / गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **भारतीय स्टेट बैंक,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं	खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (धारा 13/2 नोटिस में उल्लिखित राशि)
1	मैसर्स माँ दुर्गा ट्रेडिंग क और श्री राहुल बंसल पुत्र नरेन्द्र बंसल	मकान नं. 199-ए, मालीवाड़ा गाजियाबाद, यू.पी. -201001 में स्थित, चौहद्दी : पूरब में - 12 फीट गली, पश्चिम में - 12फीट गली, उत्तर में - लोकेश बंसल के सम्पत्ति, दक्षिण में - सुरजीत कौर का मकान	31-05-2019 / 05-08-2019	रु. 57,15,080.00 दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से ब्याज और आकस्मिक खर्चे बैंक द्वारा
2	मैसर्स कॉसगॉस टेलीकम्युनिकेशन प्रा. लि. इसके निदेशकों / गारंटर्स श्री देव चंद सिंह पुत्र शाभित सिंह, श्री राकेश कुमार पुत्र देव चंद्र सिंह- श्रीमती इंदु सिंह पत्नी डी सी सिंह	(1) सभी तरह की चालू आस्तियों का हाइपोथेकसेशन 2) भूमि एवं भवन मकान नं. 22, सैक्टर-5, चिरंजीव विहार, जोकि गांव- महरौली, जिला गाजियाबाद, क्षेत्रफल 196.9 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्रीमती इंदु सिंह और श्री देव चंदर सिंह के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में - 18 मी. रोड, पश्चिम में - मकान नं. 72 उत्तर में - मकान नं. 21, दक्षिण में - मकान नं. 23	13-05-2019 / 05-08-2019	रु. 1,18,39,047.50 दिनांक 12.05.2019 तक और दिनांक 13.05.2019 से ब्याज और आकस्मिक खर्चे बैंक द्वारा

दिनांक : 05-08-2019, स्थान : गाजियाबाद
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली - 110 001

आर. सी. सं. 344 / 2018
दिनांकित : 30.07.2019

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढा जाये।

बैंक ऑफ बडौदा बनाम मैसर्स विरेन्द्र ज्वैल्स प्रा. लि. एवं अन्य

सीडी नं. 1 मैसर्स वीरेंद्र ज्वैल्स प्रा. लि., 2745 / 23, द्वितीय तल, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सीडी नं. 2 श्री वीरेंद्र वर्मा (निदेशक और गारंटर)
सीडी नं. 3 श्रीमती किरण वर्मा (निदेशक और गारंटर), दोनों: सी-336, मिलेनियम अपार्टमेंट्स सैक्टर-18, रोहिणी, नई दिल्ली -110085

जैसा कि आपने पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली द्वारा **ओ ए नं. 387 / 2016** ऋणवसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके / उनके द्वारा देय योग्य **रु. 9,61,01,664 / - (रु. नौ करोड इकसठ लाख एक हजार छः सौ चौसठ मात्र)** और साथ में ब्याज एवं खर्चे इत्यादि सहित प्रमाणपत्र के अनुसार देय योग्य ब्याज व लागत का भुगतान नहीं किया है।

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जैसा कि रु. 9,61,01,664 / - (रु. नौ करोड इकसठ लाख एक हजार छः सौ चौसठ मात्र) **ओए की फाईलिंग की तिथि से अर्थात 16.05.2016 से वसूली की तिथि तक प्रभावी @12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज** इत्यादि सहित कर्जदारों द्वारा देय होगा।

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा **26.09.2019 को अर्पा. 03.00 बजे से अर्पा. 04.00 बजे** के बीच ई-नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., (ABC Procure) ए-201 / 208, वॉल स्ट्रीट-II, ओरियंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात इण्डिया, फोन नं. +91 079 40016800, वेबसाईट : http://drt.auctiontiger.net फैक्स नं. +91 7940016876** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ के लिए **श्री नितिश झा, मोबाइल नंबर 07982680393, ई-मेल : delhi@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।**

संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक बोलीदाता सीएच बैंक, श्री पवन कुमार, वसूली सहायक से सम्पर्क **करने की सलाह दी जाती है।**

सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति के भाग की बिक्री की राशि सम्पूर्ण देय राशि के संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त रोक दी जायेगी। बिक्री तब भी रोक दी जायेगी यदि इससे पहले किसी लॉट की बोली छुट जाती है, कथित प्रमाणपत्र में अंकित बकायों, ब्याज लागत (जिसमें बिक्री की लागत शामिल है) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी को देय दी जाती है / प्रस्तुत की जाती है या इस आशय का प्रमाण दिया जाता है कि ब्याज या लागत के साथ ऐसे प्रमाणपत्र की राशि का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उदघोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण को अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा उदघोषणा में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

1. **आरक्षित मूल्य रु. 35,00,000 / - (रु. पैंतीस लाख मात्र) के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी**
2. बोली, **कम से कम रु. 1,00,000 / - (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी।
3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. धरोहर राशि **रु. 3,50,000 / - (रु. तीन लाख पचास हजार मात्र)** जमा करने हेतु **पै ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली** में देयगोग्य हो को **वसूली अधिकारी - II, डीआरटी- III, दिल्ली को दिनांक 24.09.2019 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाइल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वय की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे हैं, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामलों में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी / प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद / काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा।
6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।
7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को रू. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**
8. असफल बोलीदाता / ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा।
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनर्बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त हो जाएंगे।

10 वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

11. सीएच बैंक को वर्णित सम्पत्ति को प्रमाणित और उसकी सच्चाई के बारे में सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

12 सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।

13. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

क्र. सं	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1	सामिक बंधक लीज होल्ड तृतीय तल का भाग (बिना छत / टैरेस के अधिकार के) क्षेत्रफल 69.84 वर्ग मी., म्युनिसिपल नं. 2745 का भाग, वार्ड नं. XVI प्लॉट / खसरा नं. 38, खतौनी नं. 783, ब्लॉक-पी, गली नं. 22 और 23 जोकि बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली में स्थित	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 30 जुलाई, 2019 को दिया गया।

(विकास जेटली) वसूली अधिकारी-II,
ऋणवसूली अधिकरण-III, दिल्ली

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA

PUBLIC ANNOUNCEMENT

CHEMCON

CHEMCON SPECIALITY CHEMICALS LIMITED

Our Company was originally incorporated as Gujarat Quinone Private Limited at Vadodara, Gujarat, India, as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated December 15, 1988 issued by the RoC. Our Promoters and Promoter Group completed the acquisition of 100% of the Equity Share capital of our Company in 2004 from the shareholders of our Company at the time. Chemcon Engineers Private Limited" ("**CEPL**") was incorporated at Vadodara, Gujarat, India as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated April 30, 1996 issued by the RoC. CEPL, a company largely owned and promoted by our Promoters and Promoter Group, merged into our Company pursuant to an order of the High Court of Gujarat dated May 6, 2004 approving the Scheme of Amalgamation between CEPL and our Company. Thereafter, to reflect the nature of activities of our Company consequent to the Scheme of Amalgamation, the name of our Company was changed to "Chemcon Speciality Chemicals Private Limited" pursuant to the approval of our Shareholders at an extra-ordinary general meeting held on July 24, 2004 and the fresh certificate of incorporation on change of name issued by the RoC on July 27, 2004. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to the approval of our Shareholders at an extra-ordinary general meeting held on November 28, 2018. Consequently, the name of our Company was changed to "Chemcon Speciality Chemicals Limited" and a Fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to public limited company was issued by the RoC on April 10, 2019. For further details relating to the changes in the registered office and name of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 150 of the draft red herring prospectus dated August 7, 2019 ("**DRHP**").

Registered Office: Block Number 355, Manjusar Kunpad Road, Manjusar Village, Taluka Savli, Vadodara 391 775, Gujarat; **Tel:** +91 98795 64107
Corporate Office: 9th Floor, Onyx Business Centre, Akshar Chowk, Old Padra Road, Vadodara 390 020, Gujarat; **Tel:** +91 265 298 1195
Contact Person: Shahilkumar Maheshbhai Kapatel, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** + 91 265 298 3754; **E-mail:** investor.relations@cscpl.com;
Website: www.cscpl.com; **Corporate Identity Number:** U24231GJ1988PLC011652

OUR PROMOTERS: KAMALKUMAR RAJENDRA AGGARWAL, NAVDEEP NARESH GOYAL AND SHUBHARANGANA GOYAL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF CHEMCON SPECIALITY CHEMICALS LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION. THE ISSUE COMPRISES OF A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 1,750 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 4,300,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, COMPRISING OF UP TO 2,150,000 EQUITY SHARES BY KAMALKUMAR RAJENDRA AGGARWAL AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, AND UP TO 2,150,000 EQUITY SHARES BY NARESH VIJAYKUMAR GOYAL AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, (TOGETHER, THE "SELLING SHAREHOLDERS") (THE "OFFER FOR SALE", AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [•] % OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BRLMs AND WILL BE ADVERTISED IN [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER), [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND [•] EDITIONS OF [•] (A WIDELY CIRCULATED GUJARATI DAILY NEWSPAPER, GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF VADODARA WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED ("BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

This Issue is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("**SCRR**") read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "**SEBI ICDR Regulations**"). This Issue is being made through the Book Building Process in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") (the "**QIB Portion**"), provided that our Company and the Selling Shareholders in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis. One-third of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. Further, not less than 15% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are mandatorily required to participate in the Issue through the Application Supported by Blocked Amount ("**ASBA**") process by providing details of their respective ASBA Account, which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("**SCSBs**"). Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA Process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 281 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public issue of Equity Shares pursuant to the Issue and has filed the DRHP dated August 7, 2019 with Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") on August 8, 2019.

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of filing of the DRHP, by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com and the websites of the respective BRLMs, i.e. Intensive Fiscal Services Private Limited at www.intensivefiscal.com and Ambit Capital Private Limited at www.ambit.co. We invite the public to give comments on the DRHP filed with SEBI with respect to disclosures made therein. The public is requested to send a copy of the comments sent to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLMs at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" beginning on page 22 of the DRHP.

Any decision whether to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after a red herring prospectus for the same has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus. The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on BSE and NSE.

For details of the share capital and capital structure of the Company, see "*Capital Structure*" on page 58 of the DRHP. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 150 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE ISSUE
Intensive	AMBIT Acumen at work	LINK Intime
Intensive Fiscal Services Private Limited	**Ambit Capital Private Limited**	**Link Intime India Private Limited**
Address: 914, 9th Floor, Raheja Chambers Free Press Journal Marg Nariman Point, Mumbai 400 021	**Address:** Ambit House, 449 Senapati Bapat Marg Lower Parel, Mumbai 400 013	C-101, First Floor, 247 Park Lal Bahadur Shastri Marg Vikhroli (West), Mumbai 400 083
Tel: +91 22 2287 0443/44/45	**Tel:** +91 22 3043 3000	**Tel:** +91 22 4918 6200
E-mail: chemcon.ipo@intensivefiscal.com	**E-mail:** chemcon.ipo@ambit.co	**Email:** chemcon.ipo@linkintime.co.in
Investor Grievance E-mail: ipo@intensivefiscal.com	**Investor Grievance E-mail:** investorgrievance.acpl@ambit.co	**Investor Grievance E-mail:** chemcon.ipo@linkintime.co.in
Website: www.intensivefiscal.com	**Website:** www.ambit.co	**Website:** www.linkintime.co.in
Contact Person: Harish Khajanchi/Anand Rawal	**Contact Person:** Krishnakant Jaju/ Sandeep Sharma	**Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan
SEBI Registration No. INM000011112	**SEBI Registration No.:** INM000012379	**SEBI Registration No.:** INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **CHEMCON SPECIALITY CHEMICALS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Whole-Time Director and Chief Financial Officer
Place : Vadodara
Date : August 8, 2019

CHEMCON SPECIALITY CHEMICALS LIMITED proposes, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI. The DRHP will be available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, respectively and is available at the respective websites of the BRLMs at www.intensivefiscal.com and www.ambit.co. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "*Risk Factors*" on page 22 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the SEBI, nor does the SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "*Risk Factors*" on page 22 of the DRHP.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("**U.S. Securities Act**") or any state securities laws in the United States, and unless so registered may not be offered or sold within the United States. Accordingly, such Equity Shares are being offered and sold outside of the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

CONCEPT

PREMIER POLYFILM LTD.

Regd. Office: 305, III Floor, Elite House, 36, Community Centre, Kailash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi -110048.
CIN NO. L25209DL1992PLC049590, Phone : 011-29246481 Email : premierpoly@premierpoly.com

EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2019 (Rupees in Lakhs)

Sr. No	Particulars	Quarter Ended 30/06/2019	Quarter Ended 30/06/2018	Year Ended 31/03/2019
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	4,079	3,901	17,294
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	103	56	619
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	103	56	619
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	80	41	446
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)	78	37	462
6	Equity Shares Capital (Face value Rs.5/- Per equity share)	1,059	1,059	1,059
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited balance sheet of previous accounting year)	3,106	2,723	2,770
8	Earning Per Share of Rs. 5/- each (for continuing and discontinued Operations) Basic and diluted	0.38	0.20	2.13

Notes :
1. The above extract is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under the Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015. The full format of the financial results are available on the stock exchanges website : www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's Website ; www.premierpoly.com.
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the company at their Meeting held on 9th August,2019.

For PREMIER POLYFILM LTD.
AMAR NATH GOENKA
MANAGING DIRECTOR
DIN : 00061051

Place : New Delhi
Date : 09/08/2019

'जम्मू-कश्मीर से बाहर के छात्रों की ईद पर घर वापसी की व्यवस्था करें'

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अधिकारियों को ईद पर राज्य लौटने वाले छात्रों के घर तक पहुंचने को लेकर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं घर लौटने में असमर्थ छात्रों के लिए ईद उत्सव आयोजित करने के वास्ते संपर्क अधिकारियों को एक लाख रुपए जारी किए गए हैं। (भाषा)

केन फिन होम्स लि.

पहला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019
CIN No.-L85110KA1987PLC0008699, फोन: 7625079108, 011-26435815, 26430236, ईमेल: delhi@canfinhomes.com

(देखें नियम 8 (1))
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 8.5.2019 जारी कर ऋणधारकों: 1) श्रीमती पूनम मित्तल, पत्नी अश्वनी गोयल, 2) श्री अश्वनी गोयल, पुत्र महेश कुमार को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 23,39,479/- (रुपये तेईस लाख उन्तालिस हजार चार सौ उन्यासी मात्र) तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक 8.5.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 23,39,479/- तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये सीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं.- एफएफ-3, प्रथम तल, एमआईजी (बैक साइड) प्लॉट नं.- 238, सेक्टर- 01, वसुन्धरा, जिला गाजियाबाद, उ.प्र., पिन-201102
उत्तरः प्लॉट नं. 1/269 एवं 1/270 पूर्वः प्लॉट नं. 1/239
पश्चिमः प्लॉट नं. 1/237 दक्षिणः प्लॉट नं. 24 मी. चौड़ी सड़क

तिथि: 6.8.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली केन फिन होम्स लि.

JAI MATA GLASS LIMITED

REGD. OFFICE :Village Tipra, Barotiwala, Baddi, District Solan (H.P.)-174 103

NOTICE

Notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held at 04:00 P.M. on August, 14, 2019 at head office EA-176, Inderpuri, New Delhi-110012 amongst other businesses to consider and take on record the un-audited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

Further, pursuant to Regulation 47(2) of SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copy of notice and financial results shall be available on the Company website at www.jaimataglass.com and also at BSE website at www.bseindia.com.

For Jai Mata Glass Limited
Sd/-
Chander Mohan Marwah
[Managing Director]
DIN: 00172818

Place: New Delhi
Date : 08.08.2019

SBI

नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई

ग्लोबल प्रायमरी एमपीएलएस कनेक्टिविटी सेवाओं के प्रापण हेतु प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी)

भारतीय स्टेट बैंक ने आरएफपी संदर्भ एसबीआई/जीआईटीसी/एनडब्ल्यू एंड कॉम./2019/2020/622 दिनांकित 16.07.2019 के संबंध में बोली-पूर्व पूछताछ के लिए शुद्धिपत्र और प्रतिक्रियाएँ जारी की हैं. कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज' देखें.

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 08.08.2019

हस्ताक्षर उप महाप्रबंधक
(एनडब्ल्यू एंड सी)

दक्षिण भारत में भीषण बारिश, हादसों में 16 की मौत

चेन्नई/तिरुवनंतपुरम/बंगलुरु, 8 अगस्त (भाषा)।

दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में वर्षा जनित हादसों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मूसलाधार बारिश, तेज हवाओं और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है और गुरुवार को ट्रेन और सड़क यातायात सेवा बाधित हुई। केरल में चार लोगों के और तमिलनाडु में तीन लोगों के गुरुवार को मारे जाने की खबरें हैं।

केरल के चार जिलों में चेतावनी जारी की गई है जहां दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दूसरी बारिश के तीव्र होने से भारी बारिश, तेज हवा और बड़े क्षेत्र में भूस्खलन ने कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को दो हजार से अधिक लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में चेतावनी का स्तर बढ़ा कर तीन कर दिया गया है। ऐसा वंशधारा नदी पर बने गोट्टा बैराज में पानी का स्तर 1.11 लाख क्यूसेक को पार कर जाने के कारण किया गया है। तमिलनाडु के पहाड़ी जिलों नीलगिरि और कोयंबटूर जिलों में भीषण बारिश हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बचाव दलों ने कर्नाटक के उत्तरी तटों के प्रभावित जिलों तथा मलनाड से 43,858 लोगों को बचाया है। इस दल में अग्निशमन और आपातकालीन विभाग, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सेना शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि वर्षा जनित हादसों में नौ लोग मारे गए हैं जिनमें से छह लोग बेलगावी जिले से थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर कन्नड़ जिले में दो लोगों की मौत हो गई। अब तक वहां से 3,088 लोगों को हटाया गया है। वहीं शिवमोगा में एक की मौत हो गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि जिला प्रशासन उच्च अलर्ट पर है और किसी भी स्थित से निपटने के लिए तैयार है। इसमें कहा गया कि बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा फिलहाल बेलगावी में हैं और राहत व बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सूत्रों ने बताया कि केरल के इडुकी, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में 'रेड अलर्ट' है। रक्षा विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सेना भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है।

अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ अपमानजनक लेख पर भाजपा सांसद ने जताया खेद

बंगलुरु, 8 अगस्त (भाषा)।

अभिनेता प्रकाश राज के खिलाफ अपमानजनक लेख पोस्ट करने पर मैसुरू से भाजपा के लोकसभा सदस्य प्रताप सिम्हा ने गुरुवार को खेद जताया और ट्विटर और फेसबुक से अपनी टिप्पणी वापस ले ली।

सिम्हा ने ट्वीट किया, 'प्रिय प्रकाश राज, मैंने आपके और आपके परिवार के खिलाफ एक अपमानजनक लेख दो और तीन अक्तूबर 2017 को पोस्ट किया था। हालांकि, मैंने समझा कि ये गैर जरूरी और आहत करने वाले थे। इसलिए, मैं स्पष्ट रूप से वापस लेता हूं और ट्विटर और फेसबुक पोस्ट के लिए खेद जताता हूं।'

प्रकाश राज ने इसका स्वागत किया और ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'धन्यवाद प्रताप सिम्हा। मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूं। हमारी विचारधाराएं भले अलग हों लेकिन सोशल मीडिया पर हमें व्यक्तिगत और अमर्यादित नहीं होना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी नजीर पेश करें।'

इंडियन बैंक Indian Bank

अंचल कार्यालय: 2-बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, 11, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ

कब्जा नोटिस {नियम 8(1) के तहत अचल सम्पत्ति हेतु}

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ सेक्शन 13 (12) में पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा ऋणी को मांग सूचना (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) जारी किया गया. जिसमें आगे यह कहा गया था कि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाये चुकता कर दें।

ऋणी एवं जमानतकर्ता द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद द्वारा ऋणी एवं जमानतकर्ता व आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) नियम 8 और 9 के साथ पठित उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इससे नीचे लिखी सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा करने में सचेत रहें और इन संपत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखी राशि ब्याज और अन्य खर्च के लिए इंडियन बैंक के प्रभारों के अधीन होगा। हम आपका ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) और नियमों के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हैं जो कि आपके प्रतिभूतियों से सम्बन्धित "Right of redemption" को दर्शाता है।

शाखा- गोदौलिया

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि व मांग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि / कब्जा तिथि व कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया धनराशि
1.	ऋणकर्ता:- श्री अनुपम तिवारी पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी सह-ऋणकर्ता: श्रीमती सरिता तिवारी पत्नी श्री अनुपम तिवारी	फ्लैट / आवासीय सम्पत्ति फ्लैट सं. 1, प्रथम तल 'बालाजी अपार्टमेन्ट' को मिलाकर अराजी सं. 288 व 291 लेआउट प्लॉट सं 3, परिसर सं डी 59/199ए-3ए के अन्तर्गत, शिवपुरम कॉलोनी स्थित मोहल्ला / मौजा-शिवपुरवा- वार्ड- दशाश्वमेध, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी, सुपर बिल्ड-अप क्षेत्रफल 100.37 वर्ग फीट, श्री अनुपम तिवारी पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी के नाम, चौहद्दी:- पूर्व: सामान्य रास्ता व सीढ़ी उसके बाद फ्लैट सं. 2, पश्चिम: सड़क, उत्तर: अन्य का प्लॉट, दक्षिण: अन्य का प्लॉट	दि. 24.05.2019 रू. 17,20,752/- + ब्याज दि. 24.05.2019 से / दि. 05.08.2019 रू. 17,63,291/- + ब्याज एवं अन्य खर्च दि. 05.08.2019 से

दिनांक: 09.08.2019 प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

GROVY INDIA LIMITED

CIN:L74130DL1985PLC021532
Registered Office:122, 1st Floor, Vinobapuri, Lajpat Nagar II, New Delhi - 110024
Email Id- grovyindia@gmail.com ; Website: www.grovyindia.com, Tel. No.011-46740000

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019

Rs. in Lakhs

Sr. No.	Particulars	Three Months Ended 30.06.2019 (Unaudited)	Three Months Ended 30.06.2018 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total Income from Operations	326.40	223.23	863.87
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-25.69	-10.34	9.60
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-25.69	-10.34	9.60
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-25.69	-10.34	7.04
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-25.69	-10.34	9.07
6	Equity Share Capital	140.00	140.00	140.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	206.72
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	-1.84	-0.74	0.53

Notes:
a) a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The detailed Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, viz. **www.bseindia.com** and at website of the Company @ **www.grovyindia.com** under Investor Desk.
b) The above results have been reviewed and recommended by the audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 08.08.2019

For Grovy India Limited
Sd/-
Prakash Chand Jalan
Director
DIN:00475545

Place: New Delhi
Date: 08.08.2019

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)
Resolution Recovery & Law कलस्टर (दक्षिण और पूरब) 92/ई1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली-110067,
फोन : 26108530, 26108531, ई-मेल: rrl_7670@obc.co.in

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार/ सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता)	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रू. में)	माँग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख
1	(1) मैसर्स एपेक्स रिटेल प्रा. लि. (उधारकर्ता) कार्यालय प्रथम तल, 45 ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-।।।, नई दिल्ली-110020 (2) श्री गौरव टंडन पुत्र बलदेव नारायण टंडन (निदेशक/ गारंटर) निवासी : बी-251, सैक्टर-51, केंद्रीय विहार, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा (यू.पी.) (3) श्री विकास भांबरी पुत्र श्री सरदारी लाल भांबरी (निदेशक/गारंटर) निवासी: बी-301, डीपीएस सहकारी समिति, ए-100/02, सैक्टर-51, नोएडा (4) श्री अमित प्रेमनाथ कपानी पुत्र प्रेमनाथ अमृतलाल कपानी (निदेशक/गारंटर) निवासी : बी-206, द्वितीय तल, सागर बिल्डिंग नं. 31, अपना घर यूनिट नं. 11, सहकारी हाउसिंग सोसाइटी लि., श्री स्वामी समर्था नगर, अंधेरी (डब्ल्यू) मुंबई - 400053 (5) श्री संजीव हलेजा पुत्र जगदीश नारायण हलेजा (निदेशक/गारंटर) निवासी : 13/437, टॉप फ्लोर, सुंदर विहार, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110015 (6) श्रीमती ज्योति प्रेमनाथ कपानी (गारंटर) निवासी : बी-206, द्वितीय तल, सागर बिल्डिंग नं. 31, अपना घर यूनिट नं. 11 को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड श्री स्वामी समर्था नगर, अंधेरी (डब्ल्यू) मुंबई-400053	1. कंपनी की सभी वर्तमान आस्तियों का हाइपोथेकशन 2. सायिम्क बंधक रिहायशी मकान फ्लैट नं. 256, तृतीय तल, पॉकेट जीएच-4, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063 में स्थित, क्षेत्रफल 965 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री संजीव हलेजा के नाम पर है। 3. विस्तारित प्रभार सम्पत्ति अपार्टमेंट नं. 38-बी, प्रथम तल, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट्स, ब्लॉक-ए, सैक्टर-99, नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर, यूपी में स्थित, क्षेत्रफल 1723 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री गौरव टंडन के नाम पर है।	₹ 1,30,01,255.21 दिनांक 30.06.2019 तक भविष्य का ब्याज और संविदात्मक दर पर ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि पूर्ण अदायगी की तिथि तक	27-05-2019 / 03-08-2019
2	1. मैसर्स बी. आर. इंटरप्राईजेज 28, भोगल रोड, तृतीय तल, जगपुरा, नई दिल्ली -110014 2. श्रीमती भुवनेश कुमारी 28, भोगल रोड, तीसरी मंजिल जगपुरा, नई दिल्ली- 110014	रिहायशी फ्लैट नं. 28, तृतीय तल, छत के अधिकार सहित, खसरा नं. 353 में से, मौज़ा अलीगंज, जंगपुरा भोपाल, नई दिल्ली-110014 में स्थित, यह सम्पत्ति विशन दास के नाम पर है। क्षेत्रफल 658 वर्ग मी., चौहद्दी : उत्तर में - सम्पत्ति नं. 26, दक्षिण में - सम्पत्ति नं. 30, पूरब में - भोगल रोड, पश्चिम में - बाजार लेन	₹ 16,74,758.93 दिनांक 30.06.2019 तक भविष्य का ब्याज और संविदात्मक दर पर ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि पूर्ण अदायगी की तिथि तक	06-04-2019 / 03-08-2019
3	मैसर्स एचआईटी-एड प्रा. लि., 102, गगन दीप, राजेंद्र प्लेस, पटेल नगर, नई दिल्ली -110008, श्री राकेश भसीन पुत्र श्री राम भसीन (निदेशक और गारंटर) द्वारा निवासी : 469-ग्राम सतबरी, छतरपुर, दिल्ली-110074, और: डी-884, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025 और: श्रीमती ज्योति भसीन पत्नी श्री राकेश भसीन (निदेशक और गारंटर) निवासी : 469 गाँव सतबारी, छतरपुर, दिल्ली-110074, और: डी-884, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025	भूमि का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट क्षेत्रफल 250.00 वर्ग मी., नं. 29, ब्लॉक नं. एफ, रिहायशी कॉलोनी जिसे अब सुशांत लोक कहते है, फेज-।। और गांव घसा के आसपास, तहसील सोहना जिला गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स हिट-एड प्रा. लि. के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - रोड, दक्षिण में - प्लॉट नं. एफ-81, पूरब में - प्लॉट नं. एफ-28, पश्चिम में - प्लॉट नं. एफ-30	₹ 55,56,140.33/- दिनांक 01.08.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत एवं प्रभार	22-05-2019 / 03-08-2019
4	मैसर्स एन आर एस जिन्स IX/6788, कपूर बस्ती, महावीर चौक, एकता मार्केट के पास, गांधी नगर, दिल्ली-110031, रहीस अहमद पुत्र श्री इंतज़ार हुसैन (प्रोपराइटर) निवासी : एस-2, डी-48, 2 द्वितीय तल, डीडीए कॉलोनी, न्यू जफराबाद, शाहदरा, ईस्ट दिल्ली-110032 और: मकान नं. बी-90, गली-3, बी ब्लॉक, जे जे कॉलोनी, वेलकम सीलमपुर, दिल्ली -110053	साम्यिक बंधक फ्लैट नं. एस-11, द्वितीय तल, (उल्टे हाथ की तरफ) बिना छत के अधिकार के, प्लॉट नं. डी-48 का हिस्सा, ब्लॉक-डी, डीडीए कॉलोनी, न्यू ज़फराबाद, शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित, क्षेत्रफल 70 वर्ग मी., यह सम्पत्ति रहीस अहमद पुत्र श्री इंतज़ार हुसैन के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - सर्विस लाईन, दक्षिण में - रोड, पूरब में - सीधे हाथ का फ्लैट, पश्चिम में - प्लॉट नं. डी-49 ज़फराबाद पोलिस स्टेशन के पास	₹ 60,55,474.10 दिनांक 01.08.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत एवं प्रभार	23-05-2019 / 03-08-2019
5	1) मैसर्स प्रशांत इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन (कर्जदार) ऑफिस 62, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद (यू.पी.)-201001, और: 9ए, मिनी मार्केट, लोहा मंडी, गाजियाबाद (यूपी) - 201009 और: सी-72/3, बी.एस. रोड इंडस्ट्रियल एरिया, लोहामंडी, गाजियाबाद यू.पी. 2) श्री प्रशांत शर्मा पुत्र श्री देवेंद्र कुमार शर्मा (प्रोप./बंधककर्ता) निवासी : केजे-109, कवि नगर, गाजियाबाद, यू.पी - 201001	1. कच्चे माल, स्टॉक-इन-प्रोसेस, तैयार माल, स्टॉक और पुर्जों, प्राप्तियां और फर्म की अन्य वर्तमान आस्तियों का हाइपोथेकेशन 2. सायिम्क बंधक रिहायशी मकान केजे 61, कवी नगर, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 475.51 वर्ग गज, यह सम्पत्ति फर्म के प्रोपराईटर श्री प्रशांत शर्मा के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में - मकान नं. के जे 01 और 02, पश्चिम में - मकान नं. 62, उत्तर में - 80फीट चौड़ी रोड, दक्षिण में - 12 फीट चौड़ी सर्विस लेन	₹ 4,70,70,655.38 दिनांक 30.06.2019 तक भविष्य का ब्याज और संविदात्मक दर पर ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि पूर्ण अदायगी की तिथि तक	27-05-2019 / 03-08-2019
6	उधारकर्ता 1) मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, कार्यालय: ई-15/120, द्वितीय तल, सैक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085 (2) श्री मनीष गर्ग, निवासी : 437, दीपाली, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110034 (3) श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी : 437, दीपाली, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली-110034	सायिम्क बंधक 3 मंजिला बिल्डिंग प्लॉट नं. 120, ब्लॉक ई, पॉकेट नं. 15, सैक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 25.90 वर्ग मी. जिसमें सम्पूर्ण भूतल, सम्पूर्ण प्रथम तल, सम्पूर्ण द्वितीय तल, छत / टेरेस अधिकार के, यह सम्पत्ति श्रीमती कृष्णा देवी के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में - खुला, पश्चिम में - 7.8 मी रोड, उत्तर में - 18.0 मी. रोड, दक्षिण में - प्लॉट नं. 119	₹ 6,05,63,925.50 दिनांक 30.06.2019 तक भविष्य का ब्याज और संविदात्मक दर पर ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि पूर्ण अदायगी की तिथि तक	22-05-2019 / 03-08-2019
7	मैसर्स दिव्यांशु एंटरप्राइजेज का कार्यालय फ्लैट नं. 3-ए, भूतल, लांसर्स रोड, दिल्ली-110054, और: 3ए, बनारसी दास ईस्टेट, दिल्ली-110054, और: 43 प्रथम तल, सैनिक विहार (सैनिक सीजीएचएस) पीतमपुरा, दिल्ली-110034, प्लॉट नं. 680, पेस सिटी ।।, सैक्टर-37, गुरुग्राम -122001 इसके पार्टनर द्वारा 1) श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री कृष्ण कुमार प्लॉट नं. 680, पेस सिटी ।।, सैक्टर-37, गुरुग्राम -122001, और: 1384, सैक्टर-10ए, कम्युनिटी सेंटर गुरुग्राम-122001, और: एफ-295, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060 और: पोस्ट ऑफिस के पास, हरसोली अलवर, राजस्थान-301403 2) श्रीमती मोनिका शर्मा पत्नी श्री पंकज शर्मा प्लॉट नं. 680, पेस सिटी ।।, सैक्टर-37, गुरुग्राम-122001 और: 86-बी, एलआईजी फ्लैट्स फेज-1, कटवारिया सराय, कुतुब एन्क्लेव, दिल्ली-110016 3) श्रीमती डॉली शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा, मकान नं.-74, पॉकेट ई-1, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085, और: ए-527, शास्त्री नगर, दिल्ली -110085	1) साम्यिक बंधक सम्पूर्ण द्वितीय तल और एक मैज़ानाईन तल, छत के अधिकार के, सम्पत्ति नं. 74, क्षेत्रफल 120 वर्ग मी., जोकि ब्लॉक और पॉकेट ई-1, सैक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री डॉली शर्मा पत्नी श्री अशोक शर्मा के नाम पर है। 2) साम्यिक बंधक फ्लैट नं. 3ए, भूतल, बिना छत के अधिकार के, (बैंक साईड) सम्पत्ति नं. 3 का हिस्सा, क्षेत्रफल 194.40 वर्ग मी., लेंसर रोड (जिसे अब 3 लखनऊ रोड कहते है) तिमारपुर, दिल्ली-110054 में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स दिव्यांशु एंटरप्राइजेज के नाम पर है।	₹ 6,73,88,218.14 दिनांक 30.06.2019 तक भविष्य का ब्याज और संविदात्मक दर पर ब्याज, आकस्मिक खर्चे इत्यादि पूर्ण अदायगी की तिथि तक	06-05-2019 / 03-08-2019

दिनांक : 03-08-2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

अलीगढ़ शाखा (0564)
नॉवेल्टी टॉकीज के पास
जी. टी. रोड, अलीगढ़ (यू.पी.)

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 07 अगस्त 2019 ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
श्रीमती ममता रानी पत्नी श्री राजवीर सिंह और श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह निवासी प्लॉट नंबर ए-141, सांगवान सिटी, फेस- II, असदपुर कायम, अलीगढ़ - 202001 गारन्टर :- श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बस देव सिंह, निवासी ग्राम असदपुर कायम अलीगढ़-202,001	एक आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल फ्लैट नंबर ए-141 पंजीकृत जिल्द नंबर -10290 पेज 275-308, क्रम सं -7167, सब रजिस्ट्रार 1, अलीगढ़, स्थित सिल्वर स्ट्रीट, "सांगवान सिटी", गाँव-असदपुर कायम, परगना और तहसील कोइल, अलीगढ़ यूपी -202001 सीमायें:- उत्तर- बिल्ड अप यूनिट नंबर ए-140, दक्षिण- बिल्ड अप यूनिट नंबर ए-142, पूर्व- 9.0 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम- पार्क	19.06.2018 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 15,30,466.93 + अगामी ब्याज (19.06.2018 से) + अन्य शुल्क	07.08.2019	रू 15,96,820.00 07.08.2019 से + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक- 08.08.2019 स्थान- अलीगढ़ प्राधिकृत अधिकारी

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

एसएमई शाखा
दिल्ली रोड़, सहारनपुर

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 08 अगस्त 2019 ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपत्ति को भुनाते हैं

ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1) मैसर्स श्री अनमता टेक्सटाईल्स (प्रो.- श्री नदीम अहमद पुत्र श्री नसीर अहमद), 156 चक हरती जनता रोड, सहारनपुर यूपी 247001 गारंटर - 2) श्री जावेद पुत्र श्री अनीस अहमद, ग्राम सुल्तानपुर अदामपुर, पोस्ट लक्सर, जिला हरिद्वार (उत्तराखंड) 3) श्रीमती इमराना पत्नी श्री नसीर अहमद, ग्राम चकौती, जनता रोड, सहारनपुर यूपी 247001	साम्यिक बंधक प्लॉट का क्षेत्रफल 177.95 वर्ग गज खसरा नं. 71-ए/2, ग्राम चकौती, जनता रोड सहारनपुर स्वामित्व श्री जावेद अली पुत्र श्री अनीस अहमद और श्रीमती इमराना पत्नी श्री नसीर अहमद। सीमायें:-उत्तर: चंद्रभान का मकान, दक्षिण: रास्ता 10' चौड़ा, पूर्व: प्लॉट सुधीर कुमार वाला (रघुनाथ का मकान), पश्चिम: चंदर भान का प्राइवेट मार्ग 7' चौड़ा	15.03.2018 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 15,97,554.10 + अगामी ब्याज (28.02.2018 से) + अन्य शुल्क	08.08.2019	रू 3,65,829.10 31.07.2019 से + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क
1) मैसर्स शजर वुड आर्ट, (प्रो.- श्री मेहर बान पुत्र मौहम्मद इस्लाम), मकान नंबर 245 नई बस्ती, इस्लामाबाद, पानी की टंकी के पास, खटकडी, सहारनपुर यूपी 247001 गारंटर:- 2) प्रो.- श्री मेहर बान पुत्र मौहम्मद इस्लाम, मकान नंबर 245 नई बस्ती, इस्लामाबाद, पानी की टंकी के पास, खटकडी, सहारनपुर यूपी 247001	साम्यिक बंधक संपत्ति का पूर्वी प्लॉट का भाग नंबर 34 दर आबादी हयात कॉलोनी खसरा नंबर 1752, 1752, 1754, 1756, 1757, 1758, 1759, 1764, 1770 और 1772 खद्दा खेडी, सहारनपुर, क्षेत्रफल 100.00 वर्ग गज स्वामित्व श्री मेहरबान पुत्र मौहम्मद इस्लाम (फर्म का प्रोपराइटर)। सीमायें:-पूर्व: जाहिद हसन का प्लॉट नंबर 35, पश्चिम: प्लॉट नंबर 34 के बाकी हिस्से में मकान, उत्तर: 15'0" चौड़ी कॉलोनी रोड, दक्षिण: मौहम्मद इस्लाम का प्लॉट (वर्तमान में गुलफाम और इस्लाम का मकान)	19.03.2018 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 7,31,589.64 + अगामी ब्याज (19.03.2018 से) + अन्य	08.08.2019	रू 5,78,390.64 31.07.2019 से + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क
मैसर्स सैनी ट्रेडर्स (प्रो.- श्री राजवीर सैनी पुत्र श्री बाबू राम सैनी), 6/5923, विष्णु धाम, न्यू माधो नगर, सहारनपुर यूपी 247001 गारंटर:- श्री अशोक कुमार पुत्र श्री दीवान चंद, 7/21, आनंद पुरी, सहारनपुर यूपी 247001	साम्यिक बंधक प्लॉट नंबर-39 का भाग, खसरा नं. 1004 न्यू माधो नगर, वाके दर मिलकाना बाईरॉन परगना जिला सहारनपुर, स्वामित्व श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री बाबू राम, सीमायें:-उत्तर: ओम प्रकाश और ओमी लाल का मकान, दक्षिण: मंगल सेन का मकान और आंशिक रूप से अजय कुमार का क्षेत्र, पूर्व: 20'0" चौड़ी कॉलोनी रोड और आंशिक रूप से अजय कुमार का क्षेत्र, पश्चिम: स्वामित्व पंडित जी का मकान।	18.04.2017 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 20,97,579.50 + अगामी ब्याज (18.04.2017 से) + अन्य	08.08.2019	रू 20,68,046.50 31.07.2019 से + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक- 08.08.2019 स्थान- सहारनपुर प्राधिकृत अधिकारी

महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित जिलों की मदद के लिए कर्नाटक छोड़ेगा अलमाटी बांध का पानी

मुंबई, 8 अगस्त (भाषा)।

पश्चिमी महाराष्ट्र में आई जबरदस्त बाढ़ के मद्देनजर कर्नाटक ने कोल्हापुर और सांगली जिलों में प्रभावित लोगों की मदद के लिए अलमाटी बांध से पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर सहमति जताई है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कर्नाटक के अपने समकक्ष बीएस येदियुरप्पा से बातचीत की थी। अधिकारी ने बताया कि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद येदियुरप्पा ने अलमाटी बांध से पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर सहमति जताई थी।

उन्होंने बताया कि इससे पश्चिमी महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जलस्तर को कम करने में मदद मिलेगी। फडणवीस ने गुरुवार को सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए हवाई सर्वेक्षण किया।

बचाव कार्य में जुटी नौका पलटने से नौ की मौत, चार लापता

सांगली, 8 अगस्त (भाषा)।

महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित सांगली जिले में बचाव कार्य में जुटी एक नौका के गुरुवार को एक जलाशय में पलट जाने से नौ लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। पुणे के मंडलायुक्त दीप म्हाइसेकर ने बताया कि पुणे तहसील के ब्रह्मानल गांव के पास एक निजी नौका बाढ़ पीड़ित करीब 30 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ।

उन्होंने कहा कि अभी तक नौ शव बरामद हुए हैं। नौका के पलटने से गिरे करीब 14-15 लोग सुरक्षित बाहर आ गए। मंडलायुक्त ने बताया कि पुलिस अधिकारी और आपदा प्रबंधन कर्मी लापता लोगों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोग जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित गांव में फंसे लोगों को बचाने के लिए निजी नौका का प्रयोग कर रहे थे। ब्रह्मानल गांव कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, जहां इलाके में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है।

नवाज शरीफ से मिलने जेल पहुंचीं मरियम गिरफ्तार

लाहौर, 8 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को धनशोधन के मामले में यहां गुरुवार को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह जेल में बंद अपने पिता से मिलने आई थीं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष 45 वर्षीय मरियम से 31 जुलाई को भी कथित धनशोधन और उनकी व परिवार की आय से अधिक संपत्ति को लेकर भ्रष्टाचार रोधी एजंसी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी।

राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने मरियम को लाहौर की कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया। यहां उनके पिता 24 दिसंबर, 2018 से सात साल जेल की सजा काट रहे हैं। शरीफ को पनामा पेपर्स मामलों से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन में से एक मामले में शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई 2017 को दोषी ठहराया था। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के अधिकारी ने बताया, 'चौधरी शुगर मिल्स (सीएमएस) मामले में धनशोधन और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के आरोपों का सामना कर रही मरियम को हमने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मरियम को एनएबी मुख्यालय ले जाया जा रहा है। डॉन की खबर के मुताबिक मरियम को सीएसएम मामले में प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया था और स्थानीय समय के अनुसार उन्हें गुरुवार दोपहर तीन बजे तक जवाब देना था। लेकिन एनएबी अधिकारी जेल पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया।

एनएबी के अनुसार मरियम ने गुरुवार को जवाबदेही ब्यूरो के समक्ष पेश नहीं होने के लिए माफी मांगी और वह अपने पिता से मिलने जेल चली गईं। उन्हें एनएबी मुख्यालय ले जाया गया है। उनकी यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान को 'कश्मीर की स्थिति' के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी।

'भारत-पाकिस्तान के बीच प्रत्यक्ष संवाद का समर्थक है अमेरिका'

वाशिंगटन, 8 अगस्त (भाषा)।

अमेरिका कश्मीर और अन्य मुद्दों पर भारत-पाकिस्तान के बीच प्रत्यक्ष संवाद का समर्थन करता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने नियंत्रण रेखा पर शांति और संयम बरतने का आग्रह करते हुए यह बात कही। अधिकारी ने कहा कि अमेरिका सभी पक्षों से शांति की अपील करता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'हम इन घटनाक्रमों के व्यापक निहितार्थों पर ध्यान दे रहे हैं, जिनमें क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने की संभावना भी शामिल है।' उन्होंने कहा, 'हम भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर और अन्य संबंधित मुद्दों पर प्रत्यक्ष संवाद का समर्थन करते हैं।'

प्रवक्ता ने यह बात पाकिस्तान द्वारा बुधवार को भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित किए जाने के बाद दक्षिण एशिया के हालात के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कही।

भारतीय संसद ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव किया था।

भारतीय उड़ानों के लिए बंद नहीं पाक वायु क्षेत्र

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 8 अगस्त।

पाकिस्तान ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने भारत के लिए न तो अपना हवाई क्षेत्र बंद किया है और न ही भारतीय उड़ानों के लिए किसी मार्ग में परिवर्तन किया है। पाकिस्तानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) के प्रवक्ता मुजतबा बेग ने कहा, 'एयरमेन के नोटिस में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सभी उड़ानें पूर्व में जारी कार्यक्रम के तहत संचालित की जा रही हैं।'

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह भारतीय उड़ानों के लिए खुला है। पाकिस्तानी प्राधिकरण के मुताबिक, 'पाकिस्तान ने भारत के लिए न तो अपना हवाई क्षेत्र बंद किया है और न ही भारतीय उड़ानों के लिए कोई रूट बंद किया है या उसमें बदलाव किया है।' दोनों देशों के बीच ताजा तनाव के बाद एक भी रूट में बदलाव नहीं किया गया है।

पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों पर पाबंदी लगाई

इस्लामाबाद, 8 जुलाई (भाषा)।

पाकिस्तान ने गुरुवार को देश के सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सूचना एवं प्रसारण मामलों की विशेष सलाहकार फिरदौस आशिक अवान ने कहा, 'पाकिस्तान के सिनेमाघरों में भारत की किसी भी फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। नाटक, फिल्म और इस तरह की भारतीय सामग्री पाकिस्तान में पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी' पाकिस्तान ने पहली बार भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

इमरान ने कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन मांगा

इस्लामाबाद, 8 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की मांग की। इमरान ने कहा कि अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में नैतिक बल है तो उसे कश्मीरियों के खिलाफ भारत के सैन्य बल के उपयोग को समाप्त करना चाहिए।

इमरान ने घाटी का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया यह देखने की प्रतीक्षा कर रही है कि कश्मीर में कर्फ्यू हटाए जाने पर कश्मीरियों का क्या होता है।

वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पतला सोना बनाया

लंदन, 8 अगस्त (भाषा)।

वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बारीक सोना तैयार किया है जो केवल दो अणुओं के बराबर पतला है या इसे ऐसे समझा जा सकता है कि वह हमारे नाखून से दस लाख गुना पतला है। ब्रिटेन में 'यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स' के अनुसंधानकर्ताओं ने सोने की मोटाई 0.47 नैनोमीटर मापी है।

इस पदार्थ को 2डी बताया गया है क्योंकि इसमें एक के ऊपर एक अणुओं की दो परत हैं। इस पदार्थ का चिकित्सकीय उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में व्यापक अनुप्रयोग हो सकता है। कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरण में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। प्रयोगशाला परीक्षणों में पता चला है कि यह सोना उत्प्रेरक के रूप में वर्तमान में इस्तेमाल किए जाने वाले स्वर्ण नैनो कणों की तुलना में अधिक प्रभावी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के सुन्जिये यी ने कहा, 'यह ऐतिहासिक उपलब्धि है।'

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, स्टार हाउस, तीसरी मंजिल, एच-2, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110025
AssetRecovery.NewDelhi@bankofindia.co.in फोन नं. 011-23755605-5606

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने बैंक ऑफ इण्डिया की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के संपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.05.2019 को एक मांग नोटिस जारी करके उधारकर्ता/ निदेशकों/ गारंटरों मैसर्स बीटीएम एक्सपोर्टस लिमिटेड श्री संजीव कुमार टेकरीवाल, श्री राजीव कुमार टेकरीवाल, श्री अनिल टेकरीवाल, श्रीमती शकुंतला देवी टेकरीवाल, श्रीमती संजना देवी टेकरीवाल, श्री तुषार टेकरीवाल, श्री आशुतोष टेकरीवाल, श्री अनिल टेकरीवाल, मैसर्स गुडवर्थ कमोडिटीस प्रा. लिमिटेड को नोटिस में वर्णित बकाया राशि रु. 52,49,63,316.66/- (रुपए बावन करोड़ उन्चास लाख तेरसठ हजार तीन सौ सोलह एवं छियासठ पैसे + ब्याज + अन्य व्यय) उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता/ निदेशकों/ गारंटरों द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण उधारकर्ता/ निदेशकों/ गारंटरों और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के संपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा दिनांक 07 अगस्त, 2019 को ले लिया है।

उधारकर्ता/ निदेशकों/ गारंटरों एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इण्डिया के बकाया रु. 52,49,63,316.66/- व इसके आगे के ब्याज के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं/ गारंटरों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उपलब्ध संपत्तियों को भुनाने के लिए समय के संबंध में हैं।

अचल संपत्तियों का विवरण

संपत्ति यूनिट न. 501, एनडीएम-2 नेताजी सुभाष प्लेस (वजीरपुर) दिल्ली क्षेत्र 871 वर्ग फीट। साथ ही 977 वर्ग फीट की खुली छत है, जो कि बीटीएम एक्सपोर्टस लिमिटेड के नाम पर है।

संपत्ति फ्लैट नं. एफ-07, बिना छत के अधिकारों के साथ, पहली मंजिल, नाइस अपार्टमेंटस, 17/41, पश्चिम पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 में माप एरिया 2079 वर्ग फीट है, जो कि श्रीमती संजना देवी टेकरीवाल के नाम पर है।

संपत्ति मकान नं. 3, रोड नं. 13, पूर्व पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 में माप एरिया 595.95 वर्ग फीट है, जो कि श्रीमती शकुंतला देवी टेकरीवाल एवं श्रीमती संजना देवी टेकरीवाल के नाम पर है।

दिनांक: 07.08.2019, स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया

अनुसूची-II
प्रपत्र-बी
सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत)
एसएसएमपी इंडस्ट्रीज के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मैसर्स एसएसएमपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	28/09/2007
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	आरओसी-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लायबिलिटी पहचान संख्या	U51909DL2007PLC168784
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	के-336, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076, भारत
6.	इंसोलेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	24/03/2019 (सीआईआरपी के शुरू होने की तारीख से 180 दिन और अधिकरण द्वारा 30 दिन का विस्तार)
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की अनुमानित तिथि	31/07/2019 (7 अगस्त, 2019 को परिसमापक द्वारा प्राप्त आदेश)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इंसोलेंसी प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	योगेश सेठी IBBI/IPA-001/IP-P00814/2017-2018/11379.
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेल	213, प्रथम तल, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, डीडीए मार्केट, ब्लॉक-ए-6, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 ईमेल: cirpssmp@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	213, प्रथम तल, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, डीडीए मार्केट, ब्लॉक-ए-6, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 ईमेल: cirpssmp@gmail.com मोबाइल: 9810045108
11.	दावा जमा करने की अंतिम तिथि	06/09/2019 (ऑर्डर प्राप्त होने से 30 दिन)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ III ने कोड की धारा 33 के तहत 31/07/2019 को मैसर्स एसएसएमपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के परिसमापन को शुरू करने का आदेश दिया है। हालांकि 07/08/2019 को परिसमापक द्वारा आदेश प्राप्त हुआ।

मैसर्स एसएसएमपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 06/09/2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

वित्तीय लेनदार केवल इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी हितधारक प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अन्यथा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 08.08.2019
स्थान: नई दिल्ली
हस्ता./-
योगेश सेठी
परिसमापक

CORPORATE MERCHANT BANKERS LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC061107
Registered Office : UG-24, Vishwadeep Tower, District Centre, Janak Puri, West Delhi-110058
Standalone unaudited Financial Results for the quarter ended June 30,2019
(Rs. In Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2019 Audited	Year Ended 31.03.2019 Audited	Quarter ended 30.06.2018 Audited
1	Total Income from operations (net)	3.51	16.17	5.56
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.16	0.21	0.38
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.16	0.21	0.38
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.11	0.13	0.27
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.11	0.13	0.27
6	Equity Share Capital	330.00	330.00	330.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
	(a) Basic	-	-	0.01
	(b) Diluted	-	-	0.01

Note : The above is an extract of the detailed format of Quarterly Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Webiste (www.bseindia.com) and our website www.covidh.com

For CORPORATE MERCHANT BANKERS LIMITED
Sd/-
Parne Venkateshwar Reddy
Director
DIN: 06446233
Date : 08.08.2019
Place : Delhi

कब्जा सह
नीलामी बिक्री सूचना
DCB BANK

वित्तीय परिसम्पत्ति तथा सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 का लागू के सुरक्षाकरण तथा पुनः निर्माण अन्तर्गत बैंक हेतु शुल्क अचल परिसम्पत्ति की बिक्री

एतद्द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण तथा ऋणप्राप्तकर्ता एवं विशेष में प्रत्याभूतिदाताओं हेतु सूचना प्रदान की जाती है कि निम्नलिखित सम्पत्ति डीसीबी बैंक लि. दिल्ली हेतु रेहन प्रस्तुत सम्पत्ति का वित्तीय परिसम्पत्ति के सुरक्षाकरण तथा पुनः निर्माण तथा सुरक्षा अधिनियम, 2002 का लागू के प्रावधान अन्तर्गत तिथि 03.08.2019 के अन्तर्गत अधिकार ग्रहण सम्पत्ति निम्नलिखित देयकों की वसूली हेतु निविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जाएगी तथा आगे ब्याज, शुल्क तथा लागत इत्यादि जैसा कि निम्नलिखित विवरण अनुसार है:

सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहाँ है" तथा "जो भी वहाँ है" शर्त पर की जायेगी। यदि वे अपने सम्पूर्ण बकाये का भुगतान नहीं करते हैं तो वर्णित तिथि को नीलामी-सह-बिक्री के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों के लिये यह एक सूचना है:

ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों का नाम: रमेश कुमार अरोड़ा, हैप्पी डील स्टोर
बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण : एसएफएस फ्लैट सं. 19, भू-तल, कैटगरी II, नागिन लेक अपार्टमेन्ट्स, पीरागढ़ी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087

सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा (ई.एम.डी.)	निरीक्षण की तिथि तथा समय	नीलामी की तिथि तथा समय
रु. 90,00,000/- (रु. नब्बे लाख मात्र)	रु. 9,00,000/- (रु. नौ लाख मात्र)	तिथि 09.09.2019 प्रातः 11:30 बजे से अप. 4:00 बजे तक	12.09.2019 अप. 12:30 बजे से अप. 4:00 बजे तक

शेष बकाया राशि: रु. 83,17,180.52/- (रु. तिरासी लाख सत्तरह हजार एक सौ अस्सी तथा पैसे बावन मात्र) तिथि 03.08.2019 अनुसार

प्रस्ताव कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त कथित सम्पत्ति के क्रय हेतु इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं से मुहरबन्द आवरण में डीसीबी बैंक लि. दिल्ली के पक्ष में धरोहर राशि हेतु मांग देय प्रपत्र के साथ कार्यालय डीसीबी बैंक लि. 7/56, तृतीय मंजिल, देश बन्धु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110055 में तिथि 11.09.2019 में अप. 6:30 बजे अथवा पूर्व प्रेषित कर सकते है तथा मुहरबन्द प्रस्ताव नीलामी की तिथि 12.09.2019 में अप. 12:30 बजे खोले जाएंगे तथा धरोहर राशि बिना ब्याज राशि के बिना वापिस योग्य है यदि बोली सफलता पूर्ण नहीं है।

इच्छुक क्रेता अधिकतम् उपरोक्त तिथि तक सम्पत्ति/परिसम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये उन्हें श्री श्यामसुन्दर चंधोक अथवा श्री मयंक दत्त चौधरी (011) 45016060 / 45016055 से सम्पर्क करना होगा। नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया लिंक https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner देखें

सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधानिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा गारंटीकर्त्ता को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा बकाया देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जायेगी।

तिथि: 08.08.2019
स्थान: दिल्ली
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
डीसीबी बैंक लिमिटेड

इलाहाबाद बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
विश्वास की एक परंपरा
जोनल ऑफिस: नई दिल्ली 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
हैड ऑफिस: 2, नेताजी सुभाष रोड़, कोलकाता-700001

पंजीकृत एडी/ स्पीड पोस्ट एनैक्जर- 2
रेफ.नं. जेओएनडी/ रिकवरी/ तिथि: 8.6.2019

मै. कुमार ट्रेडर्स, प्रॉप. श्री राज कुमार, पुत्र श्री रणधीर सिंह, प्लॉट नं. 3, खसरा नं. 1/16, राजीव नगर एक्स्टें., ग्राम कराला, दिल्ली-110081

साथ हीः (गारन्टरों) श्री विकास शोकीन, पुत्र श्री अमरीक सिंह, 16/21, पन्ना बीचली गली, ग्राम मंगोलपुर कलॉन, दिल्ली-110085

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना

खाताः मै. निधि एण्टर प्राईजेज (खाता- मै. कुमार ट्रेडर्स, खाता नं. 50375652118)

1. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत नियुक्त/ पदनामित इलाहाबाद बैंक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी आपके लिये इस प्रकार से यह सूचना जारी कर रहे हैं:
2. कि आपने समय समय पर हमारी मंगोलपुरी शाखा के माध्यम से निम्न ऋण/ साख सुविधाऐं प्राप्त की हैं:

ऋण का प्रकार	स्वीकृत सीमा	7.6.2018 को अद्यतन ब्याज तथा आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज, खर्चे के साथ बकाया
नगदी साख	रु. 35,00,000.00	रु. 3988825.00
कुल	रु. 35,00,000.00	रु. 3988825.00

(रुपये उन्तालिस लाख अठासी हजार आठ सौ पच्चीस मात्र)

3. आपके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं के कंसीडेरशन में तथा उक्त ऋण/ साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने के लिये आपने बैंक के पक्ष में विभिन्न दस्तावेजों को निष्पादित किया है जिसके द्वारा तथा जिसके अंतर्गत आपने बैंक के पक्ष में अपनी चल/ अचल सम्पत्तियों/ परिसम्पत्तियों पर प्रभार/ गिरवी/ हाइपोथेकेशन एसाइन्मेन्ट का निर्माण किया है उपरोक्त खाता में हमारे बैंक के पास हाइपोथेकेटेड/ गिरवी/ चार्ज्ड एसाइन्ड सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:
 क) वर्तमान एवं भविष्य के फर्म की सभी चालू परिसम्पत्तियों तथा स्टॉक्स एवं रिसीवैबल्स का हाइपोथेकेशन।
 ख) सम्पत्ति सं. प्लॉट नं. 78, खसरा नं. 39/18-19 में, ग्राम मोहम्मदपुर मजरी, आर ब्लॉक, रामा विहार, दिल्ली- 110081, माप 200 वर्ग याईस का इक्विटैबल मार्टगैज।
4. यद्यपि उक्त ऋण पूर्व से हीं अदायगी के लिए नियत है, आप बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे एवं/अथवा हमारी बार-बार की गई अनुरोधों के बावजूद उस खाता को विनियमित करने में उसकी अनदेखी की।
5. आपने स्वीकृति की शर्तों के उलंघन किया है तथा उक्त खाता अनियमित हो गया तथा उसके परिणाम स्वरूप यह खाता गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति बन चुकी है तथा भ.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 29.05.2018 को हमारे बैंक द्वारा खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
6. 7.6.2018 को रु. 39,88,825.00 (रुपये उन्तालिस लाख अठासी हजार आठ सौ पच्चीस मात्र) (उपरोक्त खाता में अद्यतन ब्याज शामिल) की राशि तथा उसके साथ आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे की राशि बकाया हो गया है।
7. इस सूचना के द्वारा एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में हमें उपरोक्त खाता में लागत, चार्ज, उस पर खर्चे सहित आगे के ब्याज के साथ अद्यतन अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें जिसमें विफल होने पर हम उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा अन्य प्रावधानों के अंतर्गत हमें प्रदत्त सभी अथवा किसी भी आधिकारों का उपयोग करने के लिये वाध्य होंगे।
8. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।
9. आप यह जान लें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति के बाद हमारे बैंक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना आप ऊपर वर्णित किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकेंगे। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस इंजक्शन/ प्रतिबंध का किसी भी प्रकार से उल्लंघन उक्त अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध है।
10. यह सूचना उपरोक्त अधिनियम एवं/ अथवा प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत हमारे बैंक को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जा रही है।

आपका भवदीय
प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक के लिये

इलाहाबाद बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
विश्वास की एक परंपरा
जोनल ऑफिस: नई दिल्ली 17, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
हैड ऑफिस: 2, नेताजी सुभाष रोड़, कोलकाता-700001

पंजीकृत एडी/स्पीड पोस्ट एनैक्जर-2
रेफ.नं. जेओएनडी/रिकवरी/73 तिथि: 29.4.2019

मै. न्यू गर्ग आयरण एंड स्टील स्टोर, प्रॉप. श्री योगेश कुमार गर्ग, पुत्र आरके गर्ग, शॉप नं. 7, डीएवी स्कूल के निकट, बवाना रोड, समयपुर बादली, दिल्ली-110042

साथ हीः श्री योगेश कुमार गर्ग, पुत्र आरके गर्ग, सम्पत्ति सं. 37, 2रा तल, पॉकेट-8, ब्लॉक-आई, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089

साथ हीः श्री योगेश कुमार गर्ग, पुत्र आरके गर्ग, ई-5/115, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना

खाताः मै. निधि एण्टर प्राईजेज (खाता- मै. न्यू गर्ग आयरण एंड स्टील स्टोरः खाता नंः 20459779028 (सीसी) एवं 50317386539 (टीएल)

1. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत नियुक्त/पदनामित इलाहाबाद बैंक, अचल कार्यालय, नई दिल्ली के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी आपके लिये इस प्रकार से यह सूचना जारी कर रहे हैं:
2. कि आपने समय समय पर हमारी मंगोलपुरी शाखा, दिल्ली के माध्यम से उपरोक्त खाता में निम्न ऋण/साख सुविधाऐं प्राप्त की हैं:

ऋण/साख का प्रकार	स्वीकृत ऋण	28.04.2019 को अद्यतन ब्याज तथा आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज एवं खर्चे के साथ बकाया
नगदी साख 20459779028	रु. 50,00,000.00	रु. 54,86,713.00
नगदी साख 50317386539	रु. 4,90,000.00	रु. 3,15,818.00
कुल	रु. 54,90,000.00	रु. 58,02,531.00

(रुपये अन्ठावन लाख दो हजार पांच सौ इक्कतीस मात्र)

3. आपके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं के कंसीडेरशन में तथा उक्त ऋण/साख सुविधाओं के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने के लिये आपने उपरोक्त खाता में बैंक के पक्ष में विभिन्न दस्तावेजों को निष्पादित किया है जिसके द्वारा तथा जिसके अंतर्गत आपने बैंक के पक्ष में अपनी/फर्म की चल/अचल सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों पर प्रभार/गिरवी/हाइपोथेकेशन एसाइन्मेन्ट का निर्माण किया है। उपरोक्त खाता में हमारे बैंक के पास हाइपोथेकेटेड/ गिरवी/ चार्ज्ड एसाइन्ड सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:
क) वर्तमान एवं भविष्य के फर्म की सभी चालू परिसम्पत्तियों, निर्धारित परिसम्पत्तियों, स्टॉक्स तथा रिसीवैबल्स का हाइपोथेकेशन।
ख) रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी, दिल्ली-110089 की ले आउट प्लान में निर्मित फ्री होल्ड सम्पत्ति सं. 37, पॉकेट-8, ब्लॉक-आई, सेक्टर-16 पर निमित छत के अधिकारों के साथ सम्पूर्ण दूसरे तल का इक्विटैबल मार्टगैज, माप 90 वर्ग मी.
4. यद्यपि उक्त ऋण पूर्व से ही अदायगी के लिए नियत है, आप बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे एवं/अथवा हमारी बार-बार की गई अनुरोधों के बावजूद उस खाता को विनियमित करने में उसकी अनदेखी की।
5. आपने स्वीकृति की शर्तों के उलंघन किया है तथा उक्त खाता अनियमित हो गया तथा उसके परिणाम स्वरूप यह खाता गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति बन चुकी है तथा भ.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 21.04.2019 को हमारे बैंक द्वारा खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
6. 28.04.2019 को रु. 58,02,531.00 (रुपये अन्ठावन लाख दो हजार पांच सौ इक्कतीस मात्र) (उपरोक्त खाता में अद्यतन ब्याज शामिल) की राशि तथा उसके साथ आगे का ब्याज, लागत, चार्जेज तथा खर्चे की राशि बकाया हो गया है।
7. इस सूचना के द्वारा एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में हमें उपरोक्त खाता में लागत, चार्ज, उस पर खर्चे सहित आगे के ब्याज के साथ अद्यतन अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें जिसमें विफल होने पर हम उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा अन्य प्रावधानों के अंतर्गत हमें प्रदत्त सभी अथवा किसी भी आधिकारों का उपयोग करने के लिये बाध्य होंगे।
8. आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।
9. आप यह जान लें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति के बाद हमारे बैंक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना आप ऊपर वर्णित किसी भी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकेंगे। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस इंजक्शन/प्रतिबंध का किसी भी प्रकार से उल्लंघन उक्त अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध है।
10. यह सूचना उपरोक्त अधिनियम एवं/अथवा प्रचलित किसी भी कानून के अंतर्गत हमारे बैंक को उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जा रही है।

आपका भवदीय
प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक

JINDAL
जिंदल सॉ लिमिटेड
सीआईएन - L27104UP1984PLC023979
पंजीकृत कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403
निगम कार्यालयः जिंदल सेंटर,12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

वार्षिक सामान्य बैठक के लिए नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 09 सितम्बर, 2019 को दोपहर 01.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए-1 यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नन्दगांव रोड, कोसी कला, जिला मथुरा - 281403 (उ.प्र.) में कथित वार्षिक आम बैठक में दी गई सूचना के कार्यों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन उन शेयरधारकों को ई-मेल द्वारा भेजे गए हैं जिनके ई-मेल पते रिकॉर्ड तिथि अर्थात 02 अगस्त, 2019 को कंपनी / डिपोजिटरी के साथ दर्ज हैं और अन्य सभी शेयरधारकों को भौतिक प्रति भेजी गई है। उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jindalsaw.com पर देखे जा सकते हैं।

एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी के विनियम 42 (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 03 सितम्बर, 2019 से 09 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक में लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई - वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे वे कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्पों पर अपने वोट इलैक्ट्रॉनिक विधि से दे सकें।

सदस्य कृपया निम्नलिखित नोट करें :
क. दूरस्थ ई-वोटिंग शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2019 को सुबह 9.00 बजे आरंभ होगी और रविवार, 08 सितम्बर, 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।
ख. दूरस्थ ई-वोटिंग रविवार, 08 सितम्बर, 2019 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
ग. दूरस्थ ई-वोटिंग और वार्षिक आम बैठक में मतदान के लिए वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता के निर्धारण की कट ऑफ तिथि 02 सितम्बर, 2019 है।
घ. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट ऑफ तिथि 02 सितम्बर, 2019 को शेयर धारिता है तो वे आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लि. कंपनी के आर एण्ड टी एजेंट बी-25/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली-110020, फोन 011-26387320-21, फैक्स: 011-26387322, ई-मेल: evoting.services@rcmcdelhi.com से सम्पर्क द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
ङ. दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सभी सदस्य वार्षिक आम बैठक में भाग भी ले सकते हैं किंतु उन्हें वार्षिक आम बैठक में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
च. मतदान के माध्यम से वोटिंग की सुविधा वार्षिक आम बैठक में केवल उन सदस्यों के लिए होगी जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
छ. सदस्य वार्षिक आमसभा की सूचना में बताए गए ई-वोटिंग के अनुदेश पढ़ें या https://evoting.nsdl.com देखें और किसी पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल उपलब्ध है।

जिंदल सॉ लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
सुनिल के. जैन
कम्पनी सचिव
एफसीएस-3056
स्थानः नई दिल्ली
तिथि : 08 अगस्त, 2019

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद के समक्ष
सीपी नं. 281/एएलडी/2019
सीए नं. 51/एएलडी/2019

कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
तथा
कम्पनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 52, 66 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के अंतर्गत याचिका के मामले में
तथा
आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी, के मामले में
तथा
आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कम्पनी, के मामले में
तथा
आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
("डिमर्ज्ड कम्पनी") तथा आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड ("परिणामी कम्पनी")
के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट,
सिडकुल, पंतनगर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड-26315
-आवेदक कम्पनी सं. 1 /डिमर्ज्ड कम्पनी
तथा
आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 7, सेक्टर-9,
इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट, सिडकुल,
पंतनगर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड-26315
-आवेदक कम्पनी सं. 2 /परिणामी कम्पनी

याचिका की सुनवाई की सूचना

ध्यान रहे कि डायरी नं. 1219 के माध्यम से 16 जुलाई, 2019 को आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("डिमर्ज्ड कम्पनी") तथा आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड ("परिणामी कम्पनी") तथा उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच व्यवस्था की योजना की स्वीकृति के लिये कम्पनी (समझौता व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 52, 66 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के साथ पठित धारा 230 से 232 के अंतर्गत एक याचिका तिथि 8 जुलाई, 2019 प्रस्तुत की गई थी तथा उसे 1 अगस्त, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा स्वीकार किया गया था। उक्त याचिका पर महा महिम माननीय श्री ए.आर.के.सिन्हा, सदस्य (जे) तथा महामहिम, माननीय सुश्री सरोज राजवारे सदस्य (टी) अथवा कम्पनी मामले की सुनवाई करने वाले ऐसे किसी अन्य सदस्यों के समक्ष 12 सितम्बर, 2019 को दोपहर-पूर्व या उसके बाद सुनवाई की जायेगी।

यदि इस सुनवाई में आप उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करना चाहते हों, आप आवेदक के अधिवक्ता मै. अंसारी एंड एसोसिएट्स के श्री सुहैल अहमद अंसारी जिनका पता 76बी/24/30 थॉर्निल रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211001 में है, के पास लिखित में उसकी सूचना इस प्रकार दें ताकि वह उक्त आवेदन की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व उनके पास पहुंच जाए तथा उपरोक्त तिथि को चाहे तो व्यक्तिगत रूप से अथवा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत किसी अधिवक्ता/सांविधिक पेशेवर द्वारा उक्त सुनवाई में उपस्थित हों।

यदि आप याचिका का विरोध करना चाहते हों तो आपत्ति के कारणों अथवा इसके लिए अपने शपथ पत्र की एक प्रति अपनी सूचना के साथ उपरोक्त रूप में आवेदक के अधिवक्ता के पास प्रस्तुत करें।

उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस को आवेदक के अधिवक्ता से उक्त याचिका की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

आर्किडप्लाई डेकोर लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
श्याम डागा
निदेशक
DIN: 00561803

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
श्याम डागा
निदेशक
DIN: 00561803

तिथि: 8 अगस्त, 2019
पंजी. कार्या.: प्लॉट नं 7, सेक्टर 9, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट, सिडकुल, पंत नगर, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड-263153

पूर्वी दिल्ली नगर निगम
(अभियांत्रिकी विभाग)
अधिशासी अभियंता-एम-IV का कार्यालय
शाहदरा दक्षिण, स्कूल ब्लॉक, शकर पुर, दिल्ली-110092
एनआईटी सं. ईडीएमसी/ईई-(एम)-IV/शाह.(एस)/टीसी/2019-20/08 दिनांक: 07.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

पू.दि.न.नि. द्वारा निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु अनुमोदित तथा पात्र ठेकेदार से प्रतिशत दर पर ऑनलाइन टेंडरिंग हेतु निविदायें आमंत्रित करता है और जो समय सारिणी के अनुसार स्वीकार की जायेंगी।

निविदा डाउनलोड की अंतिम तिथि : 16.08.2019 अप. 12.00 बजे
बोली तैयारी की अंतिम तिथि : 16.08.2019 अप. 2.00 बजे
बोली समापन की अंतिम तिथि : 16.08.2019 अप. 2.01 से सायं 4.00 बजे
ऑनलाइन बोली के री-इंक्रिप्शन की तिथि : 16.08.2019 सायं 4.01 बजे से 19.08.2019 अप. 2.00 बजे
वित्तीय बोली का खुलना : 19.08.2019 अप. 02.01 बजे

क्र. सं.	कार्य का नाम	लेखा शीर्ष	निविदा राशि	धरोहर राशि	समापन अवधि	निविदा मूल्य	निविदा संख्या
1.	शाहदरा (द.) क्षेत्र के वार्ड नं. 13-ई/एसी-58 में 0 उपलब्ध कराकर गली नं. 4 किशन कुंज एम सी प्राथमिक विद्यालय से म.सं. पीपी-11/जे एक्सटेंशन तक तथा अनार मस्जिद रोड के लिंक्स और किशन कुंज रोड के लिंक्स का सुधार एवं विकास। दरों की वैधता: 05 माह	XL-VIII-S-(i) (MLALAD)	रु.83,10,391/-	रु.1,66,200/-	3 माह	रु.1000/-	315641
2.	शाहदरा (द.) क्षेत्र, रमेश पार्क के वार्ड नं. 13-ई/एसी-58 में 0 उपलब्ध कराकर नारायण नगर के म.सं. बी-86 से म.सं. आई-90 से एमसीडी पार्क से म.सं. एन-53, म.सं. 827 से म.सं. 706, म.सं. एन-148 से म.सं. आर-18 तथा म.सं. एन-92 से आर-12 तक लेन का सुधार एवं विकास। दरों की वैधता: 05 माह	XL-VIII-S-(i) (MLALAD)	रु.73,51,640/-	रु.1,47,050/-	2 माह	रु.1000/-	315642
3.	शाहदरा (द.) क्षेत्र, लक्ष्मी नगर के वार्ड नं. 14-ई/एसी-58 में 0 उपलब्ध कराकर तिकोना पार्क के सामने विजय चौक से मंगल बाजार रोड तक लेन का सुधार एवं विकास। दरों की वैधता: 05 माह	XL-VIII-S-(i) (MLALAD)	रु.82,58,131/-	रु.1,65,150/-	3 माह	रु.1000/-	315643
4.	मंडावली में वार्ड नं. 09-ई/एसी-57 शाहदरा (द.) क्षेत्र में आरएमसी उपलब्ध कराकर माता चौक पंडित मोहल्ला से कल्याण मार्ग तथा गली नं. 10 रेलवे कॉलोनी (---) के लेन का सुधार एवं विकास। दरों की वैधता: 05 माह	XL-VIII-S-(i) (MLALAD)	रु.63,48,466/-	रु.1,26,950/-	4 माह	रु.1000/-	315644
5.	मयूर विहार फेज II में 0 उपलब्ध कराकर वार्ड नं. 219 खिचड़ीपुर एसी-57 शाहदरा (द.) क्षेत्र (---) में जिम/अखाड़ा का सुधार एवं विकास। दरों की वैधता: 05 माह	XL-VIII-S-(i) (MLALAD)	रु.35,20,200/-	रु.70,400/-	4 माह	रु.500/-	315645
6.	वार्ड नं. 09-ई/एसी-57 शाहदरा (द.) क्षेत्र मंडावली में आरएमसी उपलब्ध कराकर रेलवे कॉलोनी के गली नं. 25 के लेन तथा इसके साइड लिंक्स (---) का सुधार एवं विकास। दरों की वैधता: 05 माह	XL-VIII-S-(i) (MLALAD)	रु.34,95,679/-	रु.69,900/-	3 माह	रु.500/-	315646
7.	मंडावली में वार्ड नं. 09-ई/एसी-57 में 0 उपलब्ध कराकर मंडावली गांव (---) में सामुदायिक भवन की विशेष मरम्मत। दरों की वैधता: 05 माह	XL-VIII-S-(i) (MLALAD)	रु.26,83,416/-	रु.53,650/-	3 माह	रु.500/-	315647
8.	वार्ड नं. 14-ई/एसी-58 शाहदरा (द.) क्षेत्र में गली नं. 8, 10, 12 तथा गली नं. 7 गुरुद्वारा रोड लक्ष्मी नगर के बैक लेन का सुधार एवं विकास। दरों की वैधता: 05 माह	XL-VIII-S-(i) (MLALAD)	रु.31,37,546/-	रु.62,750/-	3 माह	रु.500/-	315648

निविदा मूल्य एवं धरोहर राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट को ई.ई.-एम-IV-शाहदरा (दक्षिणी) क्षेत्र, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092 के कार्यालय में जमा करना होगा।

विस्तृत एनआईटी निम्नलिखित वेबसाइट या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से देखे जा सकते हैं। http://engineering.mcdetenders.com (डब्ल्यूएपी एवं एसएमएस सक्षम निविदा पोर्टल)

आरओ नं.: 29/डीपीआइ/पूर्वी/2019-20 अधिशासी अभियंता-एम-IV
पूर्वी दि. न. निगम नागरिक हेल्पलाईन सेवा - 155303

विश्व संस्था ने भारतीय तीरंदाजी संघ को किया निलंबित

कोलकाता, 8 अगस्त (भाषा)।

विश्व तीरंदाजी ने गुरुवार को भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआइ) को अपने दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए निलंबित कर दिया। उसने इस महीने के अंत तक महासंघ की व्यवस्था ठीक करने को भी कहा है। यह फैसला सोमवार से प्रभावी होगा और भारतीय तिरंगे के तले तीरंदाज जिस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, वह 19 से 25 अगस्त तक मैड्रिड में होने वाली विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप है।

विश्व तीरंदाजी के महासचिव टॉम डिलेन ने बयान में कहा कि विश्व तीरंदाजी जून में भारतीय तीरंदाजी संघ को निलंबित करने के फैसले को लागू कर रही है। विश्व तीरंदाजी के कार्यकारी बोर्ड ने जुलाई के अंत तक हल ढूंढने की समयसीमा दी थी और इसमें कोई प्रगति नहीं की गई जिससे विश्व संचालन संस्था ने अपने निलंबन के आदेश को लागू कर दिया।

डिलेन ने बयान में कहा कि अगर इस महीने के अंत तक हल नहीं निकाला गया तो कार्यकारी बोर्ड फैसला करेगा कि भारतीय एथलीटों के एशियाई चैंपियनशिप और एशियाई पैरा चंपियनशिप में भाग लेने के मौके को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस विवाद पर अदालत के फैसले की उम्मीद है तो एएआइ ने विश्व तीरंदाजी से कुछ और दिन देने का अनुरोध किया था लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। दिलचस्प बात है कि निलंबन का आदेश इस मुद्दे पर अदालत की सुनवाई से एक दिन पहले आया है। नवंबर में बैंकाक में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप और एशियाई पैरा चैंपियनशिप में ओलंपिक कोटे दाव पर लगे होंगे। भारत ने अभी तक अगले ओलंपिक के लिए तीन पुरुष कोटे हासिल कर लिए हैं लेकिन अभी तक महिलाओं ने कोटा नहीं हासिल किया है। उन्होंने कहा कि साथ ही विश्व तीरंदाजी यह भी फैसला करेगी कि इंडोर तीरंदाजी विश्व सीरीज में कोई व्यक्तिगत एथलीट भाग ले सकता है या नहीं।

> **नवंबर** में बैंकाक में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप और एशियाई पैरा चैंपियनशिप में ओलंपिक कोटे दाव पर लगे होंगे।
>
> **भारत** ने अभी तक अगले ओलंपिक के लिए तीन पुरुष कोटा हासिल कर लिया है लेकिन अभी तक महिलाओं ने कोटा नहीं हासिल किया है।

एएआइ के अधिकारियों को चुनने के लिए नौ जून को नई दिल्ली और चंडीगढ़ में दो अलग-अलग गुटों ने चुनाव कराए थे जिसमें दो अध्यक्ष (अर्जुन मुंडा और बीवीपी राव) को चुना गया था। मुंडा को 20 राज्य संघों जबकि राव को 10 राज्य संघों का समर्थन प्राप्त है। विश्व तीरंदाजी ने एक प्रतिनिधि काजी राजीब उद्दीन अहमद चापोल को चुनावों के लिए एक मध्यस्थ और पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था लेकिन वह दोनों गुटों को एक चुनाव कराने के लिए नहीं मना सके।

अब भारतीय खेल प्राधिकरण आगामी एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल करा रही है और शुक्रवार को टीम की घोषणा करेगी। विश्व तीरंदाजी ने इससे पहले पोलिश तीरंदाजी महासंघ को भी इन्हीं हालात के कारण पिछले साल अक्तूबर में निलंबित कर लिया था लेकिन फरवरी में चीजें सही होने पर प्रतिबंध हटा लिया था।

भारत-वेस्ट इंडीज मैच में बारिश का खलल

प्रोविडेंस (गयाना), 8 अगस्त (भाषा)।

भारत और वेस्ट इंडीज के बीच गुरुवार को खेले जा रहे पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच को बारिश के कारण दूसरी बार रोकना पड़ा। वेस्ट इंडीज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जब 5.4 ओवर में बिना विकेट खोए नौ रन बनाए थे तब पहली बार बारिश के कारण मैच रोकना पड़ा। दोबारा खेल शुरू होने पर वेस्ट इंडीज ने जब 13 ओवर में एक विकेट पर 54 रन बनाए थे तो बारिश के कारण फिर खेल रोकना पड़ा। इस समय एविन लुईस 40 जबकि शाई होप छह रन बनाकर खेल रहे थे। मैच की शुरुआत से पहले हुई बारिश के कारण इस मुकाबले को 43 ओवर का कर दिया गया था। पहली बार जब खेल रुका तो दोबारा मैच शुरू होने पर 34 ओवर का कर दिया गया।

भारत-वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान बारिश आने के बाद मैदान ढकते कर्मचारी।

खेल पुरस्कारों के चयन के लिए 12 सदस्यीय पैनल गठित

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

परंपरा से हटते हुए खिलाड़ियों और कोचों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देने का फैसला इस साल एक 12 सदस्यीय पैनल द्वारा किया जाएगा। इसमें छह बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया शामिल हैं। खेल पुरस्कार 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर दिए जाते हैं जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि इस साल हम सभी पुरस्कारों के लिए एक चयन समिति के विचार को आजमा रहे हैं।

भारत के राजस्व में कटौती चाहती है आइसीसी

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

भारत में होने वाले टूर्नामेंटों में कर रियायत के मसले को लेकर चल रहे विवाद के कारण आइसीसी ने सालाना राजस्व में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हिस्से में कटौती की धमकी दी है। इसके बाद बीसीसीआइ इंग्लैंड की एक कानूनी फर्म की सेवाएं ले सकता है। शशांक मनोहर की अगुआई वाली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद भारत में होने वाले सभी वैश्विक टूर्नामेंटों में कर में छूट चाहती है। प्रशासकों की समिति की छह जुलाई को हुई बैठक के ताजा दस्तावेजों के अनुसार आइसीसी 2016 विश्व कप के करों के बोझ को उसके सालाना राजस्व में से बीसीसीआइ के हिस्से में कटौती करके कम करना चाहती है।

बीसीसीआइ की कानूनी टीम ने सीओए को बताया कि बोर्ड ने आइसीसी को कर रियायत के सारे प्रयास करने का आश्वासन दिया था। इससे पहले इस तरह के टूर्नामेंटों को कर छूट मिलती आई है। बीसीसीआइ की वेबसाइट पर जारी ब्यौरे में कहा गया कि आइसीसी बीसीसीआइ का सालाना राजस्व में से हिस्सा काटकर इसकी भरपाई करना चाहती है। इसमें कहा गया कि 2016 विश्व कप के संदर्भ में कर अधिकारियों ने निर्देश दिया कि मीडिया अधिकार करार के तहत आइसीसी प्रसारक द्वारा आइसीसी को दी जाने वाली राशि का दस फीसद रोक लिया जाए।

smc
Moneywise. Be wise.

SMC GLOBAL SECURITIES LIMITED

(CIN : L74899DL1994PLC063609)

Regd. Office: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi-110005

Phone No : 011-30111000 | email : smc@smcindiaonline.com | website : www.smcindiaonline.com

Extract of consolidated unaudited results for the quarter ended June 30, 2019

(₹ IN LAKHS)

Sr. No.	PARTICULARS	CONSOLIDATED			
		Quarter Ended			Year Ended
		June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2019* (Audited)	June 30, 2018* (Unaudited)	March 31, 2019* (Audited)
1	Total Income from Operations	19,243.98	20,427.91	16,541.15	75,274.83
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	1,689.54	3,333.59	1,144.84	9,088.39
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional Items)	1,689.54	3,333.59	1,144.84	9,088.39
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional Items)	928.10	2,651.95	925.51	7,478.25
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	944.05	2,709.15	1,004.18	7,689.93
6	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of ₹2 each)	2,262.69	2,262.69	2,262.69	2,262.69
7	Reserves Excluding Revaluation Reserves				65,832.57
8	Earnings per share (EPS) (in ₹)				
	(a) Basic EPS	0.82	2.34	0.82	6.61
	(b) Diluted EPS	0.82	2.34	0.82	6.61

*Refer Note 2

Notes:

1 The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on Wednesday, the 7th day of August, 2019. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the results and issued an unqualified report.

2 The company had submitted an application of Composite Scheme of Arrangement between SMC Comtrade Limited (Demerged 1), SMC Investments and Advisors Limited (Demerged 2), SMC Finvest Limited (Transferor 1), Indunia Realtech Limited (Transferor 2) and SMC Global Securities Limited (Transferee Company) with appointed date of April 1, 2018 to the National Company Law Tribunal (NCLT), Principal Bench, New Delhi on June 13, 2018.
The financial statements of the Company for the year ended March 31, 2019 were first approved by the Board of Directors at its meeting held on May 11, 2019 without giving effect of the Scheme, pending receipt of the order from NCLT.
The Hon'ble NCLT, Principal Bench, New Delhi has approved the composite scheme of arrangement vide its order dated July 11, 2019 and the same has been filed by the Company with the Registrar of Companies ("ROC") on July 20, 2019, the financial statements approved on May 11, 2019 as aforesaid have been updated by the company only to give effect to the Scheme with effect from the appointed date of April 1, 2018 in keeping with the scheme and applicable accounting standards. The aforesaid updated accounts have been reviewed by the Audit Committee and aproved by the Board of Directors on August 7, 2019.

3 The Company has adopted Ind AS 116 "Leases" effective 1st April 2019, as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Companies (Indian Accounting Standard), Amendment Rules, 2019, retrospectively with the cumulative effect of initially applying the Standard recognized at the date of initial application.

4 The Company has subscribed 40,00,000 equity shares of ₹10/- each of Moneywise Financial Services Private Limited at ₹125 per share (including share premium of ₹115 per share) amounting to ₹50 crore, 20,00,000 equity shares of ₹100/- each of SMC Real Estate Advisors Private Limited amounting to ₹20 crore and 25,00,000 equity shares of ₹10 each of Moneywise Finvest Limited amounting to ₹2.50 crore.

5 Additional information on standalone financial results is as follows: (₹ IN LAKHS)

PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended
	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2019* (Audited)	June 30, 2018* (Unaudited)	March 31, 2019* (Audited)
Income from operations	10,947.84	10,970.96	10,285.89	42,475.30
Profit before tax	856.01	764.87	613.24	3,329.85
Profit after tax	568.13	757.86	607.66	3,299.50

6 The above is the extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Investor Corner Section of our website www.smcindiaonline.com.

7 The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.

8 Figures for the previous quarters / year has been regrouped and rearranged wherever necessary.

For and on behalf of the Board

Place : New Delhi
Date : August 7, 2019

sd/-
S. C. AGGARWAL
(Chairman & Managing Director)
(DIN : 00003267)

sd/-
MAHESH C. GUPTA
(Vice Chairman & Managing Director)
(DIN : 00003082)

महिला विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण करेंगी पांच भारतीय मुक्केबाज

नई दिल्ली, 8 अगस्त (भाषा)।

अनुभवी एल सरिता देवी (60 किग्रा) ने गुरुवार को भारत की 10 सदस्यीय मजबूत भारतीय मुक्केबाजी टीम में जगह बनाई। वहीं पांच मुक्केबाज महिला विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण करेंगी। सरिता 10 साल से ज्यादा समय में पहला विश्व चैंपियनशिप पदक हासिल करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा इंडिया ओपन के स्वर्ण पदकधारक नीरज (57 किग्रा) और जमुना बोरो (54 किग्रा) ने भी टीम में जगह बनाई है। इसकी अगुआई छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम (51 किग्रा) करेंगी।

मंजू रानी (48 किग्रा), जमुना, नीरज, मंजू बोम्बोरिया (64 किग्रा) और नंदिनी (81 किग्रा) पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। निकहत जरीन ने बुधवार को मैरी कॉम का चयन बिना ट्रायल किए जाने की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें मंगलवार को ट्रायल मुकाबले में लड़ने से रोका गया था।

विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदकधारी लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा) को भी ट्रायल कराए बिना ही चुना गया। विश्व चैंपियनशिप तीन से 13 अक्तूबर तक खेली जाएगी। आठ बार की एशियाई पदकधारी सरिता देवी ने पिछले साल की विश्व कांस्य पदकधारी सिमरनजीत कौर को हराकर अपना स्थान पक्का किया। सिमरनजीत ने पिछले महीने प्रेसिडेंट्स कप में स्वर्ण पदक जीता था।

Indian Express Group

NxtGen Infinite Datacenter presents

The Indian EXPRESS EXCELLENCE IN GOVERNANCE AWARDS

CELEBRATING GOOD GOVERNANCE ACROSS INDIA'S DISTRICTS

HONOURING THE FINEST DISTRICT MAGISTRATES IN THE COUNTRY

The Indian Express Excellence in Governance Awards honours District Magistrates from across the country who are scripting the changing India story. Through their ideas, innovations— and implementation.

The awards celebrate best practices across the government, leadership and learning in a range of categories: Health to Inclusion, Technology to Education, Energy to Agriculture.

Special Guests

Shri Nitin Gadkari
Minister for Road Transport and Highways; Micro, Small and Medium Enterprises

Shri Ram Vilas Paswan
Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Shri Ravi Shankar Prasad
Minister for Law and Justice; Communications; Electronics and Information Technology

Shri Piyush Goyal
Minister for Railways; Commerce and Industry

Dr Jitendra Singh
Minister of State (Independent Charge), Development of North Eastern Region; Minister of State, Prime Minister's Office; Personnel, Public Grievances and Pensions; Atomic Energy; Space

Entry by invitation only

21 AUG 2019 6:00 PM NEW DELHI

Banking Partner: ICICI Bank
Realty Partner: Runwal
University Partner: ICFAI Group
Healthcare Partner: Yashoda Super Speciality Hospitals, Kaushambi, Ghaziabad
Drive Partner: Volkswagen

The Indian EXPRESS — JOURNALISM OF COURAGE —

Associate Partners: Kesari, Detox India, Namami Gange, नालको NALCO, IndianOil, 2019 Year of Solutions, MIDC, Joy e-bike

eigawards.indianexpress.com
#EIGAwards

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 264, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।